द्वितीय माला, खंड ५२—अंक २६

शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१
३ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५२ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड ५२--अंक २१ से ३०--१४ से १७ मार्च १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ से ६ चैत्र, १८८३ (शक)

अंक २१ मंगलवार, १४ मार्च, १९६१/२३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, से ८०८, ८१० से ८१४, ८१६ से ८१९, ८२१, ८२३, ८२५ और ८२७ से ८२९ . . . २३३१—५५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . २३५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१५, ८२०, ८२२, ८२४, ८२६ और ८३० से ८४४ . . . . . . २३५७—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५६० से १६४८, १६५० से १६७१ और १६७३ से १६८५ . . . २३६६—२४१६

स्थगन प्रस्ताव--

१. रुद्रसागर स्थित तेल कूप में कथित दुर्घटना . . . २४१६–१७

२. चीनियों द्वारा भारतीय क्षेत्र का कथित अतिक्रमण . . २४१८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

नागा विद्रोहियों द्वारा रेलगाड़ी पर आक्रमण . . . २४१८–१९

सभा पटल पर रखा गया पत्र--

उड़ीसा विनियोग विधेयक, १९६१--पारित किया गया . २४२०

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६१—पारित किया गया . २४२०–२१

सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . २३२१—५१

रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक--

विचार के लिए प्रस्ताव २४५१—५३

"पूर्व की यात्रा करो" वर्ष के बारे में आधे घंटे की चर्चा २४५४—५८

दैनिक संक्षेपिका २४५९—६६

अंक २२--बुधवार, १५ मार्च, १९६१/२४ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर---

तारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ८५८ . २४६७—९१

विषय-सूची	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९ से ८९२ . . .	२४९१--२५०७
अतारांकित प्रश्न संख्या १६८६ से १७३६, १७३८ से १७८२ और १७८४ से १७९२	२५०७--५३
दिनांक १८-१२-५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २००५ के उत्तर में शुद्धि	२५५४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अमेरिकी गेहूं . . .	२५५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२५५५--५६
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
उनासीवां प्रतिवेदन	२५५६
सभा का कार्य	२५५६--५७
समिति के लिए निर्वाचन--	
प्राविधिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद	२५५७
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक--	
विचार के लिए प्रस्ताव	२५५७--६१
खंड २, ३ और १ .	२५६०
पारित करने का प्रस्ताव .	२५६१
सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा . .	२५६१--६४
आरामदेह कारों के आयात के बारे में--आधे घंटे की चर्चा . .	२५६३--६६
दैनिक संक्षेपिका .	२५६७--२६०४

अंक २३--गुरुवार, १६ मार्च, १९६१/२५ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०७ और ९०९	२६०५--३०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७	२६३०--३२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९८, ९०८ और ९१० से ९२५	२६३२--४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १७९३ से १८४३	२६४०--६०

विषय सूची — पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

चल सम्पत्ति और बैंकों में जमा धन के बारे में भारत-पाकिस्तान वार्ता की कथित असफलता . . . . . २६६०—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६२–६३

नमक उपकर (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . २६६३

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . २६६३—२७१४

दैनिक संक्षेपिका . . . . २७१५—१९

अंक २४—शुक्रवार, १७ मार्च, १९६१/२६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२६ से ९२९, ९३२ से ९३७, ९४० से ९४३, ९४५, ९४७, ९४८, ९५० और ९५१ २७२१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३०, ९३१, ९३८, ९३९, ९४४, ९४६, ९४९ और ९५२ . . २७४५—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १८४४ से १९१५ २७४८—७७

स्थगन प्रस्ताव—

सिक्किम और भूटान की सीमा पर चीन द्वारा कथित सैनिक तैयारियां २७७७—७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दण्डकारण्य के शरणार्थियों का पुनर्वास २७७९—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७८१—८३

राज्य सभा से सन्देश . . २७८३

तारांकित प्रश्न संख्या ४५ के उत्तर में शुद्धि . २७८३—८४

सभा का कार्य . २७८४

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . २७८४—२८१०

लेखा अनुदानों की मांगें, १९६१–६२ . २८११—१६

विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, १९६१—पारित २८१६—१७

बीमा (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव २८१७–१८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनासीवां प्रतिवेदन २८१८

विषय-सूची	पृष्ठ
सरकारी कर्मचारियों के कार्मिक संघों के कार्यवाहियों के बारे में संकल्प—	
अस्वीकृत	२८१९—२२
सभी प्रादेशिक भाषाओं के लिये देवनागरी को सामान्य लिपि बनाने के बारे में संकल्प	२८२२—४०
दैनिक संक्षेपिका . .	२८४१—४७
अंक २५—सोमवार, २० मार्च, १९६१/२९ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९५३ से ९६३ . .	२८४९—७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९८७ . . .	२८७१—८२
अतारांकित प्रश्न संख्या १९१६ से १९७०, १९७२ से १९८० और १९८२ से १९९१	२८८३—२९१८
विशेषाधिकार प्रश्न के बारे में	२९१८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२९१८
राज्य सभा से सन्देश . .	२९१८–१९
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	२९१९
तम्बारम् के निकट विमान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	२९१९–२०
श्री कृष्ण मेनन .	
बीमा (संशोधन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२९२०—२६
खण्ड २, ३ और १ .	२९२०—२३
पारित करने का प्रस्ताव . . .	२९२३—२६
अनुदानों की मांगें—	
शिक्षा मंत्रालय	२९२७—७६
दैनिक संक्षेपिका	२९७७—८२
अंक २६—मंगलवार, २१ मार्च, १९६१/३० फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८ से ९९५, १००१, ९९६, ९९९, १००० से १००३ और १००५	२९८३—३००९
तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर में शुद्धि .	२९८८—९०
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ .	३००९–१०

विषय सूची | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७, ९९८, १००४, १००६ से १००८ और १०१० से १०१६ . . . . . . ३०१०—१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९९२ से २०४१ और २०४४ से २०५५ . ३०१६—४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०४५

बिहार और उड़ीसा में सीमेंट की कमी

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३०४५-४६

राज्य-सभा से सन्देश ३०४६

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा से संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा-पटल पर रखा गया । ३०४६

अनुदानों की मांगें . . . ३०४६—३११०

स्वास्थ्य मंत्रालय . . . . ३०४७—९३

वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३०९४—३११०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३१११—१६

अंक २७—बुधवार, २२ मार्च, १९६१/१ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१८ और १०२० से १०३५ . ३११७—४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१९, १०३६ से १०४३ . ३१४२—४५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०५६ से २११५ और २११७ से २१३७ . ३१४६—७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

राजस्थान में बाली दुर्ग में विस्फोट ३१७९-८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३१८०-८१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अस्सीवां प्रतिवेदन ३१८१

सदस्य द्वारा वक्तव्य में शुद्धि ३१८१

अनुदानों की मांगें—

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३१८२—३२०३

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . . . ३२०४—३७

उड़ीसा में प्राथमिक तथा माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३२३७-३८

दैनिक संक्षेपिका . ३२३९—४४

विषय सूची—(जारी) पृष्ठ

अंक २८—गुरुवार, २३ मार्च, १९६१/२ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०४८, १०४६, १०४९, १०५०, १९५२ से १०५८, १०६१, १०६३ और १०६५ ३२४५—७०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४४, १०४५, १०५१, १०५९, १०६०, १०६२, १०६४ और १०६६ से १०८० . . . ३२७०—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३८ से २१८१ और २१८३ से २२०६ . ३२७९—३३०७

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में सरकार द्वारा अर्जित भूमि का आवंटन ३३०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ३३०७

प्राक्कलन समिति

एक सौ दसवां प्रतिवेदन . . ३३०७

अनुदानों की मांगें . . . . ३३०७—५६

सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . ३३०७—३६

विधि मंत्रालय ३३३७—५६

दैनिक संक्षेपिका . ३३५७—६१

अंक २९—शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१/३ चैत्र, १८८३ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३३६३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८१ से १०८५, १०८७ से १०९४ और १०९७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . ३३६३—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९५, १०९६ और १०९८ से ११०७ ३३९०—९७

अतारांकित प्रश्न संख्या २२०७ से २२५८ और २२६० से २२९९ . ३३९७—३४२३

राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य . . ३३२४—३०

श्री जवाहरलाल नेहरू

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ३४३०—३१

विषय सूची--(जारी) पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एकसौ उन्नीसवां प्रतिवदन ३४३१

सभा का कार्य . ३४३१–३२

अनुदानों की मांगें . ३४३२—४८

विधि मंत्रालय . . . . . ३४३२—४८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अस्सीवां प्रतिवेदन . . ३४४९

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में ३४४९

पुरस्थापित किये गये विधेयक : ३२४९–५०

१. दानकर (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा २२, २३, २५, २६ और ३५ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . ३४४९

२. भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का] . . . ३४४९

३. सहायक बैंक विलय विधेयक, १९६१ [श्री रामकृष्ण गुप्त का] ३४५०

४. संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६१ (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री चे० रा० पट्टाभिरामन का] . . ३४५०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५कक का रखा जाना) [श्री त० ब० विट्ठल राव का] वापिस लिया गया

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . . ३४५०—५८

तेलों का जमाये जाने पर रोक विधेयक [श्री झूलन सिंह का]—

विचार के लिये प्रस्ताव . . . . ३४५९—६२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३४६३—६८

अंक ३०—सोमवार, २७ मार्च, १९६१/६ चैत्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०९ से ११११, १११३ से १११५, १११७ से ११२१, ११२३, ११२६ से ११२८ और ११२४ ३४६९—९४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३४९४—३५०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०८, १११२, १११६, ११२२, ११२५ और ११२९ से ११३५ . . . . . ३५०१—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७० से २३६० और २३६२ से २३७३ . ३५०६—५७

विषय-सूची—जारी	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	३५५७–५८
दामोदर घाटी निगम के कलकत्ता क्षेत्र को पर्याप्त बिजली का न मिलना	
उड़ीसा में मध्यावधि चुनाव के बारे में वक्तव्य . . .	३५५८–५९
१९६१ की भारत की जनगणना के बारे में वक्तव्य .	३५५९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३५६०
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	३५६०
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ ग्यारहवां प्रतिवेदन . .	३५६०
उड़ीसा का आय-व्ययक—१९६१–६२—उपस्थापित . .	३५६१—६६
अनुदानों की मांगें—	
गृह-कार्य मंत्रालय	३५६६—३६१४
दैनिक संक्षेपिका . . .	३६१५—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वातस्व में पूछा था ।

G GIPND—LS III—123(Ai) LSD—12-5-61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१

३ चैत्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : सचिव उस माननीय सदस्य का नाम बतायें जिन्हे संविधान के अधीन शपथ लेनी है या प्रतिज्ञान करना है ?

†**सचिव** : श्री डायिंग इरिंग :

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं आप को और आपके द्वारा सभा को श्री डायिंग इरिंग का परिचय कराते हुए हर्ष का अनुभव करता हूं। ये राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किये गये हैं और ये आसाम के भाग (ख) आदिम जातीय क्षेत्र के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र से आये हैं ;

(श्री डायिंग एरिंग ने अंग्रेजी मे शपथ ली और सदन में अपना स्थान ग्रहण किया)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कार्य कुशलता और कार्य संपादन की जांच

†*१०८१. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी प्रशासन और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यकुशलता और कार्यसम्पादन की जांच करने की पद्धति लागू करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : कार्यकुशलता की जांच करने का काम तो प्रशासन के सामान्य पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी है। विभागातिरिक्त अभिकरण, जैसे कि योजना परियोजनाओं तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सम्बन्धी समिति भी स्थापित की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कभी कभी प्रशासन के विशिष्ट प्रकार के सेक्टरों के मूल्यांकन के तदर्थ प्रबन्ध भी कर दिये जाते हैं। वर्तमान प्रबन्धों में सुधार करने के सम्बन्ध में भी, भले ही वे वर्तमान पर्यवेक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाने से या विभागातिरक्त अभिकरणों के क्षेत्र का विस्तार करने से हो, निरन्तर ध्यान में रखा जाता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या प्राक्कलन समिति तथा योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया गया है और क्या उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा? मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे सुझाव कार्य कुशलता और कार्य सम्पादन की जांच के सम्बन्ध में है और उन्हें कहां तक स्वीकार किया गया है और कहां तक कार्यान्वित किया जा रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया है और उसे कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में यत्न किया गया है। मैं यह नहीं बता सकता कि उसे किस रूप में किया जायेगा परन्तु हमने मोटे तौर पर इस के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मंत्रिमण्डल ने इसकी जांच करने के लिये स्वतंत्र यूनिटों की नियुक्ति के सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: वास्तव में गत बार मैंने माननीय सदस्य को सूचित किया था कि चार सार्थों में कार्यकुशलता की जांच का कार्य का न्वित किया जा रहा है। तीन की जांच तो हो भी चुकी है और हमारी इच्छा यह है कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक यनिट में इसे लागू किया जाये। इसे सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया है और ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय प्रधान मंत्री को ज्ञात है कि कार्यकुशलत को समवाय में भिन्न-भिन्न परिभाषायें दी जाती हैं और एक विद्वान ने कहा भी है कि कार्यकुशलता व्यवहार की बात है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यकुशलत की जांच किन माप-दण्डों से की जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : व्यवहारिक माप-दंडों से ।

†**श्री रंगा** : क्या कार्य सम्पादन की जांच करने के लिये नियुक्त पदाधिकारी सम्बद्ध उपक्रमों के अनुशासन नियंत्रण के अधीन हैं या कि वे स्वतंत्र हैं और वित्त मंत्रालय से सम्बद्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे मंत्रालय के ही पदाधिकारी हैं, विभिन्न उपक्रमों के नहीं, क्योंकि जांच करने वालों को उन उपक्रमों के प्रभाव से बाहर होना चाहिये ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या सरकार ने हाल ही में समवाय विधि प्रशासन की रिपोर्ट में व्यक्त किये गये दृष्टिकोण पर विचार किया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैं पहले भी कई बार सभा में बता चुका हूं कृष्ण मेनन समिति की रिपोर्ट संसद् के प्रति उत्तरदायित्व और ग्रैलब्रेथ रिपोर्ट तथा भारतीय लोक-प्रशासन संस्था द्वारा दिये गये सुझावों आदि पर मंत्रिमण्डल द्वारा विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में फैसला हो जाने पर मैं उन सभी निर्णयों को सभा के सामने पेश कर दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्र० चं० बरुआ: इस समय देश में सरकारी क्षेत्र में कितने उपक्रम हैं और कितने लेखा-परीक्षक नियुक्त किये गये हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : ४५ उपक्रम समवाय विधि प्रशासन के अधीन है, १३ संविहित निगम हैं, और १६ विभिन्न प्रकार के विभागों के रूप में हैं। सभी के लिये एक ही लेखा-परीक्षक नहीं हो सकता। प्रत्येक निगम को यह अधिकार है कि वह अपने लेखों का परीक्षण कराने के लि प्रसिद्ध अधिकृत लेखापालों में से किसी को भी चुन सकते हैं।

†श्री कासलीवाल : माननीय मंत्री ने बताया था कि तीन उपक्रमों में कार्यकुशलता सम्बन्धी जांच की जा चुकी है। क्या यह जांच केवल आन्तरिक कार्यकुशलता के बारे में ही की गयी थी या कि बाह्य कार्यकुशलता भी की गयी थी ?

†श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य द्वारा किया गया उक्त अन्तर पूर्णतया गलत है। कार्यकुशलता का अर्थ ही कार्य कुशलता है। उसमें कार्य कुशलता सम्बन्धी सभी बातें आ जाती हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : योजना आयोग न इस सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट सुझाव दिये थे। क्या सरकार ने उन ठोस सुझावों पर विचार किया है और उन्हें कार्यान्वित किया है ? उसमें एक विशिष्ट सुझाव यह दिया गया है कि सभी सरकारी उपक्रमों में उत्पादिता के कार्य में कार्यकुशलता के सम्बन्ध में उपयुक्त जांच प्रारम्भ की जाये। क्या इस सुझाव के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को कोई हिदायतें भेजी गई हैं और क्या किसी भी सरकारी उपक्रम में इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : यही तो मैं कह रहा था। केन्द्रीय सरकार की ओर से सभी सरकारी उपक्रमों को ये हिदायतें भेज दी गई हैं कि उन्हें कुशलतापूर्वक कार्य करना चाहिये और वे अपनी उत्पादकता की जांच करें। वही तो वास्तव में कार्यकुशलता की जांच का रूप है जिस पर यह प्रश्न आधारित है। इस सम्बन्ध में कार्यवाहियां की जा रही हैं जांच यूनिटों द्वारा रिपोर्टें प्राप्त होने पर वे रिपोर्टें माननीय सदस्यों को उपलब्ध हो जायेंगी।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

+

*१०८२. { श्री भक्त दर्शन :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ५ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज़ का कारखाना स्थापित करने के जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा था, इस बीच उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) उस कारखाने के कब तक स्थापित हो जाने की आशा की जाती है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) आवश्यक कच्चा माल काफी परिमाण में उपलब्ध कराने की स्थिति बारे में राज्य सरकार अभी जांच कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में जांच पड़ताल में इतना समय क्यों ले रही है, क्या मैं यह जान सकता हूं ?

श्री मनुभाई शाह : बात यह है कि पहले तो जो रा-मैटीरियल १०० टन की बड़ी न्यूज़प्रिंट फैक्ट्री के लिये चाहिये वह वहां नहीं है, ऐसा शुबहा है। दूसरी बात यह है कि वहां से इकट्ठा करने क बाद वह इकोनोमिक प्राडक्शन होगा या नहीं, वह भी प्वाइंट पक्का करने का है।

श्री भक्त दर्शन : पिछली बार उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने बतलाया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार स्वयम् कुछ नहीं लगाना चाहती, लेकिन शायद कोई प्राइवेट कैपिटलिस्ट उस में रुपया लगाना चाहता है। तो क्या इस सम्बन्ध में कोई आशा की जा सकती है ?

श्री मनुभाई शाह : अभी कोई खास इंडस्ट्रियलिस्ट तैयार नहीं है क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि उन के लिये जितना कच्चा माल चाहिये वह वहां से अच्छी तरह हासिल हो सकता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तजरबों के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हो गया है कि २० प्रतिशत नरम लकड़ी और खोई के मिश्रण से अच्छा अखबारी कागज तैयार किया जा सकता है, क्या सरकार स्वयं इस कार्य को प्रारम्भ करेगी क्योंकि देश में पर्याप्त मात्रा में खोई और नरम लकड़ी उपलब्ध हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बड़ा अच्छा सुझाव है और वास्तव में बड़े उद्योग क्षेत्र में दो अखबारी कागज के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक में १०० टन की उत्पादन क्षमता होगी। अब इस क्षमता को बढा कर २०० टन कर देने का विचार है। इन में कुछ कागज तो खोई से बनांया जायेगा और कुछ यांत्रिक गूदे से बनाया जायेगा।

†**श्री राम कृष्ण राव** : क्या सरकार का देश के उन क्षेत्रों में भी कारखाने चलाने का विचार है जहां पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री उपलब्ध है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां, एक ब्यास और सतलुज के बेसिन में है।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो फैक्ट्री बतलाई जाती है उस का प्लान्ट कब तक लग जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जिन तीन प्लान्ट्स का मैंने जिक्र किया वे ढाई या तीन सालों में प्रोडक्शन शुरू करेंगे।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि ईस्टर्न यू० पी० और उत्तर बिहार में शुगर फैक्ट्रीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और वहां ज्यादा आसानी हो सकती है इसलिये क्या सरकार चाहती है कि वह वहां पर कोई कागज का कारखाना लगावे ?

श्री मनुभाई शाह : जी, हां, बिहार में दरभंगा और मुजफ्फरपुर में दो स्कीम्स १००, १०० टन की सोची जा रही हैं। गोरखपुर में एक स्कीम १०० टन की मंजूर की गई है, और ईस्टर्न यू० पी० की और जगहों के लिये दो और स्कीमों पर विचार हो रहा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह बतलाया है कि कब तक यह जांच पड़ताल पूरी होगी और कब तक इस के बारे में निर्णय किया जा सकेगा ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने बार-बार बतलाया है कि यह जानना इतना आसान नहीं है कि जंगलात के अन्दर कितनी लकड़ी है जिससे कि न्यूज़प्रिंट बन सकता है। यह दिक्कत का काम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसलिये जब जांच पड़ताल हो जायेगी तभी इस के बारे में सोचा जा सकता है। इस में ७ या ८ करोड़ रु० का इन्वेस्टमेंट है, इसलिये पूरी जांच पड़ताल के बाद ही इस काम को किया जा सकता है।

†**श्री गोरे** : क्या महाराष्ट्र में भी कोई ऐसी फैक्टरी स्थापित करने का विचार है जिसमें बगासे का इस्तेमाल किया जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां, जिन दो कारखानों का मैंने उल्लेख किया है वे महाराष्ट्र के ही हैं।

श्री पद्म देव : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में पल्प और दूसरी चीजें बहुत मिलती हैं जिनसे आसानी के साथ पेपर बन सकता है ? क्या वहां कोई ऐसी योजना नहीं हो सकती जिससे इस इंडस्ट्री को लाभ हो ?

अध्यक्ष महोदय : १४ स्टेटस् हैं। सभी स्टेटों के बारे में कैसे उत्तर दिये जा सकते हैं। मूल प्रश्न का सम्बन्ध केवल उत्तर प्रदेश से है।

लंका में भारतीय

+

†*१०८३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री तंगामणि :
सरदार इकबाल सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मुहम्मद इलियास : }

क्या **प्रधान मंत्री** २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इस बात का पता किया है कि लंका में विदेशियों पर लगाये जाने वाले प्रस्तावित कर का भारतीय राष्ट्रजनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) और (ख). लंका स्थित हमारे उच्चायोग ने, जिसने आवास वीसा शुल्क[1] में प्रस्थापित वृद्धि के होने वाले प्रभावों पर विचार किया है, यह लिखा है कि इसका लंका में स्थित लगभग ३४,००० भारतीय राष्ट्रजनों पर असर पड़ेगा। इन में से भी उन भारतीयों पर सबसे अधिक असर पड़ेगा जो कि छोटे-छोटे दुकानदारों तथा छाबड़ी वालों के समान स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार चला रहे हैं। प्रस्तावित वीसा शुल्क को बढ़ा देने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये विधान अभी संसद् को प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिये इस योजना के बारे में अभी ज्ञात नहीं है।

(ग) लंका सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि वह निम्नलिखित व्यक्तियों को बढे हुये शुल्कों की अदायगी से छूट देने के औचित्य पर विचार करे :—

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Residence Visa Fee.

(१) वे व्यक्ति जो कि अक्तूबर, १९५४ के बाद भारतीय नागरिकों के रूप में पंजीबद्ध हुए हैं और जिन्हें अक्तूबर, १९५४ के भारत-लंका करार के अनुसार ५५ वर्ष की आयु तक रोजगार जारी रखने के सम्बन्ध में आश्वासन दिया गया है और (२) पत्नियों, बच्चों और ऐसे व्यक्तियों को जिनका अच्छा रोज़गार नहीं चल रहा है । भारत सरकार और लंका स्थित उच्चायोग इस सम्बन्ध में होने वाले विकास पर निरन्तर नज़र रखे हुये हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सरकार को लंका सरकार से इस सुझाव के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री सादत अली खां** : जी नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : लंका की सरकार ने कोई निश्चित रूप से सुझाव नहीं दिया था । जहां तक मुझे स्मरण है, वहां के वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान केवल यही उल्लेख किया था कि लंका के राष्ट्रजनों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की वीसा फीस २ रुपये प्रति वर्ष से बढ़ा कर ४०० रुपये वार्षिक कर दी जाये, सिवाय उन व्यक्तियों के जो कि किन्हीं उपक्रमों में लगे हुये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या वहां से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि भारत और लंका दोनों ही राष्ट्र मण्डल के सदस्य हैं, क्या इस प्रकार का कर लगाना राष्ट्र मण्डल के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : राष्ट्र मण्डल के देशों में इस प्रकार का कोई भी समझौता नहीं है कि राष्ट्र मंडल का कोई देश अपनी वीसा फीस या अन्य शुल्कों में वृद्धि नहीं करेगा । माननीय सदस्य का ऐसा अपना मत हो सकता है । परन्तु वास्तव में यह राष्ट्र मण्डल के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं है ।

†**श्री तंगामणि** : एक अन्य अवसर पर यह बताया गया था कि लंका में रहने वाले ३८,००० गैर-लंकावासियों में से ३६,००० भारतीय राष्ट्रजन हैं । हमें भी बताया गया है कि छोटे-छोटे काम करने वाले दुकानदारों, दरजियों, नाइयों आदि पर इसका असर होगा । मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के छोटे काम करने वाले कितने भारतीय हैं और क्या सरकार उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से अभ्यावेदन भेजेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम पहले ही एक अभ्यावेदन भेज चुके हैं । माननीय सदस्य चाहते हैं कि विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये विशेष अभ्यावेदन भेजा जाये । यदि मौका पैदा हुआ तो वैसा भी कर दिया जायेगा ।

†**श्री तंगामणि** : बर्मा में भी इसी प्रकार की समस्या पैदा हुई थी । परन्तु यहां पर तो कर ४०० रुपयों तक बढ़ाया जा रहा है । क्या प्रधान मंत्री ने लंका की प्रधान मंत्री से हाल ही में उनके दौरे के समय इस बारे में कोई बातचीत की थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या इस कर के परिणाम स्वरूप अभी तक किन्हीं भारतीयों ने लंका को छोड़ दिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वैसे तो बहुत से लोग लंका से यहां वापिस आये हैं, परन्तु उनके कई कारण हो सकते हैं। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में कारणों की खोज न की जाये, तब तक यह बताना कठिन है कि क्या वे कर लगने के कारण आये हैं या किसी और कारण से आये हैं ?

†श्री जीन चन्द्रन : क्या लंका से भेजे गये व्यक्तियों को निष्क्रान्त व्यक्ति समझा जायेगा और उन्हें सहायता दी जायेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं, यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

†श्री तंगामणि : क्या उन व्यक्तियों पर भी जो भारतीय उद्भव के व्यक्ति हैं, और जिनके पास वीसा परमिट नहीं है, इसका कोई असर पड़ेगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि उनके पास परमिट नहीं है तो वे अवैध रूप से लंका में दाखिल हो गये हैं और ऐसे लोगों के साथ अवैध आप्रवासियों जैसा व्यवहार किया जायेगा।

†श्री तंगामणि : वहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया है। क्या उन पर भी यह नियम लागू होगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह नियम लंका के गैर-नागरिकों पर लागू होता है। परन्तु यह उन बहुत से भारतीय उदभव के व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो कि भारतीय राष्ट्रजन नहीं हैं।

†श्री तंगामणि : क्या सरकार को लंका से इन भारतीयों की संस्थाओं में से किसी की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और क्या उनके उच्चायुक्त को इस अभ्यावेदन के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त है ?

†श्री सादत अली खां : हमें कोई भी अभ्यावेदन सीधा उनसे प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु लंका स्थित भारतीय उच्चायोग से वे वहां की संस्थायें सम्पर्क स्थापित कर रही हैं।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : जो लंका निवासी भारत आते हैं उन पर कितना वीसा शुल्क लगाया जाता है और क्या उसे बढ़ा देने के सम्बन्ध में कोई विचार है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। परन्तु वह शुल्क बहुत कम है।

कांगो

+

†*१०८४. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कांगो में क्या स्थिति है और वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना सामान्य रूप से और भारतीय सैनिक टुकड़ियां विशेष रूप से, क्या कार्य कर रही हैं ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या वहां की अनिश्चित राजनैतिक स्थिति में कोई सुधार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) से (ग). कांगों के सम्बन्ध में प्रैस में जैसी रिपोर्ट छप रही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी सरकार बता नहीं सकती । जैसा कि ज्ञात है, २८ फरवरी को सुरक्षा परिषद द्वारा स्वीकार किये गये संकल्प के अधीन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से प्राप्त प्रार्थना के प्रत्युत्तर में भारतीय टुकड़ियों को कांगों भेज दिया गया है । हमारे सैकड़ों सैनिक वहां पर बिना किसी दुर्घटना के पहुंच गये हैं । और शेष अभी मार्ग में हैं । भारतीय टुकड़ियां, जो कि मुख्य रूप से शान्ति के उद्देश्य से गयी हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की शेष टुकड़ियों के साथ मिल कर सुरक्षा परिषद् के संकल्प की कार्यान्विति के कार्य में सहायता करेंगी।

†**श्री श्रीनारायण दास** : वहां भेजी गयी भारतीय सेनाओं के सम्बन्ध में कांगो के लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वहां के लोगों की सामान्य प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में उत्तर देना मेरे लिये बड़ा कठिन है। मेरा अनुमान है कि अधिकांश लोग शान्ति से हैं और कुछ आलोचना भी कर रहे हैं । परन्तु उस सम्बन्ध में निश्चित रूप से उत्तर देना कठिन है क्योंकि इस समय कांगों में आपसी भेदभाव है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : वहां के विभिन्न दलों में समझौता पैदा करने के कार्य में संयुक्त राष्ट्र संघ समझौता आयोग को कितनी सफलता मिली है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि उसे अधिक सफलता मिली हो । उसने हाल में ही संयुक्त राष्ट्र संघ को एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें उसने कांगो में हो रही बहुत सी बातों की आलोचना की है ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** : यदि स्टेनलेवील सरकार ने कांगो के दूसरे प्रांतों पर आक्रमण किया, तो क्या हमारी सेनाओं का इस्तेमाल किया जायेगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पहली बात तो यह है कि यह कल्पना ही निराधार है कि स्टेनलेवील की सेनाओं ने अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किया है । मैं समझता हूं कि केवल २०० या ३०० व्यक्ति लगभग तीन सप्ताह पहले किसी अन्य क्षेत्र में प्रविष्ठ हो गये थे, परन्तु फिर वापस दर्रों में छिप गये थे । परन्तु उस घटना का भारतीय सैनिकों से कोई सम्बन्ध नहीं है जो कि स्टेनलेवील या किसी और प्रांत से बहुत दूर हैं । परन्तु एक विशेष बात जिस पर हमने बहुत जोर दिया था, वह यह थी कि भारतीय सैनिकों को कांगो के किसी भी लोकप्रिय आन्दोलन के विरुद्ध इस्तेमाल न किया जाये ।

†**श्री राधा रमण** : क्या श्री लुमुम्बा की हत्या के सम्बन्ध में जांच करने के लिये कोई जांच समिति स्थापित की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार---यह जानकारी नवीनतम नहीं है---महासचिव ने हेग न्यायालय से यह कहा है कि वह इस प्रयोजन के लिये कुछ न्यायाधीशों का नामनिर्देशन करें ।

†श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान प्रेजीडेन्ड शोम्बे के इस बयान की ओर आकृष्ट किया गया है कि वहां पर भारतीय टुकड़ियों के पहुंचने का अर्थ है युद्ध की घोषणा ? इस बयान के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : समाचार पत्रों में मैं ने यह रिपोर्ट पढ़ी है । इस सम्बन्ध में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यह एक गैर-जिम्मेवार व्यक्ति द्वारा दिये गये किसी गैर-जिम्मेवार बयान के समान है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : यदि यह एक गैर-जिम्मेवार बयान है तो क्या महासचिव का ध्यान इस गैर-जिम्मेवार बयान की ओर आकर्षित किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी, हां । हम वहां के राजदूत के निरन्तर सम्पर्क में रहते हैं और उनका ध्यान इन स्थितियों की ओर आकर्षित करते रहते हैं ।

†श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि हिन्दुस्तान की फौज कांगों में गई है तो हालत यह है कि एक तरफ तो रूस सेक्रेटरी जनरल श्री हैमरशोल्ड की शिकायत करता है, दूसरी तरफ कांगों के अन्दर एक पार्टी है जो कि श्री राजेश्वर दयाल की शिकायत करती है और तीसरी तरफ यू० एस० ए० है जो कि किसी ओर नहीं देखता है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो हमारी फौज भेजी गई है और जब कि वहां इस तरह की गड़बड़ी है तो हमारे प्रधान मंत्री जी अभी विलायत गये थे तो उन्होंने कम से कम रूस, अमरीका, इंग्लेण्ड और फ्रांस ये चार देश हैं इनसे मिल कर कोई बातचीत की कि जिससे यह कांगों का मामला निबट जाय क्योंकि अगर यह मामला नहीं सुलझता है तो हिन्दुस्तान की फौज आफत में पड़ जायेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं वे कुछ सही हैं, काफी पेच हैं इन सब बातों में लेकिन वहां लंदन जाकर तो मैं यह बातें रूस वगैरह से नहीं कर सकता था । लेकिन यह सवाल वहां कांगों कान्फ्रेंस में उठे थे और इस के बारे में शायद थोड़ी देर बाद मैं कुछ अर्ज करूं ।

†श्री आचार : क्या यह सच है कि कुछ एक पाश्चात्य राजदूतावास तथा मिशन वहां भेजी गयी भारतीय सेनाओं के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि भारत वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजदूतावासों के कुछ प्रतिनिधि स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ का और कुछ सीमा तक भारतीय सेनाओं का भी विरोध कर रहे हैं ।

†श्री त्यागी : क्योंकि कांगों में इस समय सब से अधिक हमारे सैनिक हैं, अतः क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ से यह कहा है कि वहां की संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनाओं के सेनापति के रूप में किसी भारतीय को ही नियुक्त किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने उस सम्बन्ध में कोई निश्चित यत्न नहीं किया है, परन्तु हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय सैनिकों को भारतीय कमान के अधीन ही रहने दिया जाय ।

†श्री अजित सिंह सरहदी : भारतीय सनिकों को जिन शर्तों के अधीन वहां भेजा गया है, उनमें से एक यह है कि उन सैनिकों को वहां के किसी भी लोकप्रिय आन्दोलन के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किया जायेगा । परन्तु उस बात का निर्णय कौन करेगा कि क्या कोई आन्दोलन लोकप्रिय है या नहीं ? क्या यह निर्णय महासचिव करेगा, या सेनापति करेगा या हमारी ब्रिगेड का कमाण्डर करेगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि यह तो एक सामान्य दृष्टिकोण है जिसके अनुसार उन्हें कार्य करना है । जब कोई अवसर पैदा होगा, उस समय विभिन्न दलों द्वारा उस पर विचार किया जायेगा । परन्तु सामान्यतया वैसा प्रश्न कभी उत्पन्न नहीं होता । परन्तु हम ने वह स्पष्टीकरण कर दिया है ताकि कोई भ्रम न रहे ।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या री हमा सेनायें सारे कांगों में फैला दी जायेंगी । या कि वे किसी एक ही स्थान पर हमारे अपने कमाण्डर के अधीन रहेंगी ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें बहुत अधिक इधर उधर न बिखेरा जाये । अतः सामान्य रूप से मैं यही कह सकता हूं कि उन्हें बिखेरा नहीं जाना चाहिये ।

चीनी के कारखानों की मशीनें

+

†*१०८५. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या १९६० में चीनी के कारखानों की मशीनों के उत्पादन का जितना अनुमान था, वह पूरा हो गया है ;

(ख) क्या इस वर्ष के प्रारम्भ में जो पहले चार कारखाने चालू होने थे, वे चालू हो गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) पहले चार चीनी कारखाने, जिनमें इस वर्ष के आरंभ में उत्पादन आरंभ किया जाना था, की स्थापना की स्थिति नीचे दी जाती है :—

१. कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना, रेठोर, महाराष्ट्र राज्य	कारखानों का भवन लगभग पूरा हो चुका है और आशा है कि वह चालू मौसम में काम आरंभ कर देंगे ।
२. हिरण्यकेशी सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटेड, राकेश्वर, (मैसूर राज्य)	

†मूल अंग्रेजी में

(३) घोड़ावरम कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, घोड़ावरम (आन्ध्र प्रदेश)	आशा है कि इन कारखानों में १९६१–६२ में उत्पादन आरंभ हो जायेगा ।
(४) अमदालावलासा को-आपरेटिव शुगर फैक्टरी अमदालावलासा (आन्ध्र प्रदेश)	

(ग) पिछले दो कारखानों में अनुसूची के अनुसार उत्पादन न होने का मुख्य कारण घोड़ावरम कारखाने के लिए भूमि छांटने में विलम्ब है तथा अमदालावलासा कारखानें के मामले में साख पत्र जारी करने में बिलम्ब है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से पता लगता है कि चारों कारखानों में चीनी का उत्पादन करने के लिए मशीनें आदि लग चुकी हैं। क्या सरकार चीनी के कारखानों के लिए और मशीनें बनाने का विचार कर रही है ; और यदि हां, तो १९६१–६२ में और कितनी मशीनें बनाई जायेंगी?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा यह कार्यक्रम है कि इन मशीनों को बनाने वाले वर्तमान लाइसेंसधारी तथा निर्माता प्रत्येक वर्ष २१ चीनी के कारखानों के लिये मशीनें बनायेंगे। इनमें से १२ संयन्त्र नये कारखानों के लिये होंगे तथा ९ वर्तमान चीनी के कारखानों के पुराने संयन्त्रों के स्थान पर लगाये जाने के लिये।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इन चारों चीनी के कारखानों के लिए सरकार कोई अग्रिम धन, सहायता अथवा ऋण देगी; और यदि हां, तो इस ऋण अथवा सहायता की राशि कितनी होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सहकारी चीनी कारखानों को सहायता तथा ऋण दिया जाता है, परन्तु निर्माताओं को कोई धन नहीं दिया जाता है। सहकारी चीनी कारखानों को मशीनें तथा यंत्र खरीदने के लिए सहायता दी जाती है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : एक चीनी कारखाने के एकक के निर्माण में कितना समय लग जाता है। यह एकक एक ही संस्था को दिया जाता है अथवा विभिन्न संस्थाओं में वितरित किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यतः १८ महीने लग जाते हैं। सभी पुर्जे एक ही कारखाने में बनाये जाने के बारे में स्थिति यह है कि विभिन्न एकक अलग अलग पुर्जों का निर्माण करते हैं। इसके बाद एक पार्टी पूरी गारन्टी लेती है। सहकारी चीनी कारखानों को ये मशीनें इकट्ठी दी जाती हैं।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में एक चीनी का कारखाना बनाने के लिए कुछ मशीनों के पुर्जे भेजने में बिलम्ब हुआ था ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मनुभाई शाह : पुर्जे भेजने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था । विलम्ब केवल इसलिए हुआ था क्योंकि पुर्जों के लिए रुपया उस व्यक्ति के पास नहीं था और हम कुछ रुपया उसको देने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†श्री सुबोध हंसदा : माननीय मंत्री ने बताया कि दो चीनी के कारखाने इस मौसम में ही चालू हो जायेंगे। इस मौसम के समाप्त होने में थोड़े ही दिन शेष है। क्या वास्तव में ही ये कारखाने चालू हो जायेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : उन्होंने उत्पादन भी आरंभ कर दिया है। अब तक वह ठीक काम कर रहे हैं। भविष्य में क्या हो यह कोई नहीं जानता। परन्तु यह दोनों संयंत्र शत-प्रतिशत इसी देश में बनाये गये थे।

†श्री विश्वनाथ रेड्डी : प्रत्येक "कन्सोर्टियम" को एक फैक्टरी के लिये सब मशीनें बनाने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा आवंटित की जाती है ?

†श्री मनुभाई शाह : पहले यह रकम १५ लाख रुपये थी, परन्तु हमने अब इसको घटाकर १० लाख रुपया कर दिया है। हमने अब इसको भी ७ लाख रुपया करने को कहा है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या पुर्जों के निर्माण के लिए सहायक उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

†श्री मनुभाई शाह : ६० से भी अधिक इस समय भी काम कर रही हैं और हम उनको और प्रोत्साहित कर रहे हैं।

†श्री काशीनाथ पांडे : देश में चीनी का अधिक उत्पादन हो रहा है तो क्या इसकी आवश्यकता थी कि और कारखाने स्थापित किए जायें ?

†श्री मनुभाई शाह : थोड़ी कमी अथवा बेशी से देश के औद्योगिक कार्यक्रम को नहीं आंका जा सकता । देश की प्रगति के साथ साथ, जीवन स्तर बढ़ता है और अधिक चीनी का उपयोग होने लगता है।

†श्री तंगामणि : आन्ध्र प्रदेश के दोनों कारखानों में किस निश्चित तिथि से उत्पादन होने लगेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : निश्चित तिथियों तो नहीं बताई जा सकती हैं परन्तु उनमें १९६२–६३ में गन्ना पेरा जाने लगेगा।

†श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी ने बतलाया कि देश में शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है वह और भी बढ़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जो शुगर तैयार होती है उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन कम पड़े और वह दूसरे देशों की शुगर के साथ कम्पीट कर सके, इसके सम्बन्ध में हमारी सरकार क्या सोच रही है ?

श्री मनुभाई शाह : यह सही है कि हमारी शुगर काफी मंहगी बनती है। उसके लिए हम काफी रिसर्च कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रति एकड़ ज्यादा गन्ना पैदा हो सके और माननीय

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य को जानकर आनन्द होगा कि महाराष्ट्र, आन्ध्र, मद्रास और मैसूर में, चूंकि वहां की साइल इसके लिए ज्यादा सूटेबिल है, गन्ने का उत्पादन प्रति एकड़ ४५ टन से लेकर ७५ टन तक हो रहा है।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या 'कन्सोर्टियम' के सदस्यों द्वारा अभ्यावेदन दिया गया है कि मशीनों के निर्माण का काम विभिन्न एककों को सौंपने के बजाये एक ही एकक द्वारा कराया जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है। इस समय भी ऐसा ही किया जा रहा है। मशीन सप्लाई करने की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर होती है, परन्तु निर्माण कोई भी कर सकता है।

†**श्री तंगामणि** : विवरण से पता लगता है कि आन्ध्र प्रदेश के छोड़वरम और अमदालावलासा के दोनों कारखानों में उत्पादन १९६१–६२ में आरंभ हो जायेगा। परन्तु माननीय मंत्री ने बताया कि उत्पादन १९६२–६३ में आरंभ होगा। इनमें उत्पादन कब आरंभ होगा १९६१–६२ में अथवा १९६२–६३ में ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं १० दिन पहले ही हैदराबाद गया था और वहां मुख्य मंत्री से मिला था। बड़े ही दुख की बात है कि सहकारी समितियों में झगड़ा होने के कारण भूमि का चुनाव नहीं हो सका था। यद्यपि हमारा विचार १९६१–६२ में चालू करने का था, परन्तु ठीक अनुमान लगाया गया है १९६२ अर्थात् १९६२–६३ में उत्पादन आरंभ हो जायेगा ।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार की यह नीति नहीं है कि मशीनों के विभिन्न पुर्जों के निर्माण एक ही स्थान पर कराने के बजाये देश के विभिन्न भागों में उनका निर्माण कराया जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, यही नीति है।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** : कुल कितने चीनी के कारखाने हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस समय लगभग १९७ है तथा ४३ बनाने का विचार है।

लंका को कपड़े का निर्यात

†*१०८७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में अब तक लंका को कपड़े के निर्यात के बारे में स्थिति क्या है; और

(ख) स्थिति का सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक नोट सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) १९६०–६१ के पहले नौ महीने के भारत से लंका को सूती कपड़े के निर्यात से आशा की जाती है कि लगभग वही निर्यात होंगे जो १९५९-६० में थे अर्थात् २५० लाख गज ।

(ख) लंका में कपड़े का निर्यात बढ़ाने के लिए सूती कपड़ा निर्यात वृद्धि परिषद ने कोलम्बो में दिसम्बर १९६० के तीसरे सप्ताह में एक भारत-लंका कपड़ा समारोह मनाया था। इसी समारोह के उपलक्ष में इण्डिया शोरोम में भारतीय सूती कपड़े की प्रदर्शनी की गई थी। इस प्रदर्शनी को बड़ी सफलता मिली और आशा है कि लंका भारतीय कपड़े की मांग करेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनायें जारी की जा रही है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सूती कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद ने भारतीय कपड़ा निर्माता संस्था को सुझाव दिया है कि वहां पर एक स्थायी प्रदर्शन कक्ष बना दिया जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उसी सुझाव के अनुसार काम किया जा रहा है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या वह खोल दिया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अभी नहीं ।

†**श्री कासलीवाल** : विवरण में यह नहीं बताया गया है कि निर्यात किए गए २५० लाख गज कपड़े में से कितना हाथ का कता हुआ होगा तथा कितना मिल का बनाया हुआ होगा । क्या माननीय मंत्री अलग अलग आंकड़े बता सकते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह कुल आंकड़े हैं । मैं अलग अलग आंकड़े बता सकता हूं ।

†**श्री हेम बरुआ** : हमारे हथकरघे के निर्यात का ८० प्रतिशत 'सारंग' निर्यात किया जाता है तो क्या मैं जान सकता हूं कि लंका द्वारा हमारे देश से 'सारंग' का आयात आधा करने के कारण, उसका हमारे देश के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसका इस प्रश्न से संबंध नहीं है । परन्तु फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि हम संबंधित सरकारों से पत्र-व्यवहार कर रहे हैं कि वह इस प्रकार का प्रतिबन्ध न लगायें ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आन्तरिक संसाधन

†*१०८८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए देश के आन्तरिक संसाधनों को जुटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या कुछ योजनायें बनायी गयी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ये योजनाएं क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). १९६१-६२ के केन्द्रीय तथा राज्यों के बजटों में बताया गया है कि आगामी वर्षों में क्या कार्यवाहियां की जायेंगी । योजनायें बनाने की समस्या नहीं है परन्तु कराधानो, सरकारी कारखानों के अधिक धन को बढ़ाने, ऋण, अन्य बचत आदि के द्वारा साधनों को बढ़ाने की समस्या है । प्रारूप की रूपरेखा में उन सभी कार्यवाहियों को बताया गया है जो की जानी हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि सरकार पूंजीपतियों से उनके लाभ का एक अंश तीसरी योजना के लिए लेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे ही अथवा करारोपण के द्वारा ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अधिक लाभ का अंश ऐसे ही ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भी एक प्रकार का कर ही हुआ ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा)** : करारोपण के द्वारा ही अधिक लाभ का अंश लिया जा सकता है । प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर बजट पर चर्चा के समय दिया जा चुका है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : १९६१-६२ में केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों को कितने आन्तरिक साधन उपलब्ध किए जायेंगे इसका प्राक्कलन क्या है तथा कितने दे दिए गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सब बजट में दिया गया है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : राज्य बजटों में पर्याप्त साधनों की व्यवस्था नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों में कितनी कमी है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : केवल उड़ीसा को छोड़ कर अन्य सभी राज्यों ने इस वर्ष के बजट में अतिरिक्त करारोपणों के द्वारा १६ करोड़ रुपये के अतिरिक्त साधन जुटा लिए हैं । मैं नहीं जानता उनका अपना प्राक्कलन क्या है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : कम आन्तरिक साधनों के कारण क्या सरकार बैंकों समेत सभी उद्योगों तथा सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण करना चाहेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वित्त विधेयक पर चर्चा के समय माननीय सदस्य को अवसर मिलेगा ।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

***१०८९. श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के पश्चात यह पता लगाया है कि देश के अन्दर अब कौन कौन से पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में विकसित करने की आवश्यकता है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन से पिछड़े हुए इलाके हैं और उन के विकास के लिए क्या क्या किया जायेगा ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). प्रादेशिक विकास की समस्याओं के सम्बन्ध में गठित कार्यकारी दल इस समस्या का अध्ययन कर रहा है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि थर्ड फाइव यीअर प्लान का कार्य-कलाप शुरू हो गया है और हमारी सरकार अभी स्टडी ही कर रही है, इस के क्या माने हैं ।

श्री ल० ना० मिश्र : जैसा कि माननीय योजना मंत्री ने पहले दिन बताया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने में इस का ख्याल रखा गया है और स्टेट गवर्नमेंटस के जो लोग यहां आये थे, हम ने उन से कह दिया था कि योजना बनाते समय वह पिछड़े इलाकों का ख्याल रखें ।

श्री विभूति मिश्र : जिस प्रकार हिल्ली एरियाज के लिये एक परामशदात्री समिति —एडवायजरी कमेटी बनाई गई है, क्या सरकार बैकवर्ड एरियाज के लिये भी उस तरह की कोई कमेटी बनायेगी, ताकि उस से राय ले कर काम चलाया जाये ।

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा) : माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उस के अनुसार काम कर दिया गया है और एक वर्किंग ग्रुप कान्टीन्युअसली—सतत—इस बात पर विचार कर रहा है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : क्या कार्यकारी दल ने निर्णय कर लिया है कि पिछड़ेपन का आधार क्या होगा ?

†**श्री रंगा** : उत्तर प्रदेश ।

†**श्री नन्दा** : कई आधार बनाये गये हैं और कुछ बनाये जा रहे हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : गवर्नमेंट ने इस विषय में डिफरेंट काइटेरियन बनाए हैं । देश के कौन से भागों को बैकवर्ड एरियाज करार दिया गया है, क्या इस विषय में कोई सूची तैयार हुई है और यदि हुई है, तो क्या माननीय मंत्री उस को बताने की कृपा करेंगे ?

†**श्री नन्दा** : कुछ क्षेत्र कुछ मामलों में प्रगति कर गये हैं और कुछ मामलों में पिछड़े हुए हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या उनके पास पिछड़े क्षेत्रो की कोई सूची है ।

†**श्री नन्दा** : हमने राज्य सरकारों से कहा है कि अपने पिछड़े क्षेत्रों के नकशे बनायें और उनके लिए विशेष प्रबन्ध करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कराइकल पत्तन को पुनः चालू करना

†*१०९०. **श्री आचार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के व्यापारियों और व्यवसाइयो ने कराइकल को प्रभारमुक्त पत्तन (फ्री पोर्ट) के रूप में पुनः चालू करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्ती में प्रभारमुक्त पत्तन की आवश्यकता के क्या विशेष कारण बताये हैं ;

(ग) भारत में किसी स्थान पर प्रभारमुक्त पत्तन स्थापित करने के लिए किन मुख्य कारणों तथा परिस्थितियों का होना आवश्यक है ; और

(घ) इस बार में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) जी हां।

(ख) उन्होंने कहा है कि कराइकल, जो फ्रांसीसी काल में प्रभारमुक्त पत्तन था, को भारत में अन्य बन्दरगाहों के बजाये, पुनः निर्बाध पत्तन बना देना चाहिए क्योंकि ऐसा करना वाणिज्य तथा उद्योग पुनः विकास के लिए, बेकार मजदूरों के पुनर्वास के लिए तथा पांडिचेरी राज्य में साधनों का उपयोग करने के लिये आवश्यक था ।

(ग) और (घ). सरकार का विचार भारत में कोई निर्बाध पत्तन बनाने का नहीं है । इसलिए कराइकल को पुनः प्रभारमुक्त पत्तन बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री आचार** : क्या कांडला को 'फ्री पोर्ट' घोषित कर दिया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह 'फ्री पोर्ट' नहीं है । यह 'फ्री जोन' है जो उससे भिन्न है ।

†**श्री आचार** : क्या पांडिचेरी और कराइकल में बहुत बेरोजगारी है तथा व्यापार में बड़ी कठिनाइयां हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सहायता कर लेने के लिए कुछ करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ऐसा इस कारण है कि इसको निर्बाध पत्तन घोषित नहीं किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि इसका फ्री पोर्ट से कोई संबंध नहीं है । पांडिचेरी सरकार तथा केन्द्रीय सरकार प्रयत्न कर रहे हैं कि इस समस्या को हल किया जाये ।

†**श्री तंगामणि** : कांडला को 'फ्री जोन' घोषित कर दिया गया है । क्या यही व्यवस्था पांडिचेरी और कराइकल में भी की जा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सभी को 'फ्री जोन' घोषित करने के बजाये हम कांडला को 'फ्री जोन' बना कर एक प्रयोग कर रहे हैं । यदि इसमें सफलता मिली तो हम इसको अन्य क्षेत्रों पर भी लागू कर देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चलचित्र विभाग द्वारा प्रलेख-चित्रों का निर्माण

+
†*१०९१. { श्री विभूति मिश्र :
श्री उस्मान अली खाँ :
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चलचित्र विभाग (फिल्म्स डिवीजन) को राज्य सरकारों के लिये स्थानीय विषयों के बारे में प्रलेख चित्र बनाने का काम हाथ में लेना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्योरा क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री ग्रा० चं० जोशी)** : १३ मार्च १९६१ को इसी विषय पर तारांकित प्रश्न संख्या ७८७ पूछा गया था । मैं वही उत्तर पुनः दोहराता हूं :—

(क) विभिन्न राज्य सराकरों के लिए स्थानीय विषयों के बारे में प्रलेख चित्र बनाने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है । सभी राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए लिखा गया है ।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री ने अभी यह बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के विचार के लिये लिखा गया है । स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस बारे में कुछ जवाब दिया होगा । यदि उन्होंने जवाब दिया है, तो वह क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जवाब का सवाल नहीं है । स्टेट गवर्नमेंट्स अगर फिल्म बनवाना चाहें, तो उन के लिये फिल्म्ज बनाई जायेंगी । अगर माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट्स फिल्म्ज बनवाना चाहती हैं, तो उस के लिये नोटिस चाहिए ।

श्री त्यागी : क्या गवर्नमेंट ने इस तजवीज पर गौर किया है कि हिन्दुस्तान के लोगों को दुनिया भर से वाकिफ करने के लिये एम्बैसीज से या फिल्म्ज सैक्शन्ज से डायरेक्ट दुनिया भर की फिल्म्ज मंगा ली जायं और उन को जगह जगह लोगों को दिखाया जायें कि कौन से मुल्क में तरक्की हो रही है और वहां क्या हालत हैं ?

डा० केसकर : यह इस सवाल से नहीं उठता है, हालांकि हो सकता है कि माननीय सदस्य के सुझाव पर हम विचार करें ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : इस आधार पर कि फिल्मों का जनता के मन पर शीघ्र प्रभाव पड़ता है क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिक एकता, सहयोग अथवा सह-अस्तित्व विषयों पर फिल्मों की योजना बनाने का है ? क्या इस प्रकार की फिल्मों को मध्य प्रदेश तथा अन्य ऐसे प्रदेशो में दिखाने का है तथा यदि हां तो योजना क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० केसकर : ऐसी योजना की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य द्वारा बताये गये विषयों पर फिल्में बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए साम्प्रदायिक एकता पर एक फिल्म बनाई जा रही है।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में कोई प्रलेख चित्र बनाने का विचार है ?

†डा० केसकर : अभी नहीं।

†श्री अरविंद घोषाल : राज्यों के लिए बनाई गई फिल्मो की भाषा क्या होगी ?

†डा० केसकर : निश्चित रूप से जिस समय राज्य के लिए फिल्म बनाई जायेगी वह उसी राज्य की भाषा में होगी।

जादूगुडा (बिहार) में यूरेनियम की खान

†*१०६२. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में जादूगुडा में स्थित यूरेनियम की खान को विकसित करने और वहां पर एक विधायन सं त्र (प्रोसेसिंग प्लान्ट) स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर क्या लागत आयेगी ;

(ग) यह योजना पूरी तरह कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ; और

(घ) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खाँ)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना की कुल लागत ८.५ करोड़ रुपये कूती गई थी जिस में से ५ करोड़ रुपये विकास और खान के लिये हैं और ३.५ करोड़ रुपये यूरेनियम अयस्क के प्रोसैसिंग के लिये संयंत्र की स्थापना के लिये हैं।

(ग) आशा है कि विधायन संयंत्र १९६३ के अन्त तक चालू हो जायेगा और योजना (यूरेनियम के खान, विकास और उत्पादन समेत) इस के बाद पूरे उत्पादन के लि बना ली जायेगी।

(घ) जादूगुडा खान में ८,८०० फीट खनिज खोज का काम तथा दोनों स्तरों के विकास का काम और नया स्तर आरंभ करने का काम किया गया है। ज़मीन के ऊपर तथा ज़मीन के नीचे ड्रिलिंग की जा रही है और काम हो रहा है।

विधायन सं त्र के बारे में 'लैबोरेटरी स्केल' पर तथा 'टन स्केल' पर खनिज अयस्क की जांच की गई कि उ में यूरेनियम है अथवा नहीं। प्रोसैस का एक तरीका निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे स्थान की भी खोज की गई है जहां से खान, मिल और रहने की कालोनी के लिये पानी लिया जा सके।

†श्री प्र० चं० बरुआ : इस स्थान पर कितने यूरेनियम निक्षेप (रिजर्व) होने का अनुमान है। हमारे देश की यूरेनियम की इस समय क्या अपेक्षा है और तीसरी योजना के अन्त तक क्या होगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खाँ** : पूरा विकास हो जाने के बाद यूरेनियम का प्राक्कलित उत्पादन लगभग ७०० टन प्रति दिन होगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि यूरेनियम की हमारी इस समय क्या आवश्यकता है और तीसरी योजना के अन्त तक हमें यह कितना चाहियेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अपनी आवश्यकताओं के आंक`मैं नहीं बता सकता हूं । हमारे देश की अणु शक्ति के विकास पर ही यह आ ारित है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इस खान का प्रबन्ध सरकार स्वयं करती है अथवा कोई गैर-सरकारी समवाय करता है ?

†**श्री सादत अली खाँ** : इस को भारत सरकार का एक उपक्रम मैसर्स इंडियन रेअर अर्थ लिमिटेड चलाता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : खान खुले में चलाई जाती है अथवा भूमिगत है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संभवतया दोनों ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : खान के कार्यवहन के लिये अथवा संयंत्र की स्थापना के लिये विदेशी सहयोग मांगा गया था और यदि हां तो कहां से ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि इस मामले में नहीं ।

दिल्ली प्रशासन के एम्पलायमेंट अफसर

+

*१०६३. { **श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन एम्प्लायमेंट अफसरों की नियुक्ति किस आधार पर होती है ?

(ख) क्या पड़ौसी राज्यों से भी ऐसे अफसरों को डेपु`शन पर बुलाया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो अधिक से अधिक कितने समय तक के लिये उन को डेपुटेशन पर रखा जा सकता है ;

(घ) क्या कुछ ऐसे भी अफसर हैं जोकि अपनी अवधि समाप्त कर चुकने के पश्चात् भी काफी समय से कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार उन को अपने पुराने का लियों में वापस भेजने का विचार कर रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जहां तक डेपुटशन पर आये हुए अफसरों का सवाल है उन का चुनाव राज्य सरकारों द्वारा दिये गये कामकाज के रिकार्डों पर निर्भर होता है । बाकी अफसरों की तरक्की विभागीय तरक्की समिति की सिफारिश पर होती है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां ।

(ग) आम तौर पर चार साल ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी हां, अगर इन ओहदों के लिये योग्य अफसर मिल जा ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : दिल्ली में सभी राज्यों के लोग रहते हैं । इसलिये क्या सरकार दिल्ली में ही एम्पलायमेंट अफ़सरों की तालिका (पैनल) बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री आबिद अली** : क्योंकि यह एक छोटा कार्यालय है इसलि आवश्यक हो जाता है कि आस पास के राज्यों से अनुभवी अफ़सरों को बुलाया जाये ।

†**श्री राधा रमण** : इस आधार पर कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्रों के लिये अलग सेवा बनाई जायेगी, क्या उस के बाद आस पास के राज्यों से आफीसर डेपुटेशन पर नहीं बुलाया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली** : संभवतया नहीं ।

†**श्री संगामणि** : क्या अफस ों की तालिका बड़े राज्यों से ही बनाई जायेगी अथवा आस पास के राज्यों से बनाई जायगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस नगर में सभी राज ों के व्यक्ति होने के कारण क्या इस तालिका में बड़े राज्यों के कुछ प्रतिनिधि शामिल किये जा ेंगे ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां । इस समय यही योजना है ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे अफसरों का परीक्षण होता है या राज्य सरकारें जिन के नाम पेश कर देती हैं, उन्हीं में से इन को ले लिया जाता है ?

श्री आबिद अली : राज्य सरकार से हम फेहरिस्त मंगाते हैं और उस फेहरिस्त में जो हमें मुनासिब मालूम होते हैं, उन्हें ले लेते हैं ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरान्** : क्या पहली सरका ों में उन का वहां पर पद धारणाधिकार होगा ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां ।

मूल्य नियंत्रण

†*१०६४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में मूल्य नियंत्रण के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक मूल्य उपसमिति नियुक्त की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां । तीसरी योजना के लिये मूल्य नीति सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये गत वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति कायम की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) समिति की बैठकें कई बार हुई हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समिति के विचार विमर्शों पर ध्यान दिया जायगा ।

†**श्री चिन्तमणि पाणिग्रही** : क्या उपसमिति ने मूल्य नियंत्रण के कोई अल्पकालीन या दीर्घकालीन उपायों का सुझाव दिया है और यदि हां, तो क्या तीसरी योजना के पहले साल में इन में से कोई उपाय मंजूर और का न्वित किये गये हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** उसने अभी तक कोई निश्चित सिफारिश नहीं की है । जब वह सिफारिश करेगी तब उस की रिपोर्ट पर तीसरी योजना में अन्तिम रूप से विचार किया जायगा ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** अनाज जांच समिति के सुझाव के मताबिक अत्यावश्यक वस्तुओं के लिये मूल्य स्थायीकरण बोर्ड बनाने के बारे में क्या कोई निर्णय किया गया है ? वह भी मूल्य का एक अंग है ।

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जी नहीं ।

†**श्री रंगा** : क्या मुद्रा-बाहुल्य रोकने और उस से मूल्यों को स्थिर करने तथा नियंत्रण के कारण मूल्य की वृद्धि रोकने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : हमारे सामने विकास की, जनता का रहन सहन का स्तर ऊंचा करने की और उत्पादन बढ़ाने की समस्या है । इसलिये हमें निवेश के लिये संसाधन ढूंढने की कोशिश करना है । मूल्य स्थायी करने और मुद्रा-बाहुल्य के दबाव दूर करने की आवश्यकता हम सदा ही ध्यान में रखते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : खेती की दा होने वाली चीज़ों और फ़ैक्ट्री से पैदा होने वाली चीज़ों की कीमतों पर कंट्रोल लगाने के लिये, इस कमेटी के जिम्मे सरकार ने कोई काम दिया है या नहीं दिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र: इस तरह की कोई स्पेसिफिक बात नहीं है । मोटी मोटी बातें दी गई हैं और उन पर वह विचार कर रही है ।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि कब यह कमेटी कायम हुई थी और इस कमेटी को रिपोर्ट देने के लि क्या कोई अवधि मुकर्रर की गई है या नहीं की गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र: जी नहीं, कोई समय नहीं दिया गया है । नैशनल डिवेलेपमेंट काउंसिल की यह कमेटी है और रिपोर्ट देने के लिये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है ।

श्री सिंहासन सिंह : कितने बरस कायम हुए इस को हो गये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : लास्ट एप्रिल में ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : समिति पिछले साल कायम की गयी थी और माननीय मन्त्री ने हमें बताया है कि अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । जबकि हम तीसरी योजना बना रहे हैं तब वास्तव में सरकार ने क्या निर्णय किया है और समिति की रिपोर्ट हमें कब मिलेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नन्दा : किसी खास मामले में ठीक ठीक निर्णय का कोई प्रश्न नहीं है। मूल्य नीति के सम्पूर्ण प्रश्न पर कई बार विचार किया जा चुका है। तीसरी योजना के लिये मूल्य नीति निर्धारित करते समय समिति के निर्णयों पर ध्यान दिया जा रहा है।

†श्री त्यागी : सरकार की नीति सब को मालूम है और कई बार उसका प्रचार किया जा चुका है। सभा यह जानना चाहती है कि वह नीति कार्यान्वित करने के लिये क्या किया गया है। क्या मूल्य नियन्त्रण या दूसरी बातों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी है ?

†श्री नंदा : मूल्यों में जो कुछ रद्दोबदल हो रहे हैं उनसे कार्यवाही स्पष्ट है। मेरे माननीय मित्र ने गेहूं का मूल्य स्थिर करने में बहुत कुछ किया है।

†श्री त्यागी : मैं सभा में वह जानना चाहता था।

†श्री नन्दा : मैंने बताया कि अनाज की कीमतों पर काफी अच्छी तरह नियन्त्रण किया गया है।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : जिन चीज़ों की कीमतों को कण्ट्रोल करने का विचार है, वे चीज़ें जिन चीज़ों से पैदा होती हैं, पहले उन पर भी कण्ट्रोल किया जाएगा ?

†श्री नन्दा : यह बहुत ही सुसंगत प्रश्न है। कुछ तैयार वस्तुओं के मूल्यों में वर्तमान वृद्धि कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुई है।

†अध्यक्ष महोदय : क्या कच्चे माल की कीमतों पर नियन्त्रण की कोई योजना है ?

†श्री नन्दा : हमारे सामने कोई निश्चित योजनायें नहीं हैं।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला

†*१०६७. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुल्तान : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दलाई लामा के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जो १० मार्च, १९६१ को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था और जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे तिब्बत से चीन के निकाले जाने का समर्थन करें, जो कि ऐसा प्रश्न है जिस पर, कुछ अन्य सदस्य राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर, इस विश्व संस्था में चर्चा की जायगी; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में भारत सरकार की क्या प्रातक्रिया है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका) : (क) सरकार ने दलाई लामा के कथित वक्तव्य को देखा है।

(ख) प्रस्तावित संकल्प पर भारत सरकार का रुख उस समय तय किया जायगा जब यह प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा के सामने फिर आयेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार तिब्बत पर चीन के कब्जे को उस क्षेत्र पर चीनी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का सामान्य विस्तार समझती है या उसे तिब्बत पर फतह समझती है ? यदि वह फतह समझती है तो क्या कारण है कि सरकार अभी तक निर्णय नहीं कर सकी ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सरकार ने हमेशा यह समझा है कि तिब्बत पहले चीन राज्य का एक स्वायत्तशासी भाग था। वह स्वायत्तशासी भाग था लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से वह चीन राज्य का एक भाग है। यही मूल स्थिति है। कभी किसी समय इस स्वायत्तशासी भाग को संधि करने का भी अधिकार प्राप्त था और उसने उस अधिकार का उपयोग भी किया। फिर भी वह बड़े चीनी राज्य का एक हिस्सा था। इस मामले में भारत सरकार की विभिन्न नीतियां इसी से निकलती हैं।

†श्री हेम बरुआ : क्या मैं माननीय प्रधान मन्त्री का ध्यान उनकी पुस्तक "ग्लिम्प्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री" की ओर दिला सकता हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि तिब्बत स्वतन्त्र है ? अब उस स्थिति से मुकर जाने के लिए प्रधान मन्त्री के पास क्या निश्चित कारण हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य मेरी पुस्तक के किस भाग का उल्लेख कर रहे हैं।

†श्री हेम बरुआ : पृष्ठ ८४२ का।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य मेरी जिस पुस्तक का उल्लेख कर रहे हैं उसमें मुख्यतः दूसरे विषयों का विवेचन है, न कि तिब्बत का। मैं नहीं जानता कि वह किस संदर्भ में था और यदि मैंने ऐसी कोई बात लिखी हो तो वह पूरी पूरी जानकारी न होने के कारण था।

†श्री ही०ना० मुकर्जी : मुझे याद है कि जब दलाई लामा को इस देश में आश्रय दिया गया था तब उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया था कि जब तक वे भारतीय भूमि पर रहेंगे तब तक राजनैतिक ढंग के प्रचार में भाग नहीं लेंगे। क्या भारतीय भूमि से इस प्रकार का वक्तव्य उस समझौते के विरुद्ध नहीं था, खासकर इस बात को देखते हुए कि इससे यह मामला अनावश्यक तूल पकड़ता ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमने जिस प्रकार का आश्वासन मांगा था वह यह था कि बाहर की कार्यवाहियों के लिये भारत को एक अड्डा न बनाया जाये। लेकिन अपने विचारों के बारे में एक वक्तव्य देना तथा कार्यवाहियों के लिए एक अड्डा बनाना इस बीच अन्तर रखना कठिन है। इन मामलों में हम काफी उदारता से काम करते हैं।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

माडर्न सतग्राम कोयला खान

६ अल्पसूचना प्रश्न संख्या श्री केशव : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्युनिस्ट उच्छृंखल व्यक्तियों (कम्युनिस्ट अनरूली एलीमेंट्स) ने माडर्न सतग्राम कोलोनी में ६ और १२ मार्च, १६६१ के बीच दिनदहाड़े कोई हत्याएं की थीं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) .....

†श्री तंगामणि : इस प्रश्न के शब्दों का मैं विरोध करता हूं। व कम्युनिस्ट उच्छृङ्खल व्यक्तियों (कम्युनिस्ट अनरूली एलीमेंट्स) से उनका क्या मतलब है ? और यह प्रश्न इस ढंग से गृहीत किया गया है। (अन्तर्बाधा)।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं उनकी बात भी सुनूंगा। मैंने यह सोचा कि उच्छृङ्खल (अनरूली) शब्द इस कारण रह सकता है कि वह ऐसा कोई आक्षेप नहीं करते कि सभी कम्युनिस्ट उच्छृंखल (अनरूली) हैं; वह कहते हैं कि कुछ कम्युनिस्ट ऐसे हैं।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ उच्छृङ्खल (अनरूली) कांग्रेसी भी हैं।

†अध्यक्ष महोदय : वह 'कुछ' शब्द भी जोड़ देते। इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि इसमें सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध कोई आक्षेप नहीं है। यही उसका आशय था।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : मैं जानता हूं, श्रीमन्, कि यह सवाल आपकी छानबीन से होकर गुजरा है। मैं यह भी जानता हूं कि जब कभी ऐसे लोगों के बारे में जिन पर कानून के अन्दर मुकदमा चलने वाला हो, कुछ कहा जाता है तो "कथित" (अलेज्ड) विशेषण लगाया जाता है। यदि आप "कथित कम्युनिस्ट आक्रमणकारी" या ××××× कहें तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन "कथित" शब्द के बिना इस प्रकार प्रश्न पूछना........(अन्तर्बाधा)

†श्री त्यागी : औचित्य प्रश्न के हेतु। यह शोभा नहीं देता कि वह यह कहें कि ××× ××× संसद् में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं। मैंने कम्युनिस्टों को कभी गाली नहीं दी है। यह उचित नहीं कि वह कहें कि ××××

†श्री त० ब० विट्ठल राव : यह एक अल्प सूचना प्रश्न है।

†अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न सभी दलों के स्वीकार किये जाते हैं। प्रश्न के खण्ड (१) के अन्त में "कथित" शब्द जोड़ दिया जायगा।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : आप सचिवालय को ये चीजें अधिक सावधानी से पढ़ने की सलाह दें।

†अध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा उस बारे में सवधान रहता हूं। ×××× माननीय सदस्य उत्तेजित न हों। माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे मुझ से कहें जैसा इस मामले में उन्होंने कहा है। एक गाली से दूसरी गाली उचित नहीं हो जाती।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : इसमें कोई गाली गलौच का प्रश्न नहीं है। आप ××××× शब्द निकाल सकते हैं। मेरा यह कहना कि "कथित" शब्द जोड़ देने से बहुत से अनावश्यक असंसदीय उक्तियां दूर हो जायेंगी।

†अध्यक्ष महोदय : मैं केवल यही कहूंगा कि एक गलती से दूसरी गलती उचित नहीं हो जाती। यदि माननीय सदस्योंको "उच्छृङ्खल" (अनरूली) शब्द पर आपत्ति हो तो मैंने श्री ही०ना० मुकर्जी का सुझाव मंजूर कर लिया है कि अन्त में "कथित" शब्द जोड़ दिया जाय क्योंकि जबतक कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती तब तक वह केवल कथित है। मैंने वह शब्द जोड़ दिया है। लेकिन केवल इस

××××अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

†मूल अंग्रेजी में

कारण कि किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है और वह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है और उस पर कुछ गड़बड़ हुई है, इस तरह के शब्दों के प्रयोग से कोई न्याय नहीं होगा। × × × × × मैंने प्रश्न के खण्ड (क) में "कथित" शब्द जोड़ दिया है। जब तक न्यायालय में अन्तिम निर्णय न हो जाये तब तक माननीय सदस्य "कथित" शब्द का ध्यान से प्रयोग करें। जब तक कोई बात सिद्ध न हो जाये तब तक हम केवल समाचार पत्रों के समाचारों को ही सच न मान लें।

†**श्री केशव** : मैं इसे अब फिर पढ़ूंगा।

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्युनिस्ट उच्छृंखल व्यक्तियों ने माडर्न सतग्राम कोलोनी में ९ और १२ मार्च, १९६१ के बीच दिनदहाड़े कई हत्याएं की थीं ;

†**अध्यक्ष महोदय** : "कुछ कम्युनिस्ट उच्छृंखल व्यक्तियों ने" यह अधिक अच्छा होता। कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी का क्यों न हो, यदि वह हत्या या असामाजिक कार्य करता है तो वह उच्छृंखल व्यक्ति है। मैं केवल यह कहूंगा कि सम्पूर्ण पार्टी को लांछन लगाने के बजाय, क्योंकि यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि सम्पूर्ण पार्टी बुरी है, यह कहा जा सकता है कि कुछ बुरे आदमी हो सकते हैं। इसलिए मैं "कुछ" शब्द जोड़ूंगा। इसके बाद माननीय सदस्य किसी पार्टी के सदस्यों का कोई वर्णन न करने का प्रयत्न करें।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : यह बड़े खेद की बात है कि ऐसे प्रश्न गृहीत करने में सावधानी नहीं बरती गयी।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न के लिए अनुमति देकर मैंने बिलकुल ठीक किया है क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध कोई आक्षेप किया जाये। । वह यह कहना चाहते हैं कि किसी पार्टी में कुछ उच्छृंखल हो सकते हैं, कुछ लोगों ने इससे फायदा उठाया। "उच्छृंखल कम्युनिस्ट सदस्य" कहना गलत होगा। हरेक कम्युनिस्ट सदस्य बुरा नहीं है, कुछ लोग बुरे हो सकते हैं। ईश्वर की सृष्टि में कुछ बुरे लोग भी हैं।

†**श्री केशव** : अब मैं संशोधित रूप में प्रश्न को पढ़ूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : जी हां।

†**श्री केशव** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्युनिस्ट उच्छृंखल व्यक्तियों (अनरूली एलीमेंट्स) ने माडर्न सतग्राम कोलोनी में ९ और १२ मार्च के बीच दिनदहाड़े कोई हत्याएं की थीं, जैसा कि बताया जाता है ;

(ख) क्या वफादार कर्मचारियों ने यह बात जान ली थी और एक हफ्ते पहले ही जानकारी पुलिस को दी जा चुकी थी और यदि हां, तो यह हत्या रोकने के लिए पुलिस ने कभी भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ; और

(ग) इस बस्ती क्षेत्र में सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : : (क) बताया जाता है कि १० मार्च, १९६१ की शाम को, माल लादने वाले सरदार (लोडिंग सरदार) के कुछ व्यक्तियों ने दूसरे सरदार के

× × × अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारियों पर, जब वे कर्मचारियों के धौढ़ा में सो रहे थे, भालों से हमला कर दिया जिससे दो आदमी मर गये और एक सख्त घायल हो गया ।

(ख) और (ग). बताया जाता है कि यद्यपि पहले हड़ताल न करने वालो को कुछ धमकियां दी गयी थीं फिर भी हत्या की घटना एकाएक हुई बतायी जाती है। यह मुख्यतः शान्ति और व्यवस्था का विषय होने के कारण स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी किये जा चुके हैं। इस घटना के बाद माडर्न सतग्राम कोयला खानों में पुलिस का धरना फिर बैठा दिया गया है।

†श्री केशव: : इस बात को देखते हुए कि हमारी योजनाओं के लिए कोयले का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण है और इन स्थानों में हात्यओं की बार बार घटनाएं शान्ति और व्यवस्था को चुनौती हैं, क्या केन्द्रीय सरकार उस बस्ती के कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए सरकार कोई वैकल्पिक उपाय करने के बारे में सोच रही है ?

†श्री आबिद अली : राज्य सरकार के अधिकारी वही कर रहे हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि इस कोयला खान में कुछ घटनाएं हुई हैं और अब भी करीब ५०० लोग बाहर हैं क्या केन्द्रीय सरकार इस कोयला खान की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में कोई निष्पक्ष जांच करायेगी *****

†अध्यक्ष महोदय : मुझे आशंका है कि माननीय सदस्य ने जिस बात के विरुद्ध शिकायत की है उससे अधिक बड़ी गलती वे कर रहे हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैंने जो कुछ कहा है क्या वह गलत है ?

†अध्यक्ष महोदय : किसी मंत्री के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप गलत है। यदि माननीय सदस्य किसी मंत्री से सन्तुष्ट न हों तो उनसे छुटकारा पाने के कई तरीके हैं लेकिन वे मंत्रियों के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते। मैं सदस्यों या मंत्रियों के विरुद्ध ऐसे आरोपों के लिए अनुमति नहीं दूंगा।

†श्री केशव : क्या यह सच है कि बातचीत हुई थी.......

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नंदा): मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना है। मेरे सहयोगी ने केवल तथ्य मात्र दिये हैं, उस कोयला खान में कई महीनों से गड़बड़ी थी। मैं स्वतः वहां गया और मैंने दोनों पार्टियों के बीच समझौता कराने की कोशिश की और समझौता हुआ। जहां तक उसके औद्योगिक भाग का सम्बन्ध है, वह बिलकुल अलग चीज है।

†श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि सिरदारों के बीच यह लड़ाई व्यक्तिगत थी या राजनैतिक। क्या इस अल्पसूचना प्रश्न का उद्देश्य राजनैतिक है या वह केवल एक लड़ाई थी जिससे सिर्फ शान्ति और व्यवस्था का ही प्रश्न था ?

†श्री नन्दा : इस बात को देखते हुए कि इस प्रश्न में कई पेंच थे और कई बातें अखबारो में भी आ चुकी थीं, हमने यह जरूरी समझा और अपने मित्रों के प्रति यह जिम्मेदारी समझी कि यह मामला स्पष्ट किया जाना चाहिये ताकि उत्तर में सभी पेचदगियां दूर हो जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

***सभापति के आदेशानुर निकाल दिया गया।

† **श्री काशीनाथ पांडे** : क्या यह सच है कि ये सरदार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध संघ,के सदस्य थे ? यदि हां तो जब राज्य सरकार दांडिक कार्यवाही कर रही है तो क्या केन्द्रीय सरकार उन लोगों के विरुद्ध भी अनुशासन संहिता के अधीन कोई कार्रवाई करना जरूरी समझती है ?

†**श्री नन्दा** : यह शायद कहा गया हो कि कोई सरदर किसी संघ का सदस्य है। हम यहां इस तरह की कोई बात नहीं सिद्ध कर सकते और फिर वहां भी वफादारी बदलती रहती है।

†**श्री त्यागी** : क्या यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि 'सरदार' का अर्थ सिक्ख नहीं ? **(हंसी)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नारियल जटा उद्योग

†*१०८६. { **श्री कोडियान:** / **श्री वारियर:** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नारियल जटा उद्योग के निर्माण-क्षेत्र के आधुनकीकरण और यंत्रीकरण के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस बार में कोई योजना बनायी गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क)से (घ). इस समय यह मामला अभी नारियल जटा बोर्ड के विचाराधीन है। उनकी सिफारिशें प्राप्त होते ही सरकार उनकी शीघ्रता से जांच करेगी।

साम्भर में सोडा ऐश का कार खाना

†*१०९५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साम्भर (राजस्थान) में सोडा ऐश का एक कारखाना खोलने की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की अनुमानित उत्पादन-क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) सोडा ऐश के उत्पादन की प्रति टन लागत क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जी, नहीं अभी तक कोई औपचारिक परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान सरकार ने एक ऐसी परियोजना तैयार करने की इच्छा व्यक्त की है और वह प्रतीक्षित है ?।

---

†मूल अंग्रेजी में

नई दिल्ली में निर्मित दुकानें

†*१०९६. {श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
{श्री माने:

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा नई दिल्ली में (१) ईस्ट विनयनगर, (२) वेस्ट विनय नगर, (३) किदवई नगर और (४) मोती बाग में कितनी दूकानें बनवाई गई हैं और नई दिल्ली नगरपालिका को हस्तांतरित की गयी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ दूकानदार ऐसे हैं जो पिछले कई वर्षों से इन दूकानों को चला रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये दूकानें केवल विस्थापित व्यक्तियों को अलाट की जाती हैं और पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों के स्थानीय लोगों को, जो अपने 'स्टाल' चला रहे हैं, अलाट नहीं की जातीं ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि कुछ विस्थापित व्यक्तियों के पास ऐसी एक से अधिक दूकानें हैं और वे इन दूकानों को अन्य व्यक्तियों को आगे किराये पर चढ़ा कर धन कमा रहे हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क)

ईस्ट विनय नगर	५८
वेस्ट विनय नगर	६७
किदवई नगर	१००
मोती बाग १	८२

(ख) जी, हां ।

(ग) आवंटन के लिये विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है । तथापि यदि विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी करने के बाद दुकानें उपलब्ध रहें, तो वहां गैर-विस्थापित व्यक्तियों को बसाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

(घ) नई दिल्ली नगरपालिका को सबलेटिंग के कुछ मामलों का पता चला है और वह आवश्यक कार्यवाही कर रही है ।

प्रेस परिषद्

†*१०९८. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मई १९६० में हुए अपने सम्मेलन में एक संकल्प स्वीकार किया था जिसमें प्रेस आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार एक प्रेस परिषद की स्थापना के बारे में श्रमजीवी पत्रकारों की सहमति प्रकट की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रेस परिषद की नियुक्ति के लिए विधान पेश करने के लिए अब तैयार है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर चर्चा कराने के लिए समाचारपत्रों के मालिकों और श्रमजीवी पत्रकारों का एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) से (ग). प्रेस आयोग द्वारा सुझाये गये तरीकों पर एक प्रेस परिषद बनाने के बारे में भारतीय पत्रकार संघ द्वारा पारित संकल्प के बारे में समाचार सरकार ने समाचारपत्रों में देखे हैं। जैसा २८ अप्रैल, १९६० के प्रश्न संख्या २७८८ के उत्तर में बताया गया है, सरकार इस मामले पर आगे विचार करेगी यदि इसको यह संतोष हो जाये कि इसके लिए उचित अवसर है।

पीतल का सामान बनाने का उद्योग

†*१०९९. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के दस्तकारी उद्योग को पिछले कुछ समय से जस्ते और तांबे की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिनकी आवश्यकता पीतल का सामान बनाने के लिये होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन चीजों का आयात एक निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत किया जाता है और यदि हां, तो यह योजना क्या है? और

(ग) इस समय उद्योग की कितनी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) यह बताया गया है कि पीतल के कलात्मक बर्तन निर्माताओं को जस्ते और तांबे की कमी का अनुभव हो रहा है।

(ख) निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन पीतल के कलात्मक बर्तनों के लिये कच्चे माल का आयात करने दिया जाता है। संक्षेप में योजना में निम्नलिखित हद तक पीतल और तांबे के कलात्मक बर्तनों के निर्यातकों द्वारा कच्चे माल का आयात करने की व्यवस्था है :—

(१) कच्चा तांबा और जस्ता .	यदि निर्यात किया गया सामान तांबे और जस्ते का है तो ३६½ प्रतिशत (६० प्रतिशत तांबा और ४० प्रतिशत जस्ते के अनुपात में)
(२) टीशू पेपर .	. १ प्रतिशत।
(३) पालिस का सामान .	. २½ प्रतिशत।

भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड को भी ऐसे हस्तशिल्प निर्यातकों/निर्माताओं को, जो निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन कच्चे माल के आयात करने के पात्र हैं, कच्चा माल देने के लिये तदर्थ आधार पर १० लाख रुपये के मूल्य का जस्ता और तांबा आयात करने की अनुमति दी जाती है।

(ग) जहां तक सरकार को पता है, कलात्मक ढग के पीतल और तांबे के बर्तन उद्योग की कोई विशेष क्षमता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वीडन को इलायची का निर्यात

†*११००. **श्री आसर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से स्वीडन को इलायची का निर्यात १९५७ से लगातार कम रहा है;

(ख) स्वीडन को इलायची के निर्यात में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार निर्यात में हो रही कमी को रोकने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पटसन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट

†*११०१. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री सुबिमन घोष :
श्री पांगरकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री शि० ला० सक्सेना :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री २७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न सख्या १७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (ग). मजूरी बोर्ड ने पटसन मिलों में श्रमिकों को अन्तरिम सहायता देने के लिये अपनी सिफारिशें जनवरी, १९६१ में दी थीं और सरकार ने उनको मान लिया है । अन्तिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित है ।

परमाणु बिजली घर[1]

†*११०२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अब अपने परमाणु बिजली घर स्वयं बनाने की स्थिति में है ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्य के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है; और

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Nuclear Power Station.

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां): (क) भारत बिना किसी वाह्य सहायता के २५ मिलोवाट विद्युत् उत्पादन के कुछ छोटे परमाणु विजली घर बना सकता है । १०० मिलोवाट या अधिक की अधिष्ठापित क्षमता वाले बड़े परमाणु बिजली घर तृतीय योजना-काल में उन विदेशी संगठनों के सहयोग से स्थापित किये जायेंगे जिन्हें इसका अनुभव है ।

(ख) तारापुर में स्थापित किये जाने वाले ३०० मिलोवाट के परमाणु बिजली घर के अतिरिक्त ट्राम्बे में अणु शक्ति संस्थान में एक २० मिलोवाट के परमाणु बिजली घर के लिये अध्ययन जारी है जो ईंधन के तौर पर प्राकृतिक यूरेनियम, मोडरेटर के तौर पर हेवीवाटर और कूललैण्ट के तौर पर आरगेनिक के इस्तेमाल पर निर्भर होगा । ऐसे केन्द्र के निर्माण के लिये शीघ्र ही एक परियोजना आरम्भ की जायेगी । योजना आयोग ने भी दिल्ली-पंजाब-राजस्थान क्षेत्र में एक १५० मिलोवाट का परमाणु बिजली घर बनाने के लिये स्थान ढूंढने के लिये अणु शक्ति विभाग को अधिकार दे दिया है यद्यपि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, हेवी वाटर आधुनिक और ठंडे प्राकृतिक यूरेनियम केन्द्र और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर केन्द्रों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में तारापुर में प्रथम अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने पर ५१ करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था है । विभाग के अनुसन्धान और विकास कार्यक्रम के अधीन एक नमूने के मिलावोट के बिजली घर घर के लिये निधि की व्यवस्था की गयी है । अन्य परियोजनाओं के लिये कोई निधि अलग नहीं रखी गयी है परन्तु उनके अन्तिम प्रावस्था पर पर पहुंचने पर निधि की व्यवस्था कर दी जायेगी । क्योंकि यह निर्णय किया गया है कि अणु शक्ति कार्यक्रम एक निरन्तर विकास कार्यक्रम हो ।

हथकरघे के कपड़े पर छूट (रिबेट)

†*११०३. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर दी जाने वाली छूट (रिबेट) की दर भारत के सभी राज्यों में एक-सी है; और

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य में दी जाने वाली छूट की दर क्या है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) देश भर में हथकरघे के कपड़े की बिक्री पर छूट की समान दरें हैं जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

१. खुदरा बिक्री पर छूट :

(१) (क) बुन कर सहकारी समितियों और/अथवा राज्य के डिपुओं से और

(ख) उपभोक्ता सहकारी समितियों से जो केवल बुनकर सहकारी समितियों से हथकरघे का कपड़ा खरीदती हैं और जहां तक कपड़े के व्यापार का सम्बन्ध है, जो केवल हाथ के बुने कपड़े का

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापार करती हैं उनसे दो रुपये अथवा अधि के मूल्य के हथकरघे के कपड़े की वास्तविक खुदरा बिक्री पर ५ नये पसे प्रति रुपया छूट दी जायेगी ।

विशेष अतिरिक्त छूट :

(२) हथकरघे के कपड़े की वास्तविक खुदरा बिक्री पर वर्ष में कुल १५ दिनों की अवधि के लिये, अर्थात् आठ दिन तक तो वार्षिक अखिल भारत हथकरघा सप्ताह समारोह के अवसर पर और सात दिन वो जो राज्य सरकारें संघ राज्य-क्षेत्र वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की पूर्व अनुमति पर उचित त्यौहारों के मौकों पर चुनें, ५ नये पैसा प्रति पया की विशेष अतिरिक्त छूट दी जायेगी ।

थोक बिक्री पर छूट :

(३) बुन कर सहकारी समितियों द्वारा हथकरघा कपड़े की थोक बिक्री पर ३ नया पैसा प्रति रुपया की विशेष छूट दी जायेगी । इस का ॅ के लिये एक ही सौदे में एक ही समय एक सौ रुपये या उससे अधिक की बिक्री को थोक बिक्री माना जायेगा । राज्य सरकारों को अधिकार होगा कि वे उनको आवंटित अधिकतम अंश के भीतर छूट पर व्यय को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर थोक बिक्री पर छूट की आज्ञा दें या न दें ।

निर्यात बिक्री पर ट

(४) (क) बुन कर सहकारी समितियों से खरीदे गये हथकरघा कपड़े के निर्यात के लिये बिक्री पर सहकारी समितियों को अथवा राज्य व्यापार संगठनों को; और

(ख) सीधे हथकरघा कपड़ा निर्यात करने वाली सहकारी समितियों को ५ नया ैसा प्रति रुपया छूट दी जायेगी ।

अधिकतम सीमा से अधि छूट योजना पर व्यय के लिये किसी भी दशा में केन्द्रीय सहायता नहीं दी जायेगी । यदि आवश्यक समझा जाये तो उपरोक्त संशोधन छूट योजनाओं को राज्य सरकारें कपड़े की कुछ श्रेणियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा अर या पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छूट की दर में कमी करके इसको विनियमित कर सकती हैं ताकि व्यय सम्बन्धित राज्य के लिये निर्धारित अधिकतम सीमा के भीतर हो ।

हिन्दुस्तान मशीन ूल्स फैक्टरी, बंगलौर में खरादों का निर्माण

†*११०४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन ूल्स फैक्टरी, बंगलौर ने भारत में पहली बार नई किस्म की हाई प्राडक्शन टरेट लेथ्स (अधिक उत्पादन वाली खरादों) का नमूना तैयार किया है और उनका निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में इन खरादों के उत्पादन की मौजूदा क्षमता कितनी है; और

(ग) देश में इन खरादों की मौजूदा मांग लगभग कितनी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फेक्टरी में मशीनी औजार के भारतीय नमूने को प्रोत्साहन दिया गया है। हाल ही में एक अधिक उत्पादन वाली खराद का परीक्षण किया गया है।

(ख नये नमूने की उत्पादन की क्षमता प्रतिवर्ष ६० नग है।

(ग) मांग का २२५ से २४० नग तक अनुमान लगाया जाता है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल

†*११०५. **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री प्रभातकार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सम्पत :
श्री ब्रज राज सिंह :
श्री जगदीश अवस्थी :
श्री तिम्मय्या :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी के, जिसकी मालिक सरकार है, कर्मचारियों की संथा ने यह निर्णय किया है कि यदि कर्मचारियों की शेष मांगें अधिक से अधिक १ अप्रैल, १९६१ तक मंजूर न की गयीं, तो वे भूख हड़ताल आन्दोलन शुरू कर देंगे ;

(ख) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं ;

(ग) क्या ये मांगें पिछले दो वर्षों से चली आ रही हैं ;

(घ) सरकार ने श्रमिकों के इस असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ङ) क्या इस मामले को निपटाने के लिये बातचीत होने की कोई संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ): प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

फिजो के भाई की रिहाई

†*११०६. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा विद्रोही नेता श्री फिजो के भाई श्री कोवी अली को अन्य व्यक्तियों के साथ नजरबन्दी से रिहा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) और (ख). फ़िज़ो के भाई श्री के वियाले को बर्मा प्राधिकारियों ने निर्वासित कर दिया था। कलकत्ता

†मूल अंग्रेजी में

में पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और पुलिस जांच के लिये कोहिमा ले जाया गया। उन के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला दर्ज नहीं किया गया। अत: उनको शांति रखने के आश्वासन पर २६-२-१९६१ को रिहा कर दिया गया।

राज्य के विरुद्ध ध्वंसक कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये निवारक निरोध अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये मेगोसेसो साविनो और एल० ए० डाली नामी को १८ फरवरी, १९६१ को हवालात से रिहा कर दिया गया। स्थिति में सुधार होने से इन व्यक्तियों को और अधिक समय तक हिरासत में रखना आवश्यक नहीं समझा गया।

दस्तकारी की चीजों का निर्यात

†*११०७. **श्री मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात अनुभव की गई है कि जापान और इटली की दस्तकारी की चीजों के बढ़िया पैकिंग के कारण बहुत सी मंडियों में भारत की दस्तकारी की चीजों की बिक्री समाप्त होती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†***उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि पैकिंग के तरीके में प्रशिक्षण देकर, दस्तकारी की कुछ वस्तुओं की पैकिंग के लिये टीशू कागज का आयात कर के निर्यात के लिये भारतीय दस्तकारी की वस्तुओं के पैकिंग में सुधार करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

मध्य पूर्व में भारतीय कपड़ा बाजार

†२२०७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत मध्य पूर्व के देशों में अपने कपड़े के बाजार खो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ; और

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या की जाने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां। मध्य पूर्व के देशों में मिलों के बने सूती कपड़े का निर्यात घट रहा है।

(ख) कारण भिन्न भिन्न हैं किन्तु निर्यात में कमी अधिकतर उन देशों में स्थानीय उद्योग के संरक्षण के हेतु लगाये गये आयात प्रतिबन्धों तथा निर्यात करने वाले अन्य देशों के साथ भारी प्रतियोगिता के कारण है।

(ग) विविध निर्यात प्रोत्साहन योजनायें चल रही हैं। सूती कपड़ा निर्यात संवर्धक परिषद् का अपना कार्यालय बगदाद में है, जिस का क्षेत्राधिकार मध्य पूर्व के सब बाजारों तक है। यह कार्यालय प्रत्येक बाजार को भारतीय सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ाने के लिये समन्वीकृत प्रयत्न करता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर में खादी का उत्पादन

†२२०८. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० वर्ष में मैसूर राज्य में कितनी खादी तैयार की गई ;

(ख) १९६० के अन्त तक उस राज्य में कितने बुनकर और कातने वाले थे ; और

(ग) इस अवधि में तैयार की गई खादी की अनुमानित लागत क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १७.३५ लाख वर्ग गज ।

(ख) ४१,६०० कातने वाले और ५००० बुनकर ।

(ग) ३९.१९ लाख रुपये ।

महाराष्ट्र में कुटीर उद्योग

†२२०९. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में अब तक कुटीर उद्योगों के विकास के लिये महाराष्ट्र को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ख) इस अवधि में किन किन उद्योगों का विकास किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री म ुभाई शाह)** : (क) १९६०-६१ में औद्योगिक विकास के लिये (महाराष्ट्र समेत) विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समीप ही मंजूर की जायगी ।

(ख) इन उद्योगों का विकास किया गया है :

(१) खादी (परम्परागत और अम्बर) ;

(२) ग्राम उद्योग।

(३) छोटे पैमाने के उद्योग (औद्योगिक बस्तियों समेत) ;

(४) रेशम कृमि पालन ;

(५) हथकरघा ;

(६) हस्तशिल्प (दस्तकारी) ;

(७) नारियल जटा ।

शहतूत के वृक्ष लगाना

†२२१०. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९ और १९६० में शहतूत के वृक्ष लगाने के लिये पंजाब सरकार को कितनी सहायता या अनुदान दिया गया है ; और

(ख) इस अवधि में कोयो (कइनों) को पालने के लिये कितनी सहायता या अनुदान दिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) वर्ष १९५९-६० तथा १९६०-६१ में शहतूत के वृक्षों की खेती से संबंधित योजनाओं के लिये क्रमशः ६४,६१० रुपये और ६६,३१० रुपये के अनुदानों का अनुमोदन किया गया था ।

(ख) कइनों के उत्पादन के लिये १९५९-६० और १९६०-६१ में क्रमशः २१,०४० रुपये और १४,२२० रुपये के अनुदानों का अनुमोदन किया गया था ।

पंजाब में राल उद्योग

†२२११. श्री हेमराज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९ और १९६० में पंजाब में राल उद्योग आरम्भ करने के लिये वहां की राज्य सरकार को कितनी सहायता या अनुदान दिया गया था ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इस काम के लिये राज्य सरकार को इन वर्षों में कोई अनुदान या सहायता नहीं दी गई ।

सीमेंट का निर्माण

†२२१२. श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९६० को कितने कारखाने सीमेंट का निर्माण कर रहे थे ;

(ख) १९६० वर्ष में देश में कितना सीमेंट (टनों में) बनाया गया ; और

(ग) घरेलू उद्योग के लिये सीमेंट की औसत वार्षिक आवश्यकता कितने टन की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ३३ सीमेंट कारखाने ।

(ख) १९६० में ७८.४० लाख मीट्रिक टन सीमेंट ।

(ग) १९६० के लिये सीमेंट की घरेलू उपयोग के लिये कुल मांग ९२.२० लाख मीट्रिक टन थी ।

काफी का उत्पादन

†२२१३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी के नये बाग लगाने या इसको प्रोत्साहन देने के हेतु काफी उत्पादन को बढ़ाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या काफी बोर्ड ने कोई योजना अथवा प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ग) इस की रूपरेखा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). जी हां । काफी बोर्ड की ऋण योजना १९५६ से चल रही है । तीसरी योजना अवधि के दौरान नये क्षेत्रों में काफी के बाग लगाने की योजनायें विचाराधीन हैं । प्रस्तावित लक्ष्य ५०,००० एकड़ और अनुमानित लागत ८.१९ करोड़ रुपये है । योजना आयोग ने इस काम के लिये ५ करोड़ रुपये का विकास ऋण का

†मूल अंग्रेज़ी में

आवंटन अस्थायी रूप से मान लिया है। ऋण योजना का ब्यौरा काफी बोर्ड तथा सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया जायगा।

दिल्ली में औद्योगिक बस्तियां

†२२१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की विभिन्न औद्योगिक बस्तियों में आज तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली की विभक्त औद्योगिक बस्तियों में हुई आज तक की प्रगति

१. औद्योगिक बस्ती ओखला।

पहले प्रक्रम में बनाये गये ३५ शेडों में से २ में अल्प उद्योग सेवा संस्था तथा अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड हैं। अन्य ३३ शेडों में छोटे उद्योगपति हैं जो उत्पादन आरम्भ कर चुके हैं। दूसरे प्रक्रम में ४० शेड बनाने का विचार है। इन में ३२ शेडों की जून १९६१ तक तैयार हो जाने की आशा है, और शेष ८ शेड जो भारत सेवक समाज द्वारा बनाये जा रहे हैं, अक्तूबर, १९६१ तक तैयार होने की आशा है।

२. औद्योगिक बस्ती बादली

लगभग ४ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है और कब्जा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया है। एक नलकूप प्रयोगात्मक नल कूप संगठन द्वारा लगाया गया है तथा जल का नमूना सामुदायिक परियोजना अफसर (उद्योग) दिल्ली द्वारा लिया गया है। नमूने का परीक्षण करवाया जाने वाला है। परिणाम मालूम होने पर वास्तविक निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

मिरथल (पंजाब) में कागज का कारखाना

†२२१५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिरथल जिला गुरदासपुर पंजाब में जहां कच्चा माल मिलता है, एक कागज का कारखाना लगाने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या वन अनुसंधान संस्था ने इस बारे में जांच कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) प्रति दिन १०० टन अखबारी कागज बनाने की एक योजना को हाल ही में कांगड़ा जिले में लाइसेंस दिया गया है।

(ख) और (ग). वन अनुसंधान संस्था ने इस क्षेत्र समेत देश भर में कागज उद्योग के लिये सल्यूलोसिक कच्चे माल की उपलब्धिता का सामान्य अध्ययन किया है और उसका यह विचार है कि सिल्वर फर का अखबारी कागज के लिये तथा कोनीफरों के मिश्रण का ब्लीचड और अन-ब्लीचड क्रैफ्ट पेपर दोनों के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लुधियाना में स्कूटर फैक्टरी

†२२१६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लुधियाना में एक स्कूटर फैक्टरी के लिये एक लाइसेंस दिया है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस फैक्टरी में जो स्कूटर बनाये जाने का विचार है उस पर ६५० रुपये लागत आएगी और वे एक गैलन पेट्रोल में २२५ मील चल सकेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक जापानी फर्म के सहयोग से ५० सी सी/७८ सी सी स्कूटर बनाने के लिये लुधियाना की एक फर्म का प्रस्ताव प्रयोगात्मक आकार पर स्वीकार किया गया है। प्रस्ताव में प्रति स्कूटर १५० रुपये तक संघटक पुर्जों के आयात का विचार है। आशा है कि स्कूटर एक गैलन पेट्रोल में १८० मील की यात्रा दे सकेगा।

नेफा का विद्यार्थी संघ

†२२१७. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा के सुवांसि ी डिवीज़न में 'आदि माइज़िंग स्टूडेन्ट्स यूनियन'[1] विदेशियों के प्रभाव में आ गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संघ ने प्रशासन सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रभाव को दबाने के लि` क्या उपाय किये गये हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) आदि माइज़िंग स्ट`न्ट्स यूनियन का मुख्यालय पासी घाट, सियांग फ्रंटियर डिवीज़न, नेफ़ा में है। इसके कुछ सदस्य सुवांसिरी फ्रंटियर डिवीज़न समेत अन्य डिवीज़नों के आदिम जातीय विद्यार्थियों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाल ही में, यह संघ नवनिर्मित पूर्वी सीमान्त पर्वतीय युवक सामाजिक और सांस्कृतिक संघ से सम्बद्ध हुआ है, जिसका मुख्यालय शिलांग में है, जिसका नेता आसाम के पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों में से है।

(ख) संघ ने सीधे तौर पर प्रशासन सम्बन्धी मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। तथापि संघ द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में, इसके सदस्यों ने प्रशासन सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में संकल्प पास किये हैं और अपने मत व्यक्त किये हैं।

(ग) नेफ़ा प्रशासन ने इस संघ को कोई औपचारिक मान्यता नहीं दी है। नेफ़ा के विद्यार्थी एवं युवकों को अपने गुरुजनों और अध्यापकों के पर्यवेक्षण के अधीन स्वस्थ सांस्कृतिक एवं पाठ्यक्रम अतिरिक्त कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली

२२१८. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** ८ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस को खरीदने

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Adi Mising Students' Union.

के बारे में आन्ध्र प्रदेश की सरकार के साथ जो बातचीत चल रही थी, उसका क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (श्री कु० च० रेड्डी): इस विषय पर अभी तक आन्ध्र प्रदेश की सरकार के साथ बातचीत चल रही है ।

भारत और पाकिस्तान के वीसा बीसानियम

†२२१९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **प्रधान मंत्री** २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच वीसा नियमों में नरमी करने के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** कोई अधिक प्रगति नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान सरकार कोई नर्मी करने के विरुद्ध दिखाई देती है। हाल ही में हमारे पाकिस्तान स्थित कार्यकारी उच्च आयुक्त ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान हाल ही में उनके द्वारा लगाये गये प्रबन्धों की ओर दिलाया है जिनके द्वारा किसी पाकिस्तानी के लिये वर्ष में एक बार से अधिक आना सामान्यतया असंभव बना दिया गया है । उन्होंने उनको बताया है कि यह भारत-पाकिस्तान पारपत्र एवं वीसा योजना के प्रतिकूल है ।

खानों में रक्षा के उपाय

†२२२०. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा और प्रचार के द्वारा खानों में सुरक्षा की वृद्धि के लिये उपायों के बारे में खानों के मालिकों, प्रबन्धकों, और संघों आदि के विचार जान लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) और (ख). खान मालिकों, कार्यकर्ताओं और खानों के मैनेजरों के संघों से पूछा गया था जिनमें से केवल तीन संघों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । इन में से दो संघों ने सुरक्षा शिक्षा और प्रचार सम्बन्धी समिति की सिफारिशों से सहमति व्यक्त की है । तीसरे ंघ ने सुझाव दिया है कि समिति द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्, मुख्य खान निरीक्षक के नियंत्रणाधीन न हो या उसका एक भाग न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में निष्क्रांत कृषि भूमि

†२२२१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब में बची हुई सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं को, जिन्होंने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है, निष्क्रांत कृषि भूमि का आवंटन करने का विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) और (ख). कुल ४७३ संस्थाओं में से केवल १४ संस्थाओं के मामले पंजाब सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिये निलम्बित हैं। ४५९ मामलों के बारे में, जिनका विचार किया जा चुका है, केवल ५० मामलों में यह पाया गया कि उन संस्थाओं ने भारत में काम करना आरम्भ किया है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

२२२२. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रस्तावित लागत में अन्तिम रूप से कितनी और लागत बढ़ाने का निश्चय किया गया है और क्यों ;

(ख) जबकि राज्यों ने अपनी योजनाओं में लगाई जाने वाली पूंजी में ३१५ करोड़ की वृद्धि कर दी थी, तो किन मदों में कमी की जा रही है ;

(ग) किन मदों के अन्तर्गत राज्यों द्वारा मांगी गई धन राशियां स्वीकृत की जा रही हैं और कितनी-कितनी;

(घ) क्या भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों एवं उनके अन्य एककों से भी धन राशि बढ़ाने की मांग आई है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इन पर विचार किया है; और

(च) केन्द्र द्वारा सूत्रपात की गई कितनी और कौनसी योजनाएं हैं जो राज्यों के हवाले कर दी गई हैं और इनके लिये कितनी अधिकतम धनराशि मंजूर करने का प्रस्ताव किया गया था ?

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (च). तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल पूंजी-विनियोग का अनुमान अब ७५०० करोड़ रुपये है जबकि योजना के प्रारूप में यह ७२५० करोड़ रुपये दिखाया गया था। यह साधनों के संशोधित अनुमान के अनुरुप है। राज्यों की योजनाओं में २०० करोड़ रुपये और केन्द्रीय मन्त्रालयों की योजनाओं में ५० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। तीसरी योजना के पूंजी-विनियोग तथा साधनों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव की एक प्रति सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १]**

राज्यों की योजनाओं में विनियोग की राशि को विकास के विभिन्न मदों और स्कीमों पर किस प्रकार बांटा गया है इसकी जानकारी भेजने के लिये योजना आयोग राज्य सरकारों को लिख चुका है।

केन्द्र तथा राज्यों के बीच विकास के विभिन्न मदों के अनुसार पूंजी-विनियोग का जो वितरण होगा उसका अन्तिम चित्र तीसरी योजना की रिपोर्ट में मिलेगा। यह रिपोर्ट तैयार हो रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दीवार घड़ियों का निर्माण

†२२२३. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बड़ी दीवार घड़ियों के निर्माण के लिये कोई फैक्टरी लगाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और उसकी क्षमता कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). बड़े पैमाने के क्षेत्र में ५ फर्म दीवार घड़ियां बना रही हैं। इन में से तीन फर्में बम्बई में, एक कलकत्ता में और एक मोरवी में है। उनकी कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता ६६००० है।

इसके अतिरिक्त बहुत से छोटे पैमाने के कारखाने भी दीवार घड़ियां बना रहे हैं। उन के स्थान और क्षमता सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है।

तांबा और पीतल का आवंटन

†२२२४. **श्री पांगरकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० और १९६०–६१ के वर्षों में अब तक राजकीय व्यापार निगम ने विभिन्न राज्यों को तांबे और पीतल का जो आवंटन किया है उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** पीतल के वितरण पर नियन्त्रण नहीं। तांबे का वितरण राज्यवार आधार पर नहीं किन्तु फैक्टरियों की संख्या के अनुसार वास्तविक उपभोक्ता आधार पर किया जाता है। राजकीय व्यापार निकाय केवल धातु का आयात करता है और वितरण राज्यों के उद्योग निदेशकों की सिफारिशों के आधार पर अलौह धातु नियन्त्रक द्वारा किया जाता है। पहले कार्य तथा उपभोग के आधार पर व्यक्तिगत इकाइयों को आवंटन किया जाता है। यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट इकाई को तांबे के आवंटन के आंकड़े जानना चाहते हैं तो उसे बताने में मुझे प्रसन्नता होगी।

दिल्ली की चर्म उद्योग बस्ती

२२२५. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली हरिजन कल्याण बोर्ड ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकार किया है कि दिल्ली में एक चर्म उद्योग बस्ती का निर्माण किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में दिल्ली प्रशासन ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत और तिब्बत के बीच व्यापार मार्ग

†२२२६. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान हाल के इन समाचारणीय प्रतिवेदनों की ओर दिलाया गया है कि तिब्बती व्यापारियों ने गोरखपुर जिला (उत्तर प्रदेश) की सीमा पर पश्चिम नेपाल सीमा क्षेत्र और नौटानवा के रास्ते तिब्बत से भारत तक का एक नया व्यापार मार्ग ढूंढ निकाला है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हा, तो वास्तविक तथ्य क्या है ;

(ग) इस शरद् ऋतु में अब तक इस नये मार्ग से कितने तिब्बती लोग भारत आये हैं; और

(घ) जो व्यापारिक सौदे किये गये हैं उनका ब्योरा क्या है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ) नेपाल और तिब्बत के बीच बहुत से परम्परागत मार्ग हैं किन्तु इन मार्गों पर भारत सरकार का नियन्त्रण नहीं है। नेपाल और भारत के बीच व्यापार के सम्बन्ध में माल लाने ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

पंजाब में ग्राम आवास परियोजना योजना

†२२२७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्राम आवास परियोजना योजना के अन्तर्गत १९६०–६१ के लिये पंजाब को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

(ख) क्या सरकार ने समूची राशि पंजाब को दे दी है ; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) १९६०–६१ के लिये पंजाब सरकार को २४.८५ लाख रुपये की राश (जिसमें राज्य ग्राम आवास विभाग के लिये अनुदान के रूप में ०.३५ लाख रुपये की राशि शामिल है) आवंटित की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) पंजाब सरकार से प्राप्त समाचारों के अनुसार दूसरी योजना अवधि के लिये उनको आवंटित २०० गांवों में से सभी चुन लिये गये हैं। अक्तूबर १९५७ में योजना के आरम्भ होने से लेकर राज्य सरकार ने, ३४.३० लाख रुपये के आवंटन में से ३२.१७ लाख रुपये की राशि ले ली है। ३१ दिसम्बर, १९६० तक लाभ उठाने वालों को लगभग १७.५ लाख रुपये के ऋण मंजूर किये गये थे, जिसमें से लगभग ७.१५ लाख रुपये की राशि उनको वास्तव में दे दी गई है।

ऐंड्रूज गंज, नई दिल्ली में क्वार्टर

†२२२८. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एण्ड्रूज गंज नई दिल्ली में बहुत से क्वार्टर अभी हाल ही में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अलाट किये गये हैं और उन के सामने की भूमि समतल नहीं की गई तथा उनके सामने जो मिट्टी कूड़ा पड़ा हुआ था, वह हटाया नहीं गया है ;

(ख) क्या अलाट किये जाने से पहले बिजली नहीं लगाई गई थी;

(ग) क्या उनके फर्श पधेर नहीं हैं और पानी निकलने का कोई उचित मार्ग नहीं है ;

(घ) क्या भूमिगत नाली जल पाइप नहीं डाला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चोरी से बचने के लिये, उन क्वार्टरों के अलाट किये जाने से पूर्व बिजली फिटिंग नहीं की गई थी । कब्जा मिलते ही बिजली लगा दी गई है ।

(ग) से (ङ). इन क्वार्टरों के फर्श पधरे हैं । खाने बनाने के वरोण्ड में और खुली बालकोनी में पानी निकलने की नालियां हैं । रहने के कमरे से पानी निकालने के लिये, उस कमरे के द्वार की सिल में से एक सुराख निकालने का विचार है । दूसरी मंजिल की बालकोनियों का वर्ष जल पाइप भूमि पर पानी गिराता है, जहां से स्टौर्म जल नाली तक कोई भूमिगत मेल नहीं किया गया है । वर्षा जल पाइपों से स्टौर्म जल नालियों तक खुले आंगन के साथ साथ पानी ले जाने वाली सौसर नालियों की व्यवस्था करने का विचार है ।

माधोपुर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी

†२२२९. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५ में माधोपुर जिले और उसके डिवीजनों तथा सब-डिवीजनों में काम करने वाले लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों प्रतिकरात्मक भत्ता मंजूर किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि यह भत्ता इन सरकिलों, डिवीजनों और सब-डिवीजनों के कर्म-भारित कर्मचारियों को जुलाई, १९६० से भुगतान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) माधोपुर सर्किल उसके डिवीजनों और सब-डिवीजनों में काम करने वाले नियामत कर्मचारियों को (चतुर्थ श्रेणी के कर्म-चारियों को छोड़ कर) १ अक्तूवर, १९५४ से प्रतिकरात्मक भत्ता मंजूर किया गया था ।

(ख) और (ग): कर्मभारित कर्मचारियों को भत्ता मंजूर करने वाला आदेश ११ जुलाई, १९६० को जारी किया गया था । सामान्य प्रक्रिया के अनुसार यह आदेश जारी होने की तिथि से ही लागू हुआ था । परन्तु बाद में उसमें परिवर्तन करके, विशेष मामले के तौर पर, १ जुलाई, १९५९ से लागू किया गया ।

पासीघाट विमान क्षेत्र पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारी

†२२३०. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पासीघाट विमान क्षेत्र में नियुक्त कर्मभारित कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता जुलाई, १९६० से मंजूर किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि पासीघाट तथा नेफा के अन्य विमान क्षेत्रों में काम करने वाले असैनिक उड्डयन और अन्तरिक्ष विज्ञान विभागों के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ता १९५५ से भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस भेद-भाव के क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास और सम्भरण मन्त्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) पासीघाट विमान क्षेत्र में काम करने वाले केन्द्रीय लोक-कर्म विभाग के कर्मभारित कर्मचारयों को प्रतिकरात्मक भत्ता १ जुलाई, १९५९ से मंजूर किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पासीघाट और नेफा के अन्य विमान क्षेत्रों में काम करने वाले असैनिक उड्डयन तथा अन्तरिक्ष विज्ञान विभागों के कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ते का भुगतान २५ जनवरी १९५४ से किया जा रहा है ।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारियों को प्रतिकरात्मक भत्ते की मंजूरी का आदेश ६ जुलाई, १९६० को जारी किया गया था । सरकार की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार आदेश जारी होने की तारीख से लागू हुआ । परन्तु बाद में आदेश में इस प्रकार सपरिवर्तन किया गया कि वह १ जुलाई, १९५९ से लागू हो ।

दिल्ली में भू-सम्पत्ति

†२२३१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में (१) पंजाब सरकार और (२) पंजाब के राजाओं की कितनी भूसम्पत्ति है ; और

(ख) इस सम्पत्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा किस प्रकार काम में लाया जाता है और मालिकों को बदले में क्या दिया जाता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: सूचना उस सम्पत्ति तक सीमित है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पट्टे पर ली गई है ।

(क) (१) कपूरथला हाउस और जिन्द हाउस ।

(२) फरीदकोट हाउस, पटाउदी हाउस और नाभा प्लाट ।

(ख) सम्पत्ति	उपयोग	भुगतान किया जाने वाला भाड़ा
कपूरथला हाउस .	दफ्तर के रूप में	८,६८८ रुपये प्रति वर्ष ।
जिन्द हाउस . .	चीनी दूतावास को आवंटित	६,००० रुपये प्रति वर्ष ।
फरीदकोट हाउस .	दफ्तर के रूप में	३१,८०६ रुपये ९६ नये पैसे प्रति वर्ष ।
पटाउदी हाउस .	मुख्य भवन होस्टल के रूप में और हटमेंट्स दफ्तर-एवं-निवास-स्थान के रूप में ।	१०,८४८ रुपये प्रति वर्ष
नाभा प्लाट . .	निवास-स्थान के रूप में (४२ हटमेंट्स) ।	१,३८७ रुपये प्रति वर्ष ।

रेस के घोड़े

†२२३२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टर्फ क्लबों ने भारत सरकार से रेस के घोड़ों, नस्ली घोड़ों और घोड़ियों के आयात के लिये फिर से पहुंच की है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

भारतीय उद्योग

२२३३. **श्री विभूति मिश्रः** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६१ में भारत सरकार ने उन भारतीय उद्योगों के संवर्धन के लिये क्या कदम उठाये हैं, जिन का व्यापार विदेशों में बढ़ रहा है ; और

(ख) उस के परिणामस्वरूप कहां तक सफलता मिली है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). एक विवरण साथ में नत्थी है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या** २]

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में टेलीविजन सेट

२२३४. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों म अब तक कितने दूरदर्शन (टेलीविजन) लगाये जा चुके हैं; और

(ख) क्या इस वर्ष कुछ और भी दूरदर्शन यंत्र अन्य विद्यालयों में लगाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) आकाशवाणी द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में ४५ दूरदर्शन (टेलीविजन) लगाये जा चुके हैं। इस के अतिरिक्त ७ विद्यालयों ने अपने सेट प्राप्त कर लिये हैं ।

(ख) जी, हां । शिक्षा-सम्बन्ध टेलीविज़न योजना जुलाई, १९६१ में आरम्भ हो जायेगी ।

भूटान को सड़क

†२२३५. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलपाईगुड़ी से पारो (भूटान) की सड़क के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वह कब तक पूर्ण हो जाएगी ;

(ग) क्या यह सच है कि सड़क के निर्माण का कार्य प्रोग्राम से पिछड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) सड़क ५० मील तक बन चुकी है ।

(ख) वर्ष के अन्त के पूर्व ।

(ग) और (घ). जी, नहीं ।

काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति

†२२३६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काम दिलाऊ दफ्तरों में (१) क्लर्की, (२) प्रवीण श्रमिक और (३) अप्रवीण श्रमिक के कार्य के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में कितने व्यक्ति पंजीबद्ध हुए थे ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) प्रत्येक वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर में पंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है । (इस अवधि में पंजीबद्ध व्यक्तियों के व्यवसाय-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) :

वर्ष/अवधि	वर्ष/अवधि के अन्त में चालू रजिस्टर में दर्ज प्रार्थियों की संख्या		
	क्लर्की	प्रवीण और अर्धप्रवीण	अप्रवीण
१	२	३	४
१९५६-५७ . .	२,०९,०४३	५८,३४२	३,८८,५९४
१९५७-५८ . .	२,५८,१४०	७१,७१७	४७२,३२१
१९५८-५९ . . .	३,०९,९६८	९६,१५०	६,४३,१७४
१९५९-६० . . .	३,४०,९४५	१,०१,३८६	७,४५,०१७
अप्रैल से दिसम्बर ६० तक .	४,३०,६७४	१,१२,७२४	७,८४,४३१

(ख)

वर्ष अवधि	वर्ष अवधि में नौकरी में रखे गये व्यक्तियों की संख्या		
	क्लर्की	प्रवीण और अर्धप्रवीण	अप्रवीण
१	२	३	४
१९५६-५७ . .	३७,६७३	२१,६८३	८१,४९१
१९५७-५८ .	४५,५९४	२४,९४७	८४,४०७
१९५८-५९ . .	४६,२६८	३०,६४८	९७,०२९
१९५९-६० . . .	५१,७९२	३१,४८६	११९,९४६
अप्रैल से दिसम्बर ६० . .	३९,२९६	२१,४१३	८९,५०२

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय मानक संस्था

†२२३७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के लिये प्रविधिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय मानक संस्था द्वारा एक ब्रिटिश इस्पात विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) विशेषज्ञ का नाम क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (ग). दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रविधिक सहयोग के लिये कोलम्बो योजना परिषद के माध्यम से ब्रिटिश इस्पात विशेषज्ञ श्री एस० बैरेकलो की सेवायें ९ महीने के लिये प्राप्त की गई हैं। उन के सम्बन्ध में वही सेवा शर्तें लागू होती हैं जो कोलम्बो योजना के अन्य विशेषज्ञों के लिये हैं।

रानी एलिजाबेथ की भारत यात्रा की रंगीन फिल्म

†२२३८. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानी एलिज़ाबेथ की भारत यात्रा की कोई रंगीन फिल्म बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितना व्यय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** (क) हां, श्रीमान।

(ख) व्यय का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

कपड़ा मिलें

†२२३९. **श्री तंगामणि :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कपड़ा मिलों को २५,००० तकुओं अथवा ५०० करघों के आर्थिक दृष्टि से लाभकारी एकक बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६१-६२ में ऐसे कितने एकक हो जायेंगे ; और

(ग) विभिन्न मिलों को चालू वर्ष और वर्ष १९६१-६२ के लिये तकुओं के संभरण के सम्बन्ध में राज्यवार क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में, वर्ष १९६१–६२ को सम्मिलित कर के, तकुओं और करघों के आवण्टन विचाराधीन हैं। जहां तक वर्ष १९६०–६१ का सम्बन्ध है, तकुओं और करघों के लाइसेंसों की संख्या नीचे दी गई है :

राज्य	१–४–६० से आधतन लाइसेंस दिये गये तकुओं और करघों की संख्या	
	तकुए	**करघे**
आसाम .	२४,५००	..
दिल्ली	..	निर्यात संवर्धन योजना

†मूल अंग्रेजी में

राज्य	१-४-६० से आद्यतन लाइसेंस दिये गये तकुओं और करघों की संख्या	
	तकुए	करघे
		के अन्तर्गत ८६ स्वचालित करघे
गुजरात	४८,१६२	निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत ७३१ करघे और ५२८ स्वचालित करघे
केरल	२४,०००	
मद्रास . . .	१,११,०७८	निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत १६२ स्वचालित करघे
मध्य प्रदेश	१७,५०६	निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत ३८० करघे और १४० स्वचालित करघे
महाराष्ट्र	२६,६०२	निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत १,४४० स्वचालित करघे
मैसूर . . .	१३,०००	निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत १४४ स्वचालित करघे
पंजाब	३६,३६६	२५ करघे
राजस्थान	५६,४२८	१,३१५ करघे
उत्तर प्रदेश	३७,४००	निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत २८८ स्वचालित करघे
पश्चिम बंगाल . . .	५५,३७६	१२६ करघे

डा० सैविनो और श्री नामो की नजरबन्दी

†२२४०. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन० एच० टी० ए० के डा० सैविनो और श्री डैली नामो पिछले तीन वर्षों से निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत आसाम जेल में बन्द हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन के १९५८ से निरन्तर निरोध के लिये कोई नये कारण बताये गये हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). नागालैंड के कोहीमा जिले के श्री मैंगोसीसो सैविनो को आसाम सार्वजनिक शांति अध्यादेश, १९५३ के अन्तर्गत राज्य के विरुद्ध उच्छेद क्रियाओं में भाग लेने के कारण फरवरी, १९५६ में बन्दी किया गया था। सामान्य क्षमा की घोषणा किये जाने तथा उनके यह आश्वासन देने पर कि वह ऐसी उच्छेद क्रियाओं में भाग नहीं लेंगे उन्हें सितम्बर, १९५७ में रिहा करदिया गया था। उन्हें १४ जनवरी, १९५९ को पुनः निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत, श्री एल० ए० डैली नामो सहित बन्दी कर लिया गया जिस का कारण राज्य के विरुद्ध हिंसात्मक कार्यों में लगे हुए नागा विद्रोहियों की सहायता के लिये शस्त्र तथा धन प्राप्त करने के षड़यन्त्र में भाग लेना था।

सर्वश्री सैविनो और डैली नामो को जनवरी, १९६० में अग्रेतर अवधि के लिये निरोध किया गया क्योंकि उन की उपस्थिति से नागाओं को अपने हिंसात्मक कार्य जारी रखने की प्रेरणा मिलने और शांति तथा व्यवस्था भंग होने के अतिरिक्त नागा समस्या के शांतिपूर्ण हल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी।

स्थिति सुधर जाने से इन दोनों व्यक्तियों के निरोध आदेश १८ फरवरी, १९६१ से रद्द कर दिये गये हैं और उन्हें रिहा कर दिया गया है।

उर्वरक संयंत्र

†२२४१. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में सरकार की सहभागिता से एक उर्वरक संयंत्र चलाने के लिये निर्मित किये जाने वाले समवाय में एक अमरीकी सार्थ-संघ के ५१ प्रतिशत अंश होंगे ; और

(ख) क्या वह योजना तीसरी पंच वर्षीय योजना की सामान्य रूपरेखा के अन्तर्गत है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). उर्वरकों के उत्पादन के लिये दुर्गापुर में एक कारखाने की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। ऐसी परियोजना में वित्तीय सहभागिता के लिये पश्चिम बंगाल सरकार और अमरीकी सार्थों के संघ के बीच बातचीत चल रही है। इन चर्चाओ के परिणामस्वरूप जो योजना तैयार होगी उस पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जायेगा और तब इस बात की छानबीन की जायेगी कि क्या विदेशी सहयोगियों को बहुमत अंश देना आवश्यक अथवा उचित है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये सहकारी समितियां

†२२४२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आवास की समस्या हल करने के लिये सरकारी कर्मचारियों के लिये हाल में निर्मित सहकारी समितियों को अपने सदस्यों के लिये क्रय-विक्रय के आधार पर मकान बनाने के लिये कोई धनराशि देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय में केवल दिल्ली के सरकारी कर्मचारियों की सहकारी समितियों को धन देने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। परन्तु सरकारी कर्मचारियों की सहकारी समितियां अन्य सहकारी समितियों की तरह अल्प आय वर्ग आवास योजना और मध्य वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत देय ऋण सुविधायें प्राप्त कर सकती हैं। सरकारी कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत हैसियत में भी "मकानों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अग्रिम धन की मंजूरी का विनियमन करने वाले नियमों" के अन्तर्गत मकान बनाने के लिये ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

मद्रास राज्य में कताई मिलें

†२२४३. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में इस समय सहकारी क्षेत्र में कितने हथकरघे हैं और प्रतिमाह कितने सूत की आवश्यकता होती है ;

(ख) मद्रास राज्य में कितनी कताई मिलें हैं, उनमें कितने तकुए हैं और प्रतिमाह कितना सूत दिया जाता है ;

(ग) क्या तीसरी योजना अवधि में सूत की आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया है ;

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या मद्रास सरकार ने तीसरी योजना अवधि में सहकारी क्षेत्र में नई कताई मिलें चालू करने की अनुमति मांगी है ; और

(च) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मद्रास राज्य में सहकारी क्षेत्र में २,०१,९९० हथकरघे हैं और प्रतिमाह ४०० पौंड की ७,२४० गांठों की आवश्यकता पड़ती है।

(ख) मद्रास राज्य में ५२,००० तकुओं की चार सहयोगी कताई मिलों को लाइसेंस दिये गये हैं। उनकी सूती सूत बनाने की क्षमता का अनुमान प्रतिमाह ४०० पौंड की ३००० गांठों का है। इनमें से ५८७ गांठें प्रतिमाह की क्षमता वाली एक मिल में उत्पादन चालू हो गया है।

(ग) और (घ). तीसरी योजना अवधि के लिये सूत की आवश्यकता का अनुमान २२,५०० लाख पौंड लगाया गया है।

(ङ) और (च). मद्रास सरकार ने सहकारी क्षेत्र में चार या पांच नई कताई मिलें खोलने के लिये पर्याप्त क्षमता के आरक्षण की प्रार्थना की है।

काश्मीरी और डोगरी भाषाओं में प्रलेखचित्र

†२२४४. **शेख मुहम्मद अकबर** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय ने १९६०–६१ में अभी तक काश्मीरी और डोगरी भाषाओं में कुल कितने प्रलेखचित्र तैयार किये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : १९६०–६१ में काश्मीरी और डोगरी में कोई भी प्रलेख चित्र नहीं बनाया गया है। अब जम्मू तथा काश्मीर में प्रदर्शन के लिये साधारण उर्दू में चलचित्र बनाये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनीपुर में अनुसूचित जातियों के लिये निधियां

†२२४५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये स्थानीय प्रशासन द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये ६.४९ लाख रुपये की राशि का निधियों के रूप में आवण्टन का प्रस्ताव किया गया है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस राशि की मंजूरी दे दी है ; और

(ग) क्या मनीपुर के अनुसूचित जाति मंत्रणा बोर्ड ने समस्त राशि के आवण्टन तथा उसमें कमी न करने की सिफारिश की है ?

†**श्रम और योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) मनीपुर प्रशासन ने अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये ६.४७ लाख रुपये का प्रस्ताव किया है ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली के पुराने राजेन्द्र नगर में क्वार्टर

†२२४६. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुराने राजेन्द्र नगर में ८६ वर्ग गज क्षेत्र के क्वार्टर, जिनमें स्नानगृह, चौका तथा चारदीवारी भी है, दो दो विस्थापित व्यक्तियों को, परिवार के आकार का विचार न करते हुए, दिये गये हैं ;

(ख) क्या एक विस्थापित व्यक्ति को उस बस्ती में एक १०० वर्ग गज का प्लाट आवण्टित किया गया है ; और

(ग) क्या पुराने राजेन्द्र नगर के क्वार्टर एक एक परिवार को दिये जाने के लिये वर्गीकृत किये गये थे ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) हां, श्रीमान् । मल्टीपिल एलाटमेंट कमेटी द्वारा १५ क्वार्टर मूल एलाटियों द्वारा सब-लैट किये जाने के कारण ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

मछली, फलों और साग-सब्जियों का निर्यात

†२२४७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय निर्मित खाद्य वस्तुओं जैसे कि मछली, फलों और साग सब्जियों के बड़े पैमाने पर निर्यात की संभावनाओं की जांच के लिये अगस्त, १९५९ में जिस शिष्ट-मण्डल ने पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और कुछ अन्य पश्चिमी देशों का दौरा किया था, उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) उनके सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३**]

दिल्ली में सिनेमा-घर

२२४८. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन की ओर से दिल्ली में गत पांच वर्षों में कितने सिनेमा-घरों को लाइसेंस दिये गये ;

(ख) क्या उक्त अवधि में तत्संबंधी नियम बदले गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) छः

(ख) और (ग). जी, हां। समय-समय पर जनता की भलाई, सुरक्षा और सुविधा की खातिर नियमों में संशोधन किये गये हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों और सर्कलों का पुनर्गठन

†**२२४९. श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नये जोनों के निर्माण के परिणामस्वरूप वर्तमान डिवीजनों तथा सर्कलों का पुनर्गठन किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसके परिणामस्वरूप पदोन्नति तथा छंटनी के आयोजन के लिये कर्मभारित कर्मचारियों की वरिष्ठता में गड़बड़ पैदा हो गयी है।

(ग) यदि हां, तो ऐसी क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे वरिष्ठता में गड़बड़ पैदा न हो; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) जी, हाँ।

(ख) संभव है कि इससे कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता पर असर पड़े।

(ग) और (घ). डिवीजनों और सर्कलों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कुछ एक कर्मभारित कर्मचारियों को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में स्थानान्तरित कर दिया गया है। उन कर्मचारियों की वरिष्ठता की यहां तक रक्षा की गयी है कि नये यूनिटों में वरिष्ठता का हिसाब लगाते समय उनकी गत सेवाओं को ध्यान में रखा जायेगा। परन्तु फिर भी हो सकता है कि नये यूनिटों में उनकी वरिष्ठता की वह स्थिति न हो जो कि उनके पूर्व-वर्ती यूनिटों में होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैदराबाद में केन्द्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी सन्था

†२२५०. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार का हैदराबाद में केन्द्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी सन्था की अंश पूंजी में अंशदान देने का विचार है?

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता की प्राप्ति के सम्बन्ध में इस बारे में कोई योजना भेजी है;

(ग) योजना का ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

†**उद्योग उपमंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). हथकरघा उद्योग को दी जाने वाली सहायता के स्वीकृत रूप के अनुसार, राज्य सरकारें हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों की अंश पूंजी में प्रदत्त पूंजी के ५१ प्रतिशत अंश तक की राशि का अंश दान दे सकती है। परन्तु एक विशेष मामले के रूप में आन्ध्र प्रदेश सरकार को हैदराबाद की केन्द्रीय हथकरघा बुनकरी संस्था को ७५ प्रतिशत तक अंश दान देने की अनुमति दी गयी है।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा छापे

†२२५१. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९६१ के दूसरे सप्ताह में जम्मू से १६ मील की दूरी पर गही नामक एक गाँव पर पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के एक सशस्त्र दल ने छापा मारा था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १४–१५ फरवरी, १९६१ की रात्रि को काना चाक पुलिस स्टेशन के अधीन आने वाले गाड़ी नामक ग्राम के एक निवासी के घर में डाका पड़ा था। ऐसा अनुमान किया जाता है कि शरारती लोग पाकिस्तान से आये थे।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर पुलिस ने जांच के लिये एक मामला दर्ज कर लिया है।

मकान-किराया

†२२५२. **श्री राधा रमण** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्वार्टरों के आवटियों, सन्थाओं तथा कर्मचारी परिषदों से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मंहगायी भत्ते के मूल वेतन में मिला देने के कारण मकान के किराये को १० प्रतिशत से घटा कर ७½ प्रतिशत कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय किया गया था कि १५० रुपये मासिक से कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से उनके वेतन के ७½ प्रतिशत के हिसाब से मकान का किराया लिया जाये। प्राप्त अभ्यावेदन में यह कहा गया था कि यह रियायत १५० रुपये या उससे अधिक पाने वालों को भी दी जाये। उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया है।

जापान से भारत को कागज बनाने की मशीनों का निर्यात

†२२५३. **श्री रामकृष्ण रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक टोकियो की मशीनरी फर्म ने भारत को एक जापानी कागज निर्माण संयंत्र के निर्यात तथा निर्माण सम्बन्धी जानकारी देने सम्बन्धी एक प्रविधिक करार स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या उस फर्म ने भारत में स्थापित करने के लिये लगभग २०० लाख रुपयों की कीमत के संयंत्र का निर्यात करने के सम्बन्ध मे बिहार की एक औद्योगिक फर्म तथा अन्य कागज निर्माण फर्मों के साथ एक करार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्योरा क्या है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). मेसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डालमियानगर (बिहार) ने, जिसे कागज निर्माण मशीनरी के निर्माण के लिये लाइसेन्स दिया गया है, कागज निर्माण मशीनरी के निर्माण के लिये मैसर्स ओकामोटी टेक्को कम्पनी लिमिटिड, जापान के साथ प्रविधिक सहयोग के सम्बन्ध में सरकार को एक सुझाव भेजा है। यह सुझाव सरकार के विचाराधीन है। इस जापानी फर्म द्वारा कागज निर्माण मशीनरी के संभरण के सम्बन्ध में किये गये किसी भी करार के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। पर हाँ, कुछ एक भारतीय कागज मिलों ने मशीनरी के संभरण के लिये एक जापानी फर्म के साथ ठेका किया है जो कि मेसर्स ओकामो टेक्को का एजेन्ट कहलाती है।

उड़ीसा में बुनकरों के लिये सहकारी रिहायशी बस्ती

†२२५४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पुरी के जिले में खुरदा समिति द्वारा बुनकरों के लिये सहकारी रिहायशी बस्ती की स्थापना कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों के लिये और उस पर कितनी लागत आयी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पुरी जिले में सनापादार में सहकारी रिहायशी बस्ती के निर्माण के लिये टेंडर मांगने के बाद उस योजना को छोड़ दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दो बस्तियां—एक ४० परिवारों के लिये और दूसरी ६० परिवारों के लिये है जिन पर क्रमश: १,४४,००० रुपये और २,१६,००० रुपये खर्च आये हैं।

(ग) जी हां।

(घ) राज्य सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि सनपादार बुनकर सहकारी संस्था के लिये आवंटित रिहायशी बस्ती को रद्द कर दिया गया था क्योंकि राज्य सरकार का ध्यान संस्था के विरुद्ध लगाये गये कई आरोपों की ओर आकर्षित किया गया है।

त्रिपुरा से कपास का निर्यात

†२२५५. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा से कपास के अत्यधिक निर्यात के परिणामस्वरूप त्रिपुरा की ओटने की मिलों का कार्य लगभग समाप्त होने वाला है और उन मिलों के मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अत्यधिक निर्यात के क्या कारण हैं और बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). त्रिपुरा राज्य में एक विशेष किस्म की कपास पैदा की जाती है जिसे 'कोमिलास' कहते हैं और वह भारत की मिलों में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। वह कपास पूरी की पूरी विदेशों को भेज दी जाती है। इसलिये इस कपास के अत्यधिक निर्यात का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा की कपास ओटने तथा दबाने वाली फैक्टरियां केवल ओटने के मौसम में ही चलती हैं अर्थात् वे केवल सितम्बर से जनवरी तक ही चलती हैं और शेष अवधि में खाली रहती हैं। यह तो एक सामान्य सी बात है। फैक्टरियों के उन मजदूरों को खाली समय में भी रोजगार देने की दृष्टि से पहले ही कई उपायों पर जैसे कि सहायक उद्योगों की व्यवस्था और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के संबंध में पहले से ही विचार किया जा रहा है।

उद्योगों के लिये लाइसेंस

†२२५६. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० के पत्री वर्ष में नयी योजनाओं के लिये और पुरानी योजनाओं के पर्याप्त विस्तार के लिये विभिन्न उद्योगों के लिये कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये थे ;

(ख) उक्त लाइसेंस प्राप्त योजनाओं में से ऐसी कितनी योजनायें थीं, जिन्हें पहले ही विदेशों से पूंजीगत वस्तुओं, संयंत्रों तथा मशीनरियों के लिये पहले ही आयात लाइसेंस प्राप्त थे ;

(ग) वे आयात लाइसेंस कितनी कीमत की पूंजीगत वस्तुओं, संयंत्रों और मशीनरियों के लिये जारी किये गये थे ; और

(घ) भाग (क) में उल्लिखित जिन उद्योगों के लिये औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे उनमें से कितने उद्योग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक पूंजीगत वस्तुओं, मशीनरी आदि के आयात के लिये आयात लाइसेंस जारी नहीं किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड

†२२५७. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड किसी संस्था को सहायता दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किस संस्था को ; और

(ग) १९६०-६१ में अभी तक कितनी सहायता दी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४**]

निर्यात संवर्द्धन

†२२५८. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात संवर्द्धन संबंधी मामलों पर फैसला करने के लिये सचिवों तथा अन्य पदाधिकारियों की एक समिति नियुक्त करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति का क्षेत्राधिकार स्वरूप तथा शक्तियां क्या होंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित समिति अन्तर्मंत्रालय परामर्श की आवश्यकता से संबंध रखने वाले मामलों को हल करेगी । उसका काम होगा उच्च प्रशासनिक स्तर पर व्यक्तिगत चर्चा के द्वारा निर्णय करने के कार्य को गति देना । इसकी शक्तियों को निश्चित रूप से निर्धारित करने का कोई विचार नहीं है ।

त्रिपुरा विक्रय एम्पोरियम के धन का गबन होना

†२२६०. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में त्रिपुरा विक्रय एम्पोरियम के धन में गबन होने के बारे में पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि गबन हुई है और उसमें कौन कौन व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) क्या इस संबंध में अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) संभवतः त्रिपुरा प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे विक्रय एम्पोरियम के संबंध में पूछा जा रहा है । यदि हां तो वहां पर गबन के किसी भी मामले का पता नहीं लगा है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियरिंग उद्योग वस्तुओं का निर्यात

†२२६१. **श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद के सभापति ने हाल ही में सरकार से निवेदन किया है कि वह इंजीनियरिंग उद्योग वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन के लिये प्रेरणा दे ;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में प्रेरणा मांगी गयी थी ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) ज्ञात हुआ है कि इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के सभापति ने हाल ही में एक प्रैस कांफ्रेंस में सरकार से निवेदन किया है कि निर्यात के लिये और अधिक प्रेरणायें दी जायें।

(ख) प्रैस रिपोर्ट के अनुसार मांगी गयी प्रेरणाओं में कच्चे लोहे तथा इस्पात की कीमतों में कमी, नौवहन भाड़े में कमी, आयकर में कमी और निर्यात संवर्धन योजना के अधीन आयात स्वत्व में वृद्धि करना सम्मिलित हैं।

(ग) इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माताओं को पहले ही पर्याप्त प्रेरणायें दी जा चुकी हैं। परिषद् द्वारा की गयी विशिष्ट मांगों के संबंध में सरकारी निर्णयों को फैसला होने के बाद शीघ्र ही सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया जाता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों के लिये भूमि

†२२६२. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कुछ कालेजों को भूमि आवंटित की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कालेजों के क्या क्या नाम हैं और उन्हें किस क्षेत्र में भूमि मिली है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) :** (क) जी, हां।

(ख) निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय ने दयालसिंह कालेज को लोदी रोड पर, पी० जी०, डी० ए० वी० कालेज को भी लोदी रोड पर, श्रीमती जानकी देवी कालेज को पूर्वी मार्ग पर और सनातन धर्म कालेज को रिंग रोड पर भूमि आवंटित की है।

मुरादाबाद में बर्तनों आदि पर सुनहरी पालिश करने का कारखाना

†२२६३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादाबाद में तांबे और पीतल के बर्तनों आदि पर सुनहरी पालिश करने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना खर्च आयेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). हमें मुरादाबाद में पीतल और तांबे के बर्तनों आदि पर सुनहरी पालिश करने का कारखाना स्थापित करने के बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

हाथ से बनी मिट्टी की वस्तुओं को पकाने के लिये भट्ठा[1]

†२२६४. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दस्तकारी उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये हाथ से बनी मिट्टी की वस्तुओं को अत्यधिक उच्च तापांश पर पकाने के लिये सामान्य भट्ठा बनाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हाथी दांत का आयात

†२२६५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के बाद प्रति वर्ष कितनी मात्रा में हाथी दांत का आयात किया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उससे देश के कुटीर उद्योगों की मांग को पूरा नहीं किया जा सका था ; और

(ग) क्या आगामी वर्ष में कुटीर उद्योग को हाथी दांत के संभरण को बढ़ा देने के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध किये जा रहे हैं; और यदि हां, तो क्या ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५६-५७ से १९६०-६१ (अप्रैल-नवम्बर, १९६०) तक आयात किये गये (अनिर्मित) हाथी दांत के सम्बन्ध में आंकड़े निम्न-लिखित हैं:—

वर्ष	मात्रा—१००० पौंडों में	कीमत—१००० रुपयों में
१९५६-५७	२७६	४२४४
१९५७-५८	२५८	३३४६
१९५८-५९	८८	२४९४
१९५९-६०	१७७	३४८८
१९६०-६१ (अप्रैल—नवम्बर)	१३३	२९७०

(ख) यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि हाथी दांत के निर्माता कच्चे हाथी दांत की कमी महसूस कर रहे हैं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Kiln for Handmade Pottery.

(ग) हाथी दांत की वस्तुओं के बदले में कच्चे हाथी दांत के आयात के सम्बन्ध में एक विशेष योजना पर विचार किया जा रहा है ।

कुटीर उद्योग के लिये कच्चा माल

†२२६६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण कुटीर उद्योगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है; और

(ग) क्या इस कमी को स्वदेश से ही पूरा किया जा सकता है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). नारियल जटा उद्योग, हथकरघा और खादी तथा ग्रामोद्योगों के कच्चे माल के सम्बन्ध में कोई कमी नहीं है । हस्त शिल्प तथा रेशम कृमि उद्योग के सम्बन्ध में कच्ची सामग्री की कुछ कमी का अनुभव किया जा रहा है । जहां तक हस्त शिल्पों का सम्बन्ध है, कलात्मक धातु बर्तनों, हाथी दांत की वस्तुओं, जरी की वस्तुओं और गलीचों के लिये आवश्यक सामग्री की कुछ कमी का अनुभव किया जा रहा है । कुल कमी के सम्बन्ध में अनुमान लगाया जा रहा है । अधिकांश कमी को आयात के द्वारा पूरा करना पड़ेगा । जहां तक रेशम कृमि पालन उद्योग का सम्बन्ध है, कच्चे रेशम की ६ से ९ लाख पौंड की कमी है और कते हुये रेशम की १.३५ से २ लाख पौंड की कमी है । इस कमी को स्वदेशी स्रोतों से पूरा नहीं किया जा सकता है ।

हस्त शिल्प की वस्तुएं

†२२६७. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने एम्पोरियमों में इस समय हस्त शिल्प की वस्तुएं बेची जा रही हैं; और

(ख) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष इनकी बिक्री से कितनी आय हुई थी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जहां तक सरकार को ज्ञात है, लगभग १४२ एम्पोरियमों में हस्त शिल्प की वस्तुएं बेची जा रही हैं । ये एम्पोरियम विभिन्न अभिकरणों द्वारा जैसे राज्य सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं, व्यापारियों आदि द्वारा चलाये जा रहे हैं और उनकी बिक्री के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को दिये गये मकानों के किराये

†२२६८. { **श्री बाजपेयी** :
श्री आसर :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सरकारी आवास स्थानों में रहने वाले कर्मचारियों से प्रतिकर भत्ते के सम्बन्ध में भी १० प्रतिशत किराया काटा जा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली में क्वार्टरों के आवंटन के प्रयोजन के लिये उक्त भत्ते को ध्यान में नहीं रखा जाता; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकारी आवास स्थानों के लिये किराये की वसूली के प्रयोजन के लिये वेतन में अन्य राशियों के अतिरिक्त मूल नियम ४५-सी के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर (नगर) भत्ता भी सम्मिलित है । विभिन्न कोटियों के आवास के लिये अफसरों की पात्रता का निर्णय आवंटन नियमों में निर्धारित 'वेतन' के अनुसार होता है, इस प्रयोजन के लिये 'वेतन' का निर्धारण करते समय प्रतिकर (नगर) भत्तों को ध्यान में नहीं रखा जाता है । यह भत्ता तो सरकारी कर्मचारियों को केवल उन्हीं नगरों में दिया जाता है जहां रहन सहन का व्यय अधिक है और वह नगर की महंगाई के अनुसार होता है । किसी भी कर्मचारी को दिये जाने वाले आवास स्थान की कोटि वेतन के आधार पर ही निर्धारित की जाती है । इसके अतिरिक्त आवंटन के प्रयोजन के लिये 'वेतन' में इस भत्ते को मिला देने से भी कर्मचारियों को उच्च वर्ग के स्थान प्राप्त करने में भी कोई लाभ न होगा ।

पहाड़गंज, नई दिल्ली में नजूल भूमि पर बनाये गये मकान

†२२६६. { **श्री वाजपेयी** :
श्री आसर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़गज, नई दिल्ली में निष्क्रान्त व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई नजूल भूमि पर जिन विस्थापित व्यक्तियों ने अपने मकान बना लिये थे, उनसे अब 'सद्भाव' के रूप में कुछ राशि मांगी जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि इस भूमि को पुनर्वास मंत्रालय द्वारा अधिग्रहण किया गया था या इसका विकास किया गया था, तो भी कस्टोडियन इस नजूल भूमि के लिये ५० से ८० रुपये प्रतिगज के हिसाब से राशि मांग रहे हैं ;

(ग) क्या इस भूमि पर विस्थापित व्यक्तियों द्वारा निर्मित मकानों की नीलामी के लिये टेण्डर मांगे जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप शरणार्थी फिर से बेघर हो जायेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार से बेघर हुए शरणार्थियों के बसाने के सम्बन्ध में कोई योजना बना ली गई है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) से (घ). मामला अभी दिल्ली सुधार प्राधिकार तथा अन्य सम्बद्ध विभागों के विचाराधीन है । जब तक निर्णय नहीं हो जाता, मकानों की बिक्री रोक दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रमंडलीय प्रधान मत्री सम्मेलन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति की एक प्रति सभा-पटल पर रखना चाहता हूं। इसका अधिकांश भाग सभवत: समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है परन्तु फिर भी उसकी एक सही और पूर्ण प्रति माननीय सदस्यों के निर्देश के लिये आवश्यक है।

मैं इस सम्मेलन में बहुत हिचकते हुये गया था। सामान्यत: मैं संसद् की बैठक के दौरान, विशेष कर बजट सत्र में, भारत से बाहर जाना पसंद नहीं करता हूं। इसके अतिरिक्त उस समय हमारे एक अत्यन्त प्रिय और प्रमुख सहयोगी सख्त बीमार पड़े हुये थे। फिर भी मैंने सोचा कि मुझे जाना ही चाहिये क्योंकि यह राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों की बैठक असाधारण महत्व की थी तथा उसमें अनेक ऐसे निर्णय हुये हैं जो पहले के निर्णयों से कहीं अधिक महत्व के हैं।

यह सामान्य बैठक नहीं थी वरन् विशेष कारणों से बुलाई गई थी और उसमें कुछ निर्दिष्ट समस्याओं पर विचार किया जाना था जैसे निःशस्त्रीकरण, राष्ट्रसंघ का गठन और कुछ राष्ट्र-मंडल सम्बन्धी वैधानिक समस्यायें। इसके अतिरिक्त हमने एक अबिलम्बनीय महत्व के मामले, अर्थात् कांगो की स्थिति, पर भी विचार किया। हमने अपना ध्यान इन्हीं मामलों तक केन्द्रित रखा। परन्तु दक्षिण अफ्रीका का प्रश्न अन्य समस्त कार्यवाही पर छाया रहा। उस पर हमने काफी विस्तारपूर्वक विचार किया और वह हमारे दिमागों में उस समय भी बना रहा जब कि हमने अन्य मामलों की चर्चा की क्योंकि राष्ट्रमंडल का समस्त भविष्य उस पर निर्भर था।

संभवत: सभा को ज्ञात होगा कि यह प्रश्न इसलिए आया कि दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार ने राष्ट्र मंडल का सदस्य बने रहने का प्रार्थनापत्र दिया था यद्यपि इस वर्ष ३१ मई को वह गणराज्य बनने जा रहा है। सामान्यत: राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन द्वारा आन्तरिक मामलों पर चर्चा नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त कि ी देश का गणतन्त्र बनना राष्ट्रमंडल में कोई नई बात नहीं रह गई है और हमारे लिए तो किसी देश के गणतन्त्र बनने का विरोध करना बड़ी अजीब बात होगी। इस मामले में हमारे विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। परन्तु दक्षिण अफ्रीका संघ की सरकार की जाति-भेद की नीति के कारण उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकी।

वास्तव में स्वयं दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री ने, जो बैठक में उपस्थित थे, इस विषय पर विचार किया जाना स्वीकार किया और उस पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। बै क में उपस्थित समस्त अन्य प्रधान मंत्रि ों का यह विचार था कि राष्ट्रमंडल को कायम रखने के लिए जातीय समानता की नीति का पालन एक आधारभूत आवश्यकता है और दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नीति उसके अनुरूप नहीं है। वास्तव में, जैसा कि हम सब जानते हैं, वह उसके बिलकुल विपरीत है और चूंकि दक्षिण अफ्रीका की सरकार, अर्थात् वहां के प्रधान मंत्री अपनी नीति में तनिक भी परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं थे इसलिए अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे राष्ट्रमंडल में फूट पड़ने की संभावना थी। यह स्पष्ट था कि यदि राष्ट्रमंडल का एक सदस्य भी ऐसी नीति का अनुकरण करेगा तो उसका अन्य सदस्यों पर असर पड़ेगा तथा उनका राष्ट्रमंडल में बना रहना कठिन हो जाएगा। मुझे इसके सम्बन्ध में अधिक कहने की अवाश्यकता नहीं है क्योंकि देश का प्रत्येक व्यक्ति

---

†मूल अंग्रेजी में

इसे महसूस करता है और यह राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रश्न है । हम समझते थे कि हमारे लिए ऐसे संगठन का सदस्य रहना अनुचित है जो दक्षिण अफ्रीका संघ सरकार की जातीय नीतियों को सहन करता है । दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका संघ के प्रधान मंत्री भी अपनी स्थिति पर उतने ही दृढ़ थे । इसके बारे में कोई समझौता नहीं हो रहा था इसलिए किसी प्रकार के विच्छेद की संभावना थी ।

जहां तक विच्छेद का प्रश्न है कोई भी अथवा अधिकांश लोग उसे पसन्द नहीं करते हैं। निर्माण करने की अपेक्षा तोड़ना हमेशा आसान होता है । हमें टूटने का विचार पसन्द नहीं था परन्तु स्थिति ऐसी थी कि कोई रास्ता ही नहीं रह गया था । अन्ततः दक्षिण अफ्रीका संघ के प्रधान मंत्री ने अपनी सदस्यता जारी रखने का प्रार्थनापत्र वापस ले लिया। इस प्रकार फिलहाल जहां तक राष्ट्रमंडल का सम्बन्ध है यह प्रश्न हल हो गया है।

राष्ट्रमंडल का यह कदम बहुत महत्वपूर्ण था और मैं समझता हूं कि उससे वह अधिक दृढ़ हो गया है, कमजोर नहीं। इसका महत्व इसलिए और भी अधिक है कि जातीय समानता का इन उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है । वास्तव में राष्ट्रसंघ के चा`र में भी उसका उल्लेख है और दक्षिण अफ्रीकी सरकार जो कुछ करती रही है वह उस चार्टर का उल्लंघन है । इसलिए दक्षिण अफ्रीका सम्बन्धी इस निर्णय ने राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के इस सत्र को अभूतपूर्व बना दिया है । समस्त संसार का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ है और उसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे । परन्तु हमें यह महसूस करना चाहिए कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रमंडल से निकल जाने से उसकी जातीय भेदभाव की नीति में कोई फर्क नहीं पड़ा है । वास्तव में दक्षिण अफ्रीकी प्रधान मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उसका पहले की तरह ही अनुसरण करेंगे। वास्तव में यह विच्छेद इसी के परिणामस्वरूप आ है ।

इस प्रकार वह बुराई पहले से भी उग्रतर रूप में कायम रहेगी । हम केवल इतना संतोष कर सकते हैं कि हम उसके साथ किसी भी प्रकार से सम्बद्ध नहीं हैं। यहां मैं यह बता देना चाहता हूं कि 'हम' का तात्पर्य केवल भारत से नहीं है वरन् अनेक अन्य देशों से भी है। संसार के प्रत्येक देश में राष्ट्रमंडल के जातीय समानता के समर्थन का स्वागत हुआ है और दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रमंडल से अलग हो जाना इस बात का प्रमाण है कि वह विश्व लोकमत से सर्वथा विलग है ।

मेरे लिए यह बताना ठीक नहीं होगा कि राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन की ैठकों में क्या हुआ। परन्तु यह सर्वविदित है कि इस प्रश्न का केवल एशियाई तथा अफ्रीकी सदस्यों ने ही समर्थन नहीं किया था वरन् उसे सभी सदस्यों का भिन्न भिन्न मात्रा में समर्थन प्राप्त हुआ था और दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि के विचारों का किसी ने भी समर्थन नहीं किया था । परन्तु हमें यह याद रखना चाहिए यह नीति उस समय तक कायम रहेगी जब तक कि विश्वमत अथवा विश्व संगठन का दवाब नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस अफ्रीक में निरन्तर स्वतंत्र देशों का जन्म हो रहा हैं वहीं दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार की जातीय पृथकता और भेदभाव की नीति कायम रहे। मैं नहीं समझता कि यह स्थिति अनेक देशों में संघर्ष उत्पन्न किए बिना कायम रह सकेगी। क्योंकि अफ्रीका के नए देशों के लिए ऐसी स्थिति को सहन करना सर्वथा असंभव है ।

जहां तक राष्ट्रमंडल का सम्बन्ध है यह एक विचित्र बात है कि अफ्रीका के इन स्वतंत्र देशों को जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, दक्षिण अफ्रीका में सामान्य राजनयिक मिशन खोलने की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि वे दूसरी जाति के हैं और मैं समझता हूं यह बात एशिया के

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सम्बन्ध में भी लागू होती है । दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री ने अपनी नीति की व्याख्या करते हुए कहा कि यह जातीय असमानता नहीं है वरन् विभिन्न जातियों के पृथक विकास की नीति है ।

†**एक माननीय सदस्य** : सह-अस्तित्व ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं यह आशा कर रहा था कि वह यह करेंगे--पता नहीं उन्होंने वैसा क्या नहीं कहा--कि यह शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति है ।

विशेष रूप से अफ्रीका में हुई घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए दक्षिण अफ्रीका का विकास बहुत ही महत्व का है । इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को जिसे प्राचीन लीग आफ नेशन्स ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका सरकार को दे दिया गया था अब व्यावहारिक रूप में शासन की दृष्टि से तथा अन्यथा भी दक्षिण अफ्रीका संघ में मिला लिया गया है । यह बात पुराने अधिदेश का उल्लंघन है । यह बात अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाये जाने वाली थी, और यह एक महत्वपूर्ण मामला है और जिन शर्तों के अधीन दक्षिण अफ्रीका संघ को दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर कतिपय अधिकार दिये गये थे, उनका पालन किया जाना चाहिये ।

उपनिवेशवाद की दृष्टि से यदि अफ्रीका की स्थिति का अवलोकन किया जाये तो हम देखते हैं कि जहां एक ओर इस दिशा में महान उन्नति हुई है और हो रही है, तथा नये नये प्रांत स्वतंत्र हो रहे हैं वहां दूसरी ओर कुछ ऐसे भी देश हैं जो पूर्णतः विदेशी प्रभाव में हैं और वहां विदेशी शासकों के द्वारा, विशेष रूप से पुर्तगाली उपनिवेशों में जनता का महान शोषण हो रहा है ।

आज अफ्रीका विभिन्न दृष्टियों से संसार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है । कांगो की स्थिति के बारे में हमने विस्तृत रूप से वहा चर्चा की और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कांगो में विकास सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी सभा को बराबर दी जा रही है । समाचार में कांगो के बाले में थोड़ा सा उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वे सुरक्षा परिषद् द्वारा २१ फरवरी को पारित किये संकल्प का पूर्ण समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि यह पूर्णतः और तेजी के साथ क्रियान्वित किया जाना चाहिये। सम्मेलन में तथा जहां कहीं भी मैं गया वहीं मैं ने देखा और सुना कि इस बात की बड़ी प्रशंसा की गई है कि भारत ने कांगो में अपनी सशस्त्र सेनायें भेजी हैं और विशेषरूप ऐसे समय पर जब कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अनेक कठिनाइयां हैं ।

मैं संक्षेप में यह बता देना चाहता हूं कि कांगो की चर्चा के समय, कांगो के हालात की चर्चा के समय हमने इनके बारे में अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बता दिया, और यह भी बताया कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ को न केवल वहां के निवासियों ही ने बल्कि बाहर वालों ने भी किस प्रकार काम नहीं करने दिया । बाहर वालों में बड़े बड़े देश तथा कांगो स्थित उनके प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । कांगो के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ को निन्दा तथा आलोचना उन देशों द्वारा की जा रही है जो राजनैतिक क्षेत्र में एक दूसरे से मतभेद रखते

†मूल अंग्रेजी में

हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करने के मामले में जरूर सहमत है । यदि वे संयुक्त राष्ट्र संघ को आलोचना नहीं करते तो कम से कम उसके कामों के खिलाफ जरूर हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ कांगो में जो काम कर रहा है वह उसके लिये नया जरूर है । अगर उसको अपने काम में असफलता मिली तो यह उसके लिये ही बुरा नहीं होगा बल्कि सारे विश्व के लिये बुरी बात होगी । यदि इसे सफलता मिली तो इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा ही बढ़ेगी । और कांगो में जो घटनायें हुई हैं वैसी घटनायें फिर और कहीं नहीं होगी क्योंकि लोग जान जायेंगे कि विश्व की महानशक्ति उसके पीछे है । इसलिये यह बड़े महत्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिले । और सफलता मिलनी भी चाहिये क्योंकि वह सही रास्ते पर है । इसीलिये हमने आपनी सेनायें वहां भेजी हैं । हमने यह कार्य अपनी मर्जी से किया है सभा यह भी अच्छी तरह जानती है कि इससे पहले हमने यह कार्य कभी नहीं किया है । हालांकि इसमें कई तरह के खतरे भी हैं । यह कार्य हमने इसीलिये किया क्योंकि सुरक्षा परिषद् ने एक संकल्प पारित किया था और हम उस संकल्प से सहमत थे । उसका हमें समर्थन करना चाहिये था और इसीलिये हमने अपनी सेनायें भेजी हमारी कुछ सेना तो वहां पहुंच गई है ; कुछ पहुंचने वाली है । कुछ खतरे भी हैं जिनका उल्लेख मैं कर चुका हूं । मतादी बन्दरगाह पर जनरल मोबूतू ने अपना कब्जा कर लिया है । यह मामला हमारे लिये कठिनाई की बात है क्यों कि भारत अपनी सेनाओं के लिये सामान भेजेगा और वह सामान इसी बन्दरगाह द्वारा हो कर जायेगा अगर यह बन्दरगाह संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ में पूरी तरह नहीं होता तो हमारे सामने काफी कठिनाई आयेगी । संयुक्त राष्ट्र संघ के काम को अच्छी तरह चलाने के लिये यह आवश्यक है कि वहां के बन्दरगाह तथा हवाई अड्डे संयुक्त राष्ट्र संघ के हाथ में हो। हम स्थिति का बड़ी सावधानी के साथ अवलोकन कर रहे हैं । हमने अपनी सेनायें इस दृष्टि से भेजी हैं कि यदि आवश्यकता हुई तो ये सशस्त्र कार्यवाही भी करेंगी । लेकिन मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी । वैसे तो वे सेनाएं केवल शांति के प्रयोजन से और कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विधि एवं व्यवस्था की स्थापना करने के लि गई हैं। वे इसलिये भी गई हैं कि कांगो में वहां की संसद् की बैंठक हो सके और वे अपनी सरकार आदि के बारे में भी निर्णय आदि कर सके ।

हमने कांगो की किसी भी सरकार को अभी तक मान्यता नहीं दी है । हमने उन्हें केवल ाधिकारियों के रूप में ही स्वीकार किया है । विधिक स्थिति तो यही है कि पहले वहां कासाबूबू की अध्यक्षता वाली ही सरकार थी जिसके प्रधान मंत्री डा० लुमुम्बा थे। ोनों को मिलाकर ही उनकी अपनी कोई स्थिति थी । अकेले अकेले उनकी शक्ति कम थी ? श्री कासा-वूबू ने जब अकेले अपनी सरकार शुरू की तो उसकी विधिय स्थिति कोई नहीं थी हालांकि उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में कांगो का प्रतिनिधि मान लिया गया था । लेकिन बाद में इस स्थिति ने प्रतिकूल रूप धारण किया ।

मैं समझता हूं कि कांगो में सवाल सशस्त्र सेनाओं का नहीं है बल्कि सवाल तो वहां किराये के बेलजियन सैनिकों का है । और विशेष रूप से कटंगा में स्थित बेलजियन सैनिकों का है । छः महीने पूर्व उनको वहां से हटाने की मांग की गई थी लेकिन उनकी संख्या में बराबर वृद्धि हो रही है । पहले की अपेक्षा उनकी संख्या में वृद्धि हुई है । वे कांगो चले जरूर गये थे लेकिन फिर वापस आ गये और अब की बार पूणतः सशस्त्र

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

होकर न केवल उनकी सेना ही सशस्त्र थी बल्कि वे हवाई जहाज भी लाये थे । मैं यह तो नहीं कहता कि यह कार्य उनकी सरकार ने किया बल्कि कुछ बेलजियनों ने ऐसा किया । लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि यह कार्य बिना सरकार की सहायता के कैसे किया जा सकता है । इतना जरूर है कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यह कार्य न किया हो लेकिन वे जानते जरूर होंगे । कांगो में भेजने के लिये काफी मात्रा में बेलजियनों की भर्ती की गई आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करने के लिये उन्हें प्रशिक्षित किया गया । उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के काम के विरुद्ध भड़काया गया । यही सबसे बड़ी कठिनाई है । अगर वहां ये बेलजियन वाले न होते तो इतनी कठिनाई नहीं होती ।

हमारी सेनाएं कांगो में वही काम करेगी जो काम करने के लिये उनसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहेगा। यदि युद्ध करने के लिये कहा गया तो वे युद्ध भी करेंगे । लेकिन वास्तव में हम वहां के आन्तरिक मामलों में नहीं पड़ना चाहते । जो स्थिति आज वहां है वह वहां नहीं होती यदि आज से छः महीने पहले हमारी सलाह मान ली गई होती। आज स्थिति यह है कि वहां सभी लोग भारत की सेनाओं का विरोध करते हैं ।

२१ फरवरी को डा० लुमुम्बा की हत्या के सम्बन्ध में जांच करने के लिये सुरक्षा परिषद ने एक संकल्प पारित किया था । यदि यह जांच हुई तो हो सकता है कि वहां के कुछ व्यक्तियो, कुछ पदाधिकारियों के हक में यह बात अच्छी न हो । इसलिये वहां की परिस्थित्ति बड़ी जटिल है । लेकिन यह जटिलता विदेशी हस्तक्षेप के ही कारण है । और विशेष रूप से बेलजियनों के कारण ही ।

६ या ७ महीने पहले रूस ने भी वहां अपने ५०० टैक्नीसीयन भेजे थे । लेकिन उन सब को वहां से वापस बुला लिया गया क्योंकि श्री मोबूतू ने उनका वहां रहना ठीक नहीं समझा । लेकिन जो कुछ भी वहां हुआ है उसका दायित्व वहीं के लोगो पर अधिक है । इन विदेशी राज्यों के प्रतिनिधियों ने जाहिरा तौर पर तो राष्ट्र संघ का समर्थन किया लेकिन अन्दरूनी तौर पर वे मोबूतू, लक्षोम्बे आदि की सहायता करते रहे ।

सुरक्षा परिषद द्वारा पारित संकल्प में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कांगो में कोई सुधार होने से पूर्व यह आवश्यक है कि वहां से बेलजियन निवासियों को हटा लिया जाये । जैसे ही वहां से बेलजियन सेना, सैनिक बल, उनके राजनैतिक परामर्शदाता, तथा बेलजियन निवासी हटेंगे वैसे ही वहां की स्थिति अपने आप सुधर जायेगी । और जो लोग वहां संयुक्त राष्ट्र संघ का विरोध कर रहे हैं उनकी स्थिति कमजोर हो जायेगी । और फिर मैं समझता हूं कि वहां किसी सेना की आवश्यकता नहीं होगी । फिर वहां छोटी छोटी घटनाएं घट सकती हैं लेकिन वे सब वे मानी होंगी ।

रंग भेद के बारे में आज से ५० वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह शुरू किया था । मैं ने इसके बारे में वहां के प्रधान मंत्री का ध्यान भी आकर्षित किया। सवाल अब यह उठता है कि बेलजियनों को किस प्रकार निकाला जाये--जबरदस्ती निकालने के पक्ष में हम नहीं हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ, इंगलिस्तान तथा अन्य दूसरे देशों का बेलजियनों पर वरदहस्त है यदि वे चाहे तो वे बेलजियन सरकार पर दबाव डाल सकते हैं । और मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से वे अवश्य ही वहां से हट जायेंगे । जब यह बात इन

शक्तिशाली देशों ने बेलजियम सरकार से कहीं तो सरकार ने उत्तर दिया कि वे घुमक्कड़ लोग हैं जो अपने आप वहां गये हैं सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है । लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि कुछ थोड़े से व्यक्तियों के बारे में तो यह बात कही जा सकती है लेकिन इतने अधिक व्यक्तियों के बारे में यह बात कहां तक सही है, और विशेष रूप से जबकि वे अन्तरर्ष्ट्रीय स्थिति उत्पन्न किये हुए हैं, कहां तक ठीक है। अतः इन बेलजियनों का वहां से हटना नितांत आवश्यक है और उनके वहां से बिना हटे वहां शान्ति सम्भव नहीं है ।

त्शोम्बे तथा मोबूतू आदि ने मिलकर काम करने की कोशिश की लेकिन उनको इसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि उनके पीछे जनसाधारण का समर्थन नहीं था ।

जहां तक निःशस्त्रीकरण का प्रश्न है इस मामले में किसी समझौते का होना मुख्य रूप मे अमरीका तथा रूस पर निर्भर है । काफी सोच विचार के बाद हमने ग्यारह देशीय शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संकल्प रखा । हम अब भी उसको मानने को तैयार हैं हालांकि यह समस्या का समाधान नहीं करता । लेकिन फिर भी यह समस्या के समाधान का एक तरीका है ।

अगर रूस और अमरीका निःशस्त्रीकरण के लिये तैयार हो जाते हैं तो दूसरे लोग भी तैयार हो जायेंगे । इसलिये इन दोनों देशों को प्रथम में बातचीत करके कुछ रास्ता निकालना चाहिये । समझौते की चर्चा करने में भारत का नाम भी लिया जा रहा है । यह ठीक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने निःशस्त्रीकरण के मामले में काफी महत्वपूर्ण काम किया है । हमारा काम किसी की आलोचना करना अथवा उसकी अवहेलना करना नहीं रहा है बल्कि रचनात्मक सुझाव देना रहा है । अतः हमारा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जो भी समझौता या करार हो उसका लक्ष्य पूर्ण निःशस्त्रीकरण होना चाहिये । आंशिक निःशस्त्रीकरण की बात पुराने ढंग की है और पुराने युग की है । केवल आंशिक निःशस्त्रीकरण से विश्व की अशान्ति का अंत नहीं होगा । हम देखते हैं कि अमरीका के प्रसीडेंट कैनेडी भी निःशस्त्रीकरण के प्रश्न में हैं और रूस भी चाहता है । ऐसी स्थिति में यह कोई कठिन बात नहीं लगती कि निःशस्त्रीकरण के बारे में फिर कोई समझौता न हो । अतः हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही इस बारे में कोई समझौता हो जायेगा ।

इनके अलावा राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन में अन्य घरेलू बातों पर भी चर्चा की गई थी । साइप्रस को सदस्य बना लिया गया है जो कि स्वागत करने की बात है। वहां के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन में भाग लिया । आगामी ५ या ६ सप्ताह में सीरिया लोने भी इसका सदस्य बन जायेगा ।

अत में हिन्द चीन और विशेष कर लाओस के प्रश्न पर भी विचार विमर्ष हुआ । वहां की स्थिति अभी तक विषय बनी हुई है । लाओस के नेता राजकुमार सुवन्ना फूमा अभी हाल में भारत में आये थे । हमारी उनसे बातचीत हुई । कुछ सुझाव भी रखे गये । इस सम्बन्ध में रूस तथा चीन के प्रस्ताव अति निकट हैं । अगर ये लोग हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो निश्चय ही हम कुछ करेंगे । बहुत दिन हुए तब हमने लाओस में एक आयोग को फिर से बनाने का सुझाव दिया था। शुरू में तो वे तैयार नहीं हुए लेकिन अब धीरे धीरे इसी ओर बढ़ रहे हैं । प्राचीन जिनेवा सम्मेलन के आधार पर ही एक सम्मेलन बुलाने की मांग की गई थी । यह मांग कम्बोडिया ने रखी थी बाद में रूस ने भी इसका समर्थन किया । लेकिन हिन्द चीन में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की बैठक बुलाना और उसके बाद एक सम्मेलन आयोजित करना इस बात पर निर्भर है कि वहां तुरंत ही युद्ध रोक दिया जाये । रूस के पास इस आशय का एक संदेश भेजा जा चुका है । और यदि रूस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सहमत हो जाता है तो इस आयोग की बैठक दिल्ली में ही बुलाई जायेगी । जिनेवा करार का मूल आधार यही था कि हिन्द चीन के देश किसी भी सैनिक ग्रह में सम्मिलित न हों और लगभग तटस्थ रहें। क्योंकि इसी में उनका भला है ।

लाओस के संबंध में कठिनायी यह है कि विभिन्न पक्ष इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे ऐसी नीति को स्वीकार करें जो कि एक या दूसरे सैनिक गुट का समर्थन करे । इसी के फलस्वरूप वहां युद्ध छिड़ गया है । इसका हल केवल यह है कि लाओस को एक तटस्थ देश मान लिया जाय । यद्यपि भारत के संबंध में मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग उचित नहीं समझता हूं तथापि लाओस के संबंध में यह नीति ठीक होगी अर्थात ऐसी सरकार जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व हो तथापि वे किसी के साथ सैनिक समझौता न करें । जब तक हम इस उद्देश्य की पूर्ति का प्रयत्न नहीं करेंगे इस समस्या का हल नहीं हो सकता है । राजकुमार सुवन्ना फूमा जो यहां आये थे यही बात चाहते थे । वह वहां किसी समय प्रधान मंत्री रहे थे तथापि वहां के राजनैतिक घटनाचक्र का कुछ ऐसा रूप बदला कि वह लगभग हटा दिये गये । विभिन्न सैनिक गुटों के विरोधी संघर्षों के कारण जब ऐसा होता है तो बाहर से युद्धास्त्र आने शुरू हो जाते हैं । दोनों सैनिक गुटों से पर्याप्त युद्धास्त्र आ रहे हैं इससे स्थिति और भी गम्भीर हो गयी है । युद्ध विराम की एक आवश्यक शर्त यह है कि बाहर से शस्त्रों का आना बन्द किया जाय ।

मैं यह पत्र सभा पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १५]**

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार के संविदाकारी पक्षों के सत्रहवें सत्र में भाग लेने वाले भारतीय तिनिधिमंडल का प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : मैं श्री कानूनगो की ओर से प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के संविदाकारी पक्षों के सत्रहवें सत्र में, जो ३१ अक्तूबर से १९ नवम्बर, १९६० तक जेनेवा में हुआ था, भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७६९/६१]

पुनर्वास उद्योग निगम

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) वर्ष १९५९–६० के लिये उक्त निगम के सरल किये हुये वार्षिक लेखे ।

(ग) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७७०/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १० मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५३८ में प्रकाशित पटसन (लाइसेन्स देना तथा नियन्त्रण) आदेश, १९६१।

[पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७७१/६१]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९–६० के लिये राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षा लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७७२/६१]

उपभोक्ता मूल्य देशनांक पर अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव

(४) एक टिप्पण (नोट) जिसका शीर्षक "इन्सीडेंस आफ इन्डायरेक्ट टैक्सेज आन दि कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स" (ए लिमिटेड अनैलिसिज) उपभोक्ता मूल्य देशनांक पर अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव (एक सीमित विश्लेषण) है ।

[पुस्तकालय म रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७७३/६१]

प्राक्कलन समिति

एकसौउन्नीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा (बंगलौर)** : मैं निर्माण आवास और संभरण मंत्रालय—अशोक होटल लिमिटेड (प्रतिवेदन और लेखे) के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से म २७ मार्च, १९६१ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और मतदान

(२) निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

निर्माण आवास और संभरण
सिंचाई और विद्युत्
वैदेशिक कार्य
श्रम और रोजगार

(३) २८ मार्च को १९६१-६२ के लिये उड़ीसा के बजट पर सामान्य चर्चा

(४) (उड़ीसा) की लेखानुदानों पर सभा में मतदान

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या उड़ीसा के बजट पर सामान्य चर्चा २८ मार्च को होगी ?

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : उड़ीसा राज्य का १९६१-६२ का बजट २७ तारीख को उपस्थापित किया जायेगा और २८ तारीख को उसके संबंध में चर्चा की जायेगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : क्या केवल लेखानुदान ही लिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्य बजट के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपनायी जाती है । पहिले उड़ीसा का बजट सभा के सम्मुख रखा जायेगा, माननीय सदस्यों को सारे बजट पर चर्चा करने का अवसर दिया जायेगा, तत्पश्चात् लेखानुदान लिया जायेगा । विस्तृत मांगें बाद को ली जायेंगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सभा को स्थगित करने तथा उसे पुन: समवेत करने के लिये कौन मंत्री जिम्मेदार है इस प्रकार अनुत्तरदायी तरीके से काम करने के कारण कर दाताओं का बहुत रुपया नष्ट हुआ है । अत: संसद् कार्य मंत्री को इस संबंध में अपना वक्तव्य देना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उड़ीसा के बजट के संबंध में बोलते हुए माननीय सदस्यों को बहुत अवसर मिलेगा । वे अपनी बात तक कह सकते हैं ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : इस संबंध में कोई अनुचित बात नहीं की गयी है । यदि सरकार यह निश्चय करती है कि संसद् यह बजट पारित करे तो केवल यही मार्ग अपनाया जा सकता था ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यह पहिले ही किया जाना चाहिये था ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : १९५६ में जब भूतपूर्व ट्रावन्कोर कोचीन का प्रशासन केन्द्र ने लिया तो राज्य सभा का सत्र समाप्त हो चुका था, तथापि हमें एक अध्यादेश निकाल कर यह कार्य करना पड़ा, इस समय विधि मंत्रालय ने यह राय दी ऐसा करना नियमित नहीं कहा जा सकता है । हमें उनकी बात माननी पड़ी ।

अनुदानों की मांगें—जारी

विधि मन्त्रालय—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेगी । श्री ब्रजराज सिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं राजनीतिक पार्टियों की मान्यता के प्रश्न पर निवेदन कर रहा था । उसी सन्दर्भ में मैं एक और तथ्य कानून मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं । सन् १६५७ के चुनावों के बाद चुनाव कमीशन ने तै किया कि जिन लोगों की जमानतें जब्त हो गयी हैं उनके वोटों को राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देने के सिलसिले में नहीं गिना जाएगा। इसके पहले सन् १६५६ में यह निश्चित किया गया था तो यह बात ध्यान में नहीं रखी गयी...

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

सन् १६५६ में जब मान्यता के प्रश्न पर विचार किया गया था तब एलेक्शन कमिशन ने निर्णय किया था कि सन १६५२ के चुनावों में जिन लोगों की जमानतें जब्त हो गयी हैं उनके वोटों को किसी राजनैतिक पार्टी को मान्यता देने के लिए न गिना जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ५७ के चुनावों के बाद एलेक्शन कमिशन को यह सिद्धान्त तय करना था तो उसका राजनैतिक पार्टि यों को पहले से नोटिस दे देना चाहिए था कि ५७ के बाद राजनैतिक पार्टियों को मान्यता प्राप्त करने के लिए, मान्यता के प्रश्न पर विचार करने के लिए जिन लोगों की जमानतें जब्त हो जायेंगी उनके वोटों को हम नहीं गिनेंगे । ऐसी बात नहीं हुई । अब ५७ के बाद जिन राजनैतिक पार्टियों की मान्यता के प्रश्न पर विचार किया गया है तो चुनाव कमिशन ने इकतरफा इस तरह का निश्चय ले लिया कि जिन लोगों की जिन राजनैतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो गयी थीं उनके वोटों की गिनती नहीं होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों पर जिन पर कि देश का और प्रजातंत्र का भविष्य निर्भर करता है इस तरह से इकतरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए । इसलिए कल जो मैं ने निवेदन किया था उसमें कानून मंत्री महोदय इसे भी जोड़ लें कि चुनाव कमिशन इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पर पुन-विचार करे ।

एक बात जो कि मान्यता प्राप्त पार्टियों के लिए होती है वह यह है कि उनको मतदाता सूचियां फ्री दी जाती हैं । यह एक ऐसी चीज है जो कि एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो जाता है उन लोगों के विरुद्ध जिन्हें कि मान्यता प्राप्त नहीं होती है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और यदि आप और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम यह तो कर सकते हैं कि ऐसे अखिल भारतीय संगठन जिनको कि किन्हीं राज्यों में मान्यता प्राप्त है और किन्हीं में उनको मान्यता प्राप्त नहीं है, यह तो ठीक है कि जहां उनको मान्यता प्राप्त नहीं है वहां की मतदाता सूचियां उनको न दें क्योंकि मतदाता सूचियां, मान्यता प्राप्त होने से मिलती हैं । लेकिन इतना तो अवश्य कर दें कि जो इस तरह के अखिल भारतीय संगठन हैं उनको उन राज्यों में भी जहां कि उनको मान्यता प्राप्त नहीं है उनका सिम्बल उनको जरूर दे दिया जायगा । ऐसे अखिल भारतीय संगठनों को हर एक राज्य में जहां उनको मान्यता प्राप्त है और जहां मान्यता नहीं भी प्राप्त है, उनका निशान उनको जरूर दे दिया जाय । यदि आप इस पर पुन-विचार करेंगे तो इससे जनतंत्र के मजबूत होने में मदद मिलेगी ।

मैं ने कल भी निवेदन किया था कि इस निर्णय के पीछे न कोई संवैधानिक व्यवस्था है, न कोई संसद् का कानून है और न कोई नियम ही है सिर्फ एलेक्शन कमिशन का एक नोटिफिकेशन है ।

[श्री ब्रजराज सिंह]

केवल एक मिनट में मैं आपका ध्यान एक और बात पर आकर्षित करके अपना भाषण समाप्त कर दूंगा । काश्मीर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है, भारत का अविभाज्य अंग है । इसमें कभी दो रायें नहीं रहीं और सारा मुल्क इस पर एक है लेकिन अफसोस की बात यह है कि बारबार हमारे यह कहने के बावजूद भी हमारे इस संसद् द्वारा पास कानून वहां उसी शक्ल में लागू नहीं होते हैं । उनके लिए एक अलग व्यवस्था है कि जो भी कानून यह संसद् पास करे उस पर अगर काश्मीर सरकार अपनी सहमति प्रकट कर दे तो वह कानून वहां पर भी लागू हो जायगा । सन् १९५६ में क्रिमिनल ला अमेंडमेंट ऐक्ट जो यहां से पास हुआ था उसको काश्मीर की सरकार ने स्वीकृति दे दी है, सदरे रियासत की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है उसके बावजूद भी अभी तक वह कानून वहां पर लागू नहीं है । मैं चाहता हूं कि जरा इस पर ध्यान दिया जाय । आखिर यह कौन सी स्थिति है कि हम किन्हीं खास व्यक्तियों को या लोगों के समूहों को उनके खिलाफ काम करने के लिए या किन्हीं को कोई विशेष सुविधा देने के लिए कानून का अमल ३, ३ और ४, ४ साल के लिए टाले रहें ? यह उचित बात नहीं होगी और उसका नतीजा यह हो रहा है कि काश्मीर में जो कुछ राजनैतिक किस्म के केस चल रहे हैं उनमें काफी देर हो रही है खास तौर से वहां का हजरतबलगंज का षड्यंत्र केस इसकी साफ मिसाल है । मुझे किसी पक्ष के बारे में नहीं कहना है । लेकिन यह जरूर है और एक माना हुआ सिद्धान्त है कि जब न्याय देर से मिलता है तो वह एक तरह से अन्याय हो जाता है । एक केस जिसकी तीन साल तक उसकी सुनवाई शुरू न हो तो उसका नतीजा यह निकलता है कि जो उसमें अपराधी और मुजरिम होते हैं उनको यह विश्वास नहीं रहता कि उनके साथ कोई न्याय हो सकेगा । मैं चाहूंगा कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करे और काश्मीर सरकार को यह राय दे कि जब वह इस कानून को मान चुकी है और अपनी स्वीकृति दे चुकी है तब उसको पूरे तरीके से लागू किया जाना चाहिए ।

श्री राधामोहन सिंह (बलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर कुछ निवेदन करने का अवसर दिया । शासन का यह एक बहुत महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है कि इंसाफ का ऐसा प्रबन्ध करे ताकि जनता को सस्ता और त्वरित इंसाफ सुलभ हो सके । आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी व्यवस्था मौजूद नहीं है और जनता को इंसाफ मंहगा मिलता है और देर से भी मिलता है । यहां पर इस सदन में और राज्यों के विधान मंडलों में भी बार बार इसके लिए अवाज उठाई जाती है और शासन की तरफ से यह आश्वासन दिया जाता है कि इस बात का प्रयत्न किया जायगा लेकिन मुझे यह देखने में आता है कि शासन की तरफ से ऐसा कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है जिससे कि जनता को न्याय सस्ता मिले और जल्दी मिले । न्यायालयों में मुकद्दमों का वर्षों तक चलना और उनके फैसले में देर लगना यह एक पुराना किस्सा है और जब मैं एक विद्यार्थी था तब भी इसके बारे में सुनता था और हालांकि तब से न्यायाधीशों की संख्या में काफी वृद्धि हो चुकी है तब भी देखने में यही आता है कि मुकद्दमे कचहरियों में सालों लटके रहते हैं और उनकी अपीलें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहती हैं और उनका निबटारा नहीं होता है । मैं अपने न्याय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वे संसद् को यह बतलायें कि शासन की तरफ से कौन से उपाय काम में लाये गये ताकि यह इंसाफ जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके और हम तब यह कहने के योग्य होंगे कि जो आप ने प्रयत्न किया है जो कदम आपने उठाया है वह कहां तक कारगर हुआ है ।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में और अन्यत्र भी यह कहा गया है कि इसके लिए न्यायाधीशों की संख्या में और वृद्धि की जाय। लेकिन मेरा कहना है कि खाली न्यायाधीशों की संख्या बढ़ान से यह चीज किस तरीके से दूर हो सकती है? हमारी आबादी निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। हम यह कहते हैं कि हमारे पास खाना पर्याप्त नहीं है और आबादी बढ़ने पर अंकुश लगाने के लिए हम परिवार नियोजन की शरण लेते हैं तो क्या यहां पर भी फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज नहीं कर सकते हैं; बजाय जजों की न्यायाधीशों की संख्या बढाने के अगर हम यह प्रत्यन करते कि मुकद्दमों की संख्या कम करें तो मैं समझता हूं कि यह अधिक कारगर सिद्ध होता। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इधर भी ध्यान दिया जाय। अगर हम इस बात का प्रयत्न करें कि आज जो बड़ी तादाद में हर प्रकार की अपीलें ऐडमिट हो जाती हैं उनको स्वीकार करने के पहले उनकी छानबीन की जाय तो किसी हद तक हम अपीलों की तादाद कम करने में सफल हो सकते हैं।

पूर्व वक्ताओं में बहुत से लोग सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने न्याय को सस्ता और त्वरित बनाने के लिए बहुत सी बातें रक्खी हैं। लेकिन मैं तो एक सामान्य जन होने और जनता का एक मामूली प्रतिनिधि होने के नाते यह कहना चाहूंगा कि क्या ऐसा प्रबन्ध नहीं हो सकता है कि आज वकील लोग अपनी फीस बढ़वाने के लिए एक दिन के मुकदमे के लिए ४, ४ दिन बहस करते हैं तो वह ऐसा न करने पायें और उन पर कोई उचित प्रतिबंध लगा दिया जाय? आखिर यहां सदन में हम एक टाईम शड्यूल रखते हैं कि अमुक बिल अथवा लेजिस्लेशन पर हम इतना समय देंगे और उसको इतने समय के अन्दर हम पास करेंगे तो क्या इसी तरह का कोई एक इंतजाम या टाईम शड्यूल मुकद्दमों के लिए नहीं तय कर सकते हैं कि अमुक किस्म के मुकद्दमों को हमें इतनी अवधि के भीतर निबटा देना होगा? क्या हम यह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं किसी मुकद्दमे में कितना समय दिया जाय? अभी होता यह है कि अगर कोई बड़े वकील साहब हैं और उनकी फीस बड़ी लम्बी चौड़ी है तो वह ५ दिन बहस करते हैं और ७ दिन बहस करते हैं और इस कारण भी मुकद्दमों के फैसले में देर होती है। मैं यह नहीं कहता कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, मुमकिन है कि उससे कुछ लाभ हो जाय लेकिन पिछले २०, २५ वर्षों से मैं देखता रहा हूं कि खाली न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते रहने से हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पायी है और इसीलिए मेरा सुझाव यह है कि हम ऐसा प्रबन्ध करें कि अपीलों की संख्या कम हो और साथ ही वहां जो समय दिया जाता है बहस के लिए और मुकद्दमों का फैसला करने में उनमें भी कुछ एक प्रतिबंध लगा कर कमी करने का प्रयत्न करें इसके साथ ही हमें इस ओर भी ध्यान देना है कि न्याय जहां जल्दी सुलभ हो वहां वह सस्ता भी हो। आज कहा जाता है कि न्याय को प्राप्त करना इतना मंहगा हो गया है कि गरीब लोग उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने भी इस चीज को कहा है कि कोर्ट फीस बढ़ती जाती है, वकीलों की फीस बढ़ती जाती है और आज हालत यह है कि जहां पहले मुकद्दमे में एक पैसा खर्च होता था वहां अब दस पैसा खर्च होता है। आज समय आ गया है जब कि हमको न्याय को सस्ता, सरल और जनता को जल्दी मिलने वाला बनाना चाहिए अन्यथा न्याय इतना मंहगा हो चला है कि गरीब और साधारण लोगों के लिए न्याय प्राप्त करना असंभव हो जायगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस दिशा में क्या कदम उठाया गया है, ताकि लोगों को न्याय की प्राप्ति सस्ती और जल्दी हो सके।

मैं नहीं कह सकता कि यह कहां तक सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि डिस्पेंसेशन आफ़ जस्टिस का जो पुराना प्रोसीड्योर है, न्याय को प्रदान करने की जो पुरानी प्रणाली है, वह कम्बरसम हो गई है और उस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। एविडेंस एक्ट या इंडियन पीनल कोड में कोई गलती नहीं है। वे बहुत अच्छे कानून हैं, लेकिन प्रोसीड्योर के बारे में यह बात नहीं

[श्री राधामोहन सिंह]

कही जा सकती है। उस को और सस्ता और शीघ्रतापूर्ण किया जा सकता है। मैं ला मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से प्रोसीड्योर की ओर, अदालतों के बैठने और न्याय वितरण करने की प्रक्रिया की ओर खास ध्यान दिया जाये।

मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि ऐसा प्रबन्ध किया जाये कि किसी भी मुकद्दमे में थर्ड अपील की इजाजत न दी जाये। मैं जानता हूं कि जितनी अधिक अपीलें होती हैं, उनमें फ़ैसलों के रिवर्स होने, बदलने की सम्भावना उतनी अधिक होती है। इसका परिणाम यह होता है कि लोगों के मन में न्याय के सम्बन्ध में सन्देह पैदा होता है और उनको यह समझाने में बहुत मुश्किल होती है कि आखिर न्याय क्या है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक फ़ैसला करती है, हाई कोर्ट दूसरा फ़ैसला करती है और सुप्रीम कोर्ट कोई और फ़ैसला करती है हर एक अपील न्यायालय दूसरा फ़ैसला करता है। इस कारण मैं चाहता हूं कि अगर किसी मुकद्दमे में दो अपीलें हो गई हैं, तो उस में थर्ड अपील कभी भी एलाऊ नहीं होनी चाहिए—उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसा करने से बहुत से मुकद्दमे खत्म हो सकते हैं और ज्यादा मुकद्दमे ऊपर नहीं आ पायेंगे।

यह कहा गया है कि रिटायर्ड जजिज को—जो जज अपने स्थान से अवसर प्राप्त करते हैं, उनको—फिर से प्रेक्टिस करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा ख्याल नहीं करता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसा करना उन पर अपनी इच्छा के पेशे को अख्तियार करने पर प्रतिबन्ध के समान होगा। मैं नहीं समझता कि उन पर अविश्वास करने का कोई आधार है। उन पर इतना प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है कि जिस उच्च न्यायालय से वे अवसर प्राप्त करते हैं, उसमें वे फिर प्रैक्टिस न करें, लेकिन उन पर मुकम्मल प्रतिबन्ध लगा देना मुनासिब नहीं होगा। उन का जो अनुभव है, कानन का जो ज्ञान है, उन को उस को उपयोग करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिस के लिये हम को कानून बनाना पड़े।

हम देखते हैं कि वकीलों और डाक्टरों की फ़ीस के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जिस अवस्था में हम रह रहे हैं, उस में देखा जाता है कि हर प्रकार के मूल्यों पर प्रतिबन्ध है और हम मुनाफ़ाखोरी को रोक रहे हैं, बाज़ार में कीमतों पर सीलिंग है। लेकिन पुराने डाक्टर और वकील जो इतनी ज्यादा फ़ीस लेते हैं, उन पर कोई सीलिंग नहीं है। मैं ला मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि उनको इस तरफ ध्यान देना चाहिए और बड़े बड़े वकीलों और रिटायर्ड जजिज़ से परामर्श लेकर ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि वकीलों की फ़ीसों पर कुछ नियंत्रण लगाया जा सके। सस्ता न्याय प्राप्त करने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम होगा।

जो दो तीन सुझाव मैं ने रखे हैं, मैं आशा करता हूं कि हमारे ला मिनिस्टर साहब उन पर विचार करेंगे और ऐसा प्रबन्ध करेंगे कि सस्ता और शीघ्र न्याय प्राप्त करने में हमको आसानी हो सके।

†श्री त्यागी (देहरादून) : मैं विधि मंत्रालय को दोनों चुनावों तथा विधि आयोग के कार्य के लिये धन्यवाद देता हूं। विधि मंत्रालय के प्रशासन के अधीन इन दोनों संस्थाओं ने बहुत अच्छा काम किया है।

जहां तक मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले काम का सम्बन्ध है यह मंत्रालय विधेयकों के मूल सविदे तैयार करता है, या अन्य मंत्रालयों द्वारा तैयार किये गये मसविदों की जांच करता है अथवा

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उनकी व्याख्या करता है, और कई ऐसे कार्य जो इस मंत्रालय को करने चाहियें वह अन्य मंत्रालयों द्वारा किये जाते हैं। उदाहरणस्वरूप न्यायपालिका इस मंत्रालय के अधीन होनी चाहिये थी जबकि उसे गृहमंत्रालय के अधीन रखा गया है।

मैं अपने ४० वर्ष के राजनैतिक अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि देश विघटन की ओर बढ़ रहा है, अतः हमें चाहिये कि हम न्यायपालिका का एकीकरण करें क्योंकि इससे देश की एकता बनाये रखने में बहुत मदद मिलेगी। इस प्रयोजन के लिये हमें अखिल भारतीय न्यायपालिका सेवा की स्थापना करनी चाहिये। उच्च न्यायालयों को जिला न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायि संस्थाओं पर प्रशासनिक अधिकार दिये जाने चाहियें।

भारतीय समाज का पतन हो रहा है वह समाज जिसके सम्बन्ध पहिले धार्मिक संस्कारों पर आधारित थे अब बिल्कुल आर्थिक हितों के आधार पर चलता है। इस का प्रमाण यह है कि मुकदमे-बाजी बढ़ती जा रही है। न्याय प्रक्रिया बहुत विलम्बपूर्ण है। १९५७ के आंकड़ों के अनुसार इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ४१८३४ मामले और आंध्र में २३,००० मामले थे। जबकि भारत के समस्त उच्च न्यायालयों में निलम्बित मामलों की संख्या १,८२,९४७ थी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने मुकदमों के शीघ्र निर्णय के लिये क्या कार्यवाही की है।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि न्यायाधीशों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण नहीं रहना चाहिये। उनकी प्रशासनिक शक्तियां उच्च न्यायालय को दे दी जायें। वस्तुतः जब तक हम न्याय-पालिका को राज्य सरकारों के दबाव से मुक्त नहीं करेंगे तब तक वह पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकती है।

एक ओर मुकद्दमे बाजी में वृद्धि हो रही है और दूसरी ओर जनता का विश्वास न्यायपालिका से उठता जा रहा है क्योंकि अब न्यायपालिका में भी घूसखोरी चलने लगी है, इस सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिश भी यह है कि न्यायपालिका को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिये उन्हें उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रखना आवश्यक है। वस्तुतः जब विधि आयोग की यह राय है तथा जनता तथा संसद् की यह राय है तब समझ में नहीं आता कि इसे क्रियान्वित करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस संसद् के भंग होने के पूर्व ही हमें इस सम्बन्ध में निर्णय कर लेना चाहिये।

अब मैं वकीलों की फीस के बारे में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में कोई अधिकतम सीमा निश्चित की जानी चाहिये, क्योंकि वकील लोग मनमानी फीस लेते हैं और कोई नहीं जानता कि वे किस सीमा तक सही आयकर देते हैं। अतः स्वयं वकीलों का यह कर्त्तव्य है कि वे आगे बढ़ कर इस सम्बन्ध में कुछ नियंत्रण आरोपित करें।

देश की न्याय प्रक्रिया में भी परवर्तन करने की आवश्यकता है। आज का न्याय केवल तर्क और पूर्ववाक्यों पर आधारित रहता है वहां तथ्य को बहुत कम स्थान दिया जाता है, फलस्वरूप बहुत विलम्ब होता है, अतः इस प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

भारत में कुछ केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र भी हैं उनका प्रशासन गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। मेरे विचार से कम से कम स्थानीय प्रशासन विधि मंत्रालय को दिया जाना चाहिये जिससे कि वहां के निवासियों को यह संतोष हो कि कम से कम उन के हितों की रक्षा एक निरपेक्ष संस्था करती है और उनके मामलों का निपटारा पुलिस या जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं किया जायेगा।

भारत के समस्त न्यायाधीशों ने दिल्ली में एकत्र हो कर अभी हाल यह राय जाहिर की है कि लोकतंत्र की रक्षा करने और जनता को राहत देने के लिये भारतीय न्यायपालिका सेवा का निर्माण

[श्री त्यागी]

करना आवश्यक है, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और इस प्रकार न्यायाधीशों के निर्णयों का स्तर जो पहिले से गिर गया है उसे उठाने का प्रयत्न करेगी ।

†श्री उ० ल० पाटिल (धूलिया) : मैं श्री त्यागी की इस बात से सहमत हूं कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से तत्काल पृथक् किया जाय । तथापि अभी तक कई राज्यों में ऐसा नहीं किया गया है । जहां यह प्रयोग किया भी जाता है वहां भी सरकार किसी न किसी रूप में न्यायिक पदों पर नियुक्तियों पर दबाव डालती है । यह बात अनुचित है ।

कई राज्यों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि वे विभिन्न प्रकार की विशेष विधियां बना कर न्यायपालिका पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं । उदाहरण के रूप में राजस्व न्यायाधिकरणों तथा सहकारी अधिकरणों की स्थापना की जा रही है । इनका कार्य विशुद्ध रूप से न्यायिक है तथापि उन पर नियुक्तियां राज्य सरकार द्वारा ही की जाती हैं । इन नियुक्तियों को लोक सेवा आयोग से पृथक् रखा जाता है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि एक विशेष आयोग बनाया जाय इस में उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश तथा एक विधि विभाग का ज्येष्ठ कर्मचारी होना चाहिये । राज्य के न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की नियुक्ति, मजिस्ट्रेट और जिला जजों की नियुक्ति उनकी पदोन्नति के सारे कार्य इसी आयोग को सौंपे जाने चाहियें ।

कई राज्य सरकारों में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि वे मुकद्दमेबाज़ी से लाभ उठाना चाहते हैं और इसलिये कोर्टफीस बढ़ा दी गई है । मेरे विचार से कोर्ट फीस में इतनी वृद्धि हो गई है कि सामान्य जनता के लिये आजकल मुकद्दमे लड़ना बहुत कठिन हो गया है । अतः इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये ।

अभी तक हम विधि संबंधी सहायता देने के लिये कोई आदर्श प्रणाली नहीं निकाल पाये हैं । इस सम्बन्ध में यद्यपि राज्य सरकारों ने कुछ उपबन्ध किये हैं तथापि गरीब व्यक्ति उससे लाभ नहीं उठा सके हैं । क्योंकि यह बात ऐसी है कि गरीब व्यक्ति को इस बात पर विश्वास होना कठिन होता है । अतः विधि मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिये कि जो आदर्श हो तथा जिसे अन्य राज्यों में भी क्रियान्वित किया जा सके ।

श्री भरूचा ने चुनाव पद्धति में कुछ सुधार करने की सलाह दी है । इसमें सन्देह नहीं है कि चुनाव आयोग ने देश में चुनावों का कार्य बहुत प्रशंसनीय तरीके से किया है । किसी भी दल को इसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है । उनका यह कहना है कि मतदान पत्र में निशान या मुहर न लगा कर उस में छिद्र कर दिया जाय । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि निशान या मुहर लगाने की प्रणाली से अब हमारे मतदाता अवगत हो चुके हैं । अतः इसी प्रणाली को चलने दिया जाय इसमें फेर बदल करने से और गड़बड़ हो जाने का भय है ।

यह भी सुझाव दिया गया है कि सफल उम्मीदवार का व्यय सरकार को वहन करना चाहिये । मेरे विचार से यह सुझाव व्यावहारिक नहीं होगा । इस से व्यय कम होने के स्थान पर और अधिक बढ़ जायेगा ।

†श्री कालिका सिंह (आजमगढ़) : हमारी आयोजित अर्थव्यवस्था में यदि सब से अधिक आघात किसी विषय पर हुआ है तो वह न्याय और व्यवस्था है । हमारी योजनाओं में इसका कहीं

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उल्लेख ही नहीं है। अब क्योंकि हम योजनायें बनाते जा रहे हैं तो इस बात का भी निश्चय किया जाना चाहिये कि न्याय और विधि को कब तक योजना में स्थान नहीं दिया जायेगा। हम इस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना का मसविदा तैयार कर रहे हैं अतः यह आवश्यक है कि विधि और न्याय-व्यवस्था को इस में स्थान दिया जाय। इतना ही नहीं अपितु न्यायपालिका के अधिकारियों को भी आवास इत्यादि की वही सुविधायें मिलनी चाहियें जोकि विकास अधिकारियों को मिलती हैं। उन के वेतनक्रम तथा सुविधाओं में भी वृद्धि की जानी चाहिये।

उत्तर प्रदेश के जिलों में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण यह है कि वहां प्रत्येक एक लाख की आबादी पर एक पुलिस स्टेशन है। अतः हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम पुलिस वालों की संख्या बढ़ायें, प्रत्येक २५ हजार की जनसंख्या के लिये एक पुलिस स्टेशन होना चाहिये। इस से अपराधों की रोकथाम में सहायता मिलेगी।

संविधान के अनुच्छेद ३११(२) के अधीन किसी व्यक्ति को कारण दिखाने का पूरा अवसर दिये बिना पदावन्नति नहीं की जा सकती है तथापि विधि संबंधी रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि इस प्रकार के मामलों की संख्या उच्चतम न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में बढ़ती जा रही है, इस से यह प्रतीत होता है कि या तो इस अनुच्छेद में कोई बुराई है और या अनुशासन के सम्बन्ध में ही कोई बुराई पैदा हो गई है।

अनुच्छेद ३११(२) में व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को सफाई पेश करने का पूरा अवसर दिये बिना न तो नौकरी से निकाला जायेगा और न पद-च्युत किया जायेगा। इसका परिणाम यह हुआ है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में ऐसे मामलों की भरमार हो गई है। इस का मतलब है कि या तो अनुच्छेद की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है या फिर अनुशासन में कोई गड़बड़ी है। मंत्रालय को इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। १९१९ के आसपास केवल नियमों में ऐसी व्यवस्था थी। १९३५ में इसे अधिनियम में शामिल किया गया था और अब ज्यों का त्यों उठा कर संविधान में रख दिया गया है। इस का अनुशासन पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

विधि मंत्रालय को राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रश्न पर पूरी तौर से विचार करना चाहिये। पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध विधि वेत्ता श्री ब्रोही ने लिखा है कि भारत के संविधान के शब्दों और उस की वास्तविक कार्यान्विति में, इस मामले में, अन्तर है। उन्हों ने श्री एलान ग्लैडहिल का मत उद्धृत करते हुए लिख हैं कि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब कुछ खास हालात में भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन जाये।

आज तो कांग्रेस दल के बहुत बड़ बहुमत के कारण एसी संभावना नहीं है, पर कभी टक्कर के दो दल बनने पर ऐसी संभावना सामने आ सकती है। इसलिये हमें संविधान की यह अस्पष्टता शीघ्र ही दूर कर देनी चाहिये। पाकिस्तान के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को मंत्रि-परिषद् के परामर्श के अनुसार चलना पड़ेगा।

स्वतंत्र दल के नाम से लोगों को बड़ी भ्रान्ति होती है। इसलिये उससे नाम बदलने के लिये कहना चाहिये। स्वतंत्र नाम से मतदाताओं को भ्रम हो जाता है कि उसके उम्मीदवार किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार नहीं, बल्कि स्वतंत्र उम्मीदवार हैं। नाम बदल जाने पर ही, स्वतंत्र दल को ३ प्रतिशत मत की अर्हता प्रदान की जानी चाहिये।

अभी जैसी व्यवस्था है उस के अन्तर्गत चुनाव-व्यय की जो विवरणियां प्रस्तुत की जाती हैं उनमें सही व्यय नहीं दिखाया जाता। आवश्यकता इसकी है कि लोक प्रतिनिधान अधिनियम को संशोधित किया जाये।

†**श्री रामी रेड्डी** (कड़पा) : निर्वाचन आयोग ने बड़े सराहनीय ढंग से कार्य किया है। आगामी चुनावों के सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संसद् की सीट के उम्मीदवारों को अपना चुनाव चार अवस्थाओं में लड़ना पड़ता है। होना यह चाहिये कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का चुनाव एक ही दिन में पूरा हो जाये। इस से व्यय और श्रम दोनों कम होंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तब निर्वाचन आयोग के प्रशासन पर श्रम का भार बढ़ जायेगा।

†**श्री रामी रेड्डी** : ऐसा नहीं होगा। निर्वाचन अधिकारी एक-एक दिन में निर्वाचन क्षेत्रों का काम निबटाते चले जायेंगे।

श्री नौशीर भरूचा ने सुझाव दिया है कि सफल होने वाले प्रत्येक संसदीय उम्मीदवार को १०,००० रुपये और विधान सभाई उम्मीदवार को ५,००० रुपये तक की राशि निर्वाचन-व्यय के रूप में सरकार की ओर से अदा की जानी चाहिये। किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। न इसका कोई औचित्य ही है।

हमारे देश में न्याय बड़ा महंगा हो गया है। न्यायालय के शुल्क को आय का साधन माना जाता है। न्याय का तकाजा यही है कि न्यायालयों का खर्च काफी कम हो। राज्य सरकारों को इस पर विचार करना चाहिये।

एक ओर तो राज्य सरकारें न्यायालयों के शुल्क से आय करती हैं, और दूसरी ओर न्यायालयों की इमारतों, उन के फर्नीचर और विधि संबंधी साहित्य की ओर कोई ध्यान नहीं देतीं।

अधीनस्थ न्यायालयों के लिये अधिक राशियों की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री रघुवीर सहाय ने कहा है कि प्रारम्भिक जांच के समय सभी गवाहों से जिरह करने की अनिवार्यता हटा देने से भी मुकद्दमों के निबटारे में कोई जल्दी नहीं होती। मेरा अनुभव इस से भिन्न है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निवृत्त होने की अवस्था ६५ वर्ष कर दी जानी चाहिये। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की निवृत्ति की आयु ६५ वर्ष है ही : इंग्लैंड और रूस जैसे देशों में ऐसी कोई सीमा नहीं रखी जाती।

दक्षिण भारत के लोगों को उच्चतम न्यायालय में अपील करने में बड़ी कठिनाई होती है। उस की एक सर्किट बैंच दक्षिण में कहीं रखी जानी चाहिये।

विधि मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशें मैंने देख ली हैं। उनसे लगता है कि वे न्याय पंचायतों की स्थापना के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उपसमिति नियुक्त करने के पक्ष में हैं। न्याय पंचायतों की स्थापना यथाशीघ्र की जानी चाहिये।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** (पाटन) : मुझे वकील की हैसियत से काम करने का अनुभव है। मैं कह सकता हूं कि हमारी न्यायपालिका संसार में सर्वोत्तम है।

श्री त्यागी जी को इस का विशेष ज्ञान नहीं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैंने यह तो नहीं कहा कि हमारी न्यायपालिका किसी से घट कर है। मैंने तो यही कहा है कि वकीलों की आय की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : लगभग ७० प्रतिशत भूखों मरते हैं ।

न्यायपालिका में पदोन्नतियों और नियुक्तियों के मामले में सरकार ने कुछ हस्तक्षेप किया है । लेकिन मैं उस के ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता ।

विधि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि कश्मीर षड्यंत्र केस और हज़रतबाल केस को शीघ्रता से निबटाया जाये ।

निर्वाचन आयोग ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है । लेकिन पिछले आम चुनाव के समय मुझे कटु अनुभव हुए थे । गुजरात राज्य के चाणस्मा तालुके में मतदान स्थान के पास फौजी लोग खड़े थे । मैं ने उस पर आपत्ति की तो वे चले गये, पर उस के सम्बन्ध में शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे दर्शक भी तो हो सकते हैं ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : उन के पास बन्दूकें थीं और हैलमैट भी । उन का उद्देश्य शायद आतंक जमाना था ।

†**श्री अ० कु० सेन** : हमारे देश में लोग आतंक में आ कर मतदान नहीं करते ।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : गुजरात में लोग पुलिस से भी आतंकित हो जाते हैं ।

उस का परिणाम यह था कि जहां मैं सोच रहा था कि मेरे प्रतिद्वन्दी की जमानत जब्त हो जायेगी, वहां उसे मुझ से दस प्रतिशत ही कम वोट मिले थे ।

मैं श्री अजित सिंह सरहदी की बात का समर्थन करता हूं कि सजा पाने वाले निर्धन व्यक्तियों को अपील करने के लिये निःशुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिये । इस के लिये एक अखिल भारतीय सहायता निगम जैसा एक निकाय बनाया जाना चाहिये । मैं श्री भरूचा के सुझाव का समर्थन करता हूं कि चुनाव के उम्मीदवारों को राजकोष से सहायता दी जानी चाहिये ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय के कामों में बड़ी रुचि दिखाई है । इस के लिये मैं उन का आभारी हूं । हमारे मंत्रालय से सम्बन्धित अधिकांश विषय विवाद-ग्रस्त नहीं होते ।

श्री त्यागी ने ठीक कहा है कि विधि मंत्रालय के वर्तमान कृत्य कई ऐतिहासिक कारणों से उसे सौंपे गये हैं । ऐसी घटनायें हुई हैं जिन के कारण वे उसे सौंपे गये हैं । हमारे कृत्यों की एक अपनी पृष्ठभूमि है । विधि मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले कई कृत्य पहले ब्रिटिश काल में गृह-कार्य मंत्रालय को सौंप दिये गये थे । अभी वही परम्परायें चल रही हैं । ब्रिटिश काल में केवल विधि मत्रालय में भारतीय लोग लिये जाते थे । गृह-कार्य मंत्री कभी भी भारतीय नहीं होता था । इसीलिये विधि मंत्रालय को सौंपे जाने योग्य कई कृत्य गृह-कार्य मंत्रालय को सौंपे गये थे । ब्रिटिश काल से ही यह चला आ रहा है ।

देश स्वाधीन होने के बाद भी, गृह-कार्य मंत्रालय उन कृत्यों को बड़ी योग्यता और निष्पक्षता से करता रहा है । गृह-कार्य मंत्रालय का भार देश की बड़ी-बड़ी विभूतियों ने संभाला है ।

स्वर्गीय श्री गोविन्द बल्लभ पन्त के साथ काम करने का मुझे व्यक्तिगत अनुभव है । मैं ने उन को बड़े निकट से देखा है । न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उन से बड़ा हामी और कोई नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

भारत के सभी मुख्य न्यायाधिपतियों ने उन के बारे में यही व्यक्तिगत राय प्रकट की है । पन्तजी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कभी आंच नहीं आने दी । इसीलिये हमारी न्यायपालिका निर्भीक और निष्पक्ष बनी रही है ।

मैं श्री एन्थनी की इस बात से बिलकुल सहमत हूं कि साधारण नागरिकों को बिना किसी व्यय के न्यायालयों की शरण लेने की सुविधा होनी चाहिये । तभी हम न्याय-प्रशासन पर गर्व कर सकते हैं । मैं भी यही चाहता हूं कि अनुच्छेद ३२ के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने से पहले २.५०० रुपये जमा करने की शर्त हटा दी जाये तो अच्छा रहे । मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को सभा की राय से अवगत करा दूंगा ।

हमारे देश के इतिहास का सब से उज्ज्वल अध्याय वही है जिस में देश की स्वाधीनता के बाद संविधानकारों द्वारा मूलभूत अधिकारों की प्रस्थापना की गई है । साधारण जनता के ये बुनियादी अधिकार लोकतंत्र के जीवन और उस की समृद्धि के लिये एक गारंटी की भांति हैं ।

हालांकि अनुच्छेद १४५ में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के नियम संसदीय विधियों के अधीन रहेंगे, फिर भी हम न्यायपालिका के सम्मान की परम्परा बनाये रखना चाहते हैं । हमें न्यायपालिका को अपने नियम बनाने देना चाहिे । उस में अधिक हस्तक्षेप करना ग़लत होगा । महान् संसदीय संस्थाओं का इतिहास यही बताता है कि संसद् द्वारा इस शक्ति का कम से कम उपयोग होना ही ठीक रहता है । इसलिये इस में सावधानी की ज़रूरत है । लोकतांत्रिकता की यही अपेक्षा है । स्वस्थ परम्पराओं की रक्षा के विचार से ही हम अपनी शक्ति का प्रयोग बड़ी सावधानी के साथ करते हैं ।

इसलिये यह आलोचना सही नहीं है कि सरकार ने, अनुच्छेद १४५ के अन्तर्गत, उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाये गये कुछ नियमों के स्थान पर दूसरे उपबन्ध बनाने के लिये कार्यवाही नहीं की । न्यायपालिका के सम्मान की दृष्टि से ही, सरकार ने तुरन्त कार्यवाही नहीं की । हमारी मान्यता यही है कि संसद् को न्यायपालिका से परामर्श किये बिना नियमों का अधिनियमन नहीं करना चाहिये ।

†**श्री फ्रैंक एंथनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मैं ने यह तो कभी नहीं कहा कि ऐसे नियमों का अधिनियमन किया जाये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : तब फिर हम ोनों एक ही बात कह रहे हैं । श्री एन्थनी न्यायपालिका के अधिकारों के बड़े प्रबल समर्थक हैं । मुझे उन से यही अपेक्षा थी कि न्यायपालिका से परामर्श कर के नियम बनें ।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब मूल अधिकारों के प्रवर्तन का प्रश्न हो, तो न्यायालय के द्वार साधारण जनता के लिये खुले रहने चाहियें । हर साधारण नागरिक के लिये न्यायालयों की शरण लेना संभव और सुगम होना चाहिये ; खास तौर से मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिये । न्यायालयों के द्वार साधारण जनता के लिये ठीक उसी तरह खुले रहने चाहियें जैसेकि अशोक प्रियदर्शन के न्यायालयों के द्वार खुले रहते थे ।

मैं सभा को आश्वस्त करता हू कि हम सभा की इच्छा उच्चतम न्यायालय पर अविलम्ब प्रकट कर देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारे मन्त्रालय का सबसे महत्वपूर्ण काम केन्द्रीय सरकार को सलाह देना है। और अब यह समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी कार्यवाहियां बढ़ने के साथ ही, कानूनी सलाह की जरूरत भी बढ़ती जा रही है हर क्षेत्र में। कोई भी कानूनी सलाहकार यह दावा तो नहीं कर सकता कि उसकी राय हमेशा ठीक ही होती है। सभी जानते हैं कि बड़े-बड़े न्यायाधीशों के निर्णय अपील में बदल जाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया में निर्णय की गलतियों की काफी गुंजाइश रहती है। इसलिये कि वे निर्णय अंक-गणित जैसे प्रयोग सिद्ध नियमों के आधार पर तो नहीं किये जाते। उनमें त्रुटि रहना भी स्वाभाविक है। कार्याधिक्य के कारण इसकी गुंजाइश और भी बढ़ जाती है। माननीय सदस्य स्वयं आकर हमारे सलाहकार विभागों को देख सकते हैं।

यद्यपि मैं कुछ की गयी आलोचनाओं को गलत मानता हूं तथापि मैं उनका उत्तर दूंगा। श्री गुप्ता ने कहा कि मुझे बेरूबाड़ी के मामले में प्रधान मन्त्री को समुचित सलाह देनी चाहिये थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम सलाह केवल वहां ही देते हैं जहां कि हमसे सलाह मांगी जाती है। बिना मांगें मैं अथवा मेरा मन्त्रालय कोई सलाह नहीं देता। बेरूबाड़ी का जहां तक सम्बन्ध है, संसद् और मन्त्रालय को करार किये जाने के बाद ही उसका पता चला है। यह मैं बता देना चाहता हूं कि विधि मन्त्रालय के सलाह दिये जाने के बाद ही सरकार ने पहली बार उच्चतम न्यायालय से उसकी राय जानने की कोशिश की है कि इस करार का पालन किस प्रकार किया जा सकता है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार ने विधि मन्त्रालय से सलाह लिये बिना इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार ने जो कुछ किया वह उच्चतम न्यायालय के विचारों के अनुरूप ही था।

श्री गुप्त ने दूसरी बात महालेखा परीक्षक के सम्बन्ध में कही है। उनकी नियुक्ति का पूरा उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूं। आखिर वित्त आयोग का क्या कार्य है? वित्त आयोग संविधान द्वारा निर्मित है। उसके कार्य और उसकी प्रक्रिया संविधान और संसद् द्वारा बनाये गये अधिनियम द्वारा निर्धारित हुये हैं। यह आयोग भारत सरकार के अधीन नहीं है। भूतपूर्व महा-लेखा परीक्षक को इस पद पर कार्य करने से राज्यों और केन्द्र के आर्थिक संसाधनों की खासी जानकारी हो गयी है। इसलिये मेरा मत यह है कि वह आयोग के प्रधान पद के लिये सुयोग्य व्यक्ति हैं। सरकार को इस नियुक्ति की वैधता के सम्बन्ध में तनिक भी सन्देह नहीं है। जिन्हें सन्देह हो वे न्यायालय में जाकर उसे पूरा कर सकते हैं।

†**श्री तंगामणि** : जैसे पहले एक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान पद के लिये महा न्यायवादी से सलाह ली गई थी क्या इस मामले में महा न्यायवादी की सलाह ले ली गयी थी।

†**श्री अ०कु० सेन** : जिस मामले में हमें कोई संदेह नहीं होता वहां हम कोई सलाह नहीं लेते, यहां सन्देह का कोई प्रश्न ही नहीं था। सब मामलों पर महान्यायवादी की राय लेना तो बिल्कुल असम्भव है। जहां तक नीति का सम्बन्ध है वह तो भारत सरकार की सामूहिक नीति ही है, विधि मंत्रालय की अपनी नीति तो कोई है नहीं। अतः इस मामले में और कुछ कहने की कोई गुंजाइश ही नहीं।

अगली बात उड़ीसा अध्यादेश की है। हमने आरम्भ से ही इस परम्परा को अपनाया है कि ऐसे राज्यों के मामले में जहां राष्ट्रपति का शासन हो, प्रत्येक बात संसद् के परामर्श से की जाय। पैसे के मामले में तो संसद् की राय लेना बड़ा आवश्यक है। संचित निधि से किसी भी धन का विनियोग संसद् की स्वीकृति के बिना नहीं हो सकता। उड़ीसा के बारे में जो अध्यादेश जारी किया गया है उसकी स्थिति यह है कि २१ फरवरी को उड़ीसा के राज्यपाल से एक तार प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि उन्हें अध्यादेश जारी करने की सलाह दी गयी है। इसके पहले कि केन्द्रीय सरकार इस विषय

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

की जांच करके अपनी निश्चित राय उन्हें देती, उन्होंने २३ फरवरी को अध्यादेश जारी कर दिया। वहां हालत क्या थे उन सब को देख कर ही उन्होंने ऐसा किया होगा। केन्द्रीय सरकार को जब तार प्राप्त हुआ तो बड़ी शीघ्रता से सारी बातों पर विचार करके अपनी राय से उन्हें सूचित कर दिया। इस मामले में किसी को भी दोष दिये जाने की बात नहीं है। ऐसे मामलों में कभी किसी से गलती न होती हो ऐसी बात तो नहीं है। स्थानीय अधिकारियों से राज्यपाल ने परामर्श कर ही लिया था।

उड़ीसा में चुनावों के सम्बन्ध में भी कुछ कहा गया था। इस सम्बन्ध में हमें चुनाव आयुक्त से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यह तो स्पष्ट बात है कि उड़ीसा में चुनाव का जहां तक सम्बन्ध है इस प्रश्न पर निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा किया जाना चाहिये। चुनाव कब होंगे इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। सरकार ऐसे मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करती। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं मिलता जहां सरकार ने चुनावों के मामले में हस्तक्षेप किया हो। हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसे ही व्यक्ति हैं, वह इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप को कभी पसन्द नहीं करते। हां यह अधिकार सरकार का है कि वह राष्ट्रपति शासन की अवधि एक दो बार और बढ़ा दे। यदि ऐसा न किया गया तो मार्च १९६२ में वहां चुनाव नहीं हो सकते। छः छः मास की दो अवधियां बढ़ा देने पर भी थोड़े समय के लिये और इसे बढ़ाना होगा तब ही तो मार्च १९६२ में काम होगा।

यह महत्वपूर्ण नीति का प्रश्न है, इसका एक दम से कोई निर्णय नहीं हो सकता। केरल में राष्ट्रपति राज के तुरन्त बाद ही चुनाव कराने का निर्णय हो गया था। इस सब के बारे में अन्तिम निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त का होगा, अभी तक इस दिशा में जो कुछ सुना गया है वह निराधार ही कहा जाना चाहिये। निश्चित रूप में कुछ नहीं हुआ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या इस दिशा में निर्णय चुनाव क्षेत्रों के विभाजन हो जाने के बाद ही होगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन हर राज्य में हो रहा है केवल उड़ीसा में ही नहीं। यदि आगामी आम चुनावों के लिये एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने हैं तो यह आवश्यक ही है। यह काम तो हर राज्य में ही चल रहा है। इसलिये इसका सम्बन्ध उड़ीसा में पहले ही निर्वाचन कराने के बारे में नहीं है। यह चीज १९६२ के चुनावों के लिये आवश्यक है। उड़ीसा की स्थिति पर भी संसद् में वाद विवाद होगा। यदि संसद् राष्ट्रपति के राज्य को और नहीं चलाना चाहेगी तो निर्वाचनों की बात भी सोची जायेगी। गृह मन्त्री या प्रधान मन्त्री ही उस चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री गुप्ता ने राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रश्न उठाया है। इस प्रश्न पर चर्चा करते समय स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति का व्यक्तित्व भी विषय के अन्तर्गत आ जाता है क्योंकि हाल ही में इस सम्बन्ध में विवाद उठा था। यदि यह चीज विवाद के काफी देर बाद उठायी जाती तो ज्यादा अच्छा था। अब चूंकि यह बात कही गयी है इसका उत्तर भी जरूरी है।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : यदि माननीय मन्त्री वाद-विवाद को पढ़लें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि मैंने क्या कहा है।

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि माननीय सदस्य और अधिक सौजन्य से काम लें तो वह गलत न होगा। मैं कभी भी बिना सुने उत्तर नहीं देता। माननीय सदस्य

†मूल अंग्रेजी में

मुझे जानते ही हैं । यदि वह थोड़ी प्रतीक्षा करते तो उच्चतम न्यायालय को मामला सौंपने की बात पर मैं सब कुछ कहता । सदस्य महोदय यह समझते है कि न्यायालय मामले को निपटा देगा पर राजनीतिक समस्याओं में हमें न्यायालयों को बीच में घसीटना नहीं चाहिये । हर व्यक्ति यह बात जानता है कि संविधान के बाद से यही बड़ी राजनीतिक समस्या पैदा हुई है । यदि सरकार को इस मामले में किसी प्रकार का सन्देह नहीं तो न्यायालय को अनुच्छेद १४३ के अधीन यह मामला सौंपने का प्रश्न ही नहीं उठता । माननीय सदस्य को भी संविधान के तत्सम्बन्धी अनुच्छेदों में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता । वस्तुतः जिन लोगों ने संविधान सभा की तत्सम्बन्धी कार्यवाही का पाठ किया है उन्हें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह सकता । कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका विकास स्वस्थ परम्पराओं के आधार पर होना चाहिये । संविधान के लागू होने से आज तक इस संसद् और सरकार ने स्वस्थ परम्पराओं की स्थापना के लिये यथेष्ट प्रयास किया है ।

जो माननीय सदस्य यह कहते हैं कि ये दोनों भिन्न दिशाओं में अग्रसर हैं वे गलत हैं । यह विवाद सैद्धान्तिक है वास्तविक नहीं । मुझे खुद इस चीज पर बोलने का अवसर मिला था और मैंने अपने राष्ट्रपति के शब्दों का उद्धरण भी पेश किया था और उन्हीं शब्दों को भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में प्राधिकृत माना जाना चाहिये ।

श्री कालिका सिंह ने पाकिस्तान के संविधान का उल्लेख किया जिसे वर्तमान शासन से पहले अपनाया गया था, और कहा कि पाकिस्तान के संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान की त्रुटि को भांप कर ही यह उपबन्ध रखा था कि राष्ट्रपति को मन्त्रि परिषद् की सलाह माननी ही पड़ेगी । किन्तु उसका वास्तविक परिणाम क्या निकला । राष्ट्रपति ने केबिनेट को खत्म कर दिया और फिर अपने को भी पदच्युत कर लिया और वहां सैनिक तानाशाही कायम हो गयी ।

संविधान के शब्दों से ही संविधान सुरक्षित नहीं रह सकता बल्कि यह तो श्रद्धा से होता है । यदि जनता की श्रद्धा ही न रहे तो संविधान को जीवित नहीं रखा जा सकता । यदि श्रद्धा हो तो संविधान जीवित रहता है ।

†**श्री कालिका सिंह :** मैं श्री एलन ग्लैडहिल की राय यहां बताना चाहता हूं ।

†**श्री अ० कु० सेन :** ऐसे लेखकों की राय यहां बताना श्रेयस्कर न होगा । यदि कोक या हाइसे का उल्लेख किया जाय जो अलग बात है । खैर, पर पाकिस्तान के संविधान का परिणाम सभी ने अच्छी तरह से देख लिया है ।

मुकदमेबाजी पर खर्च और निर्धनों को कानूनी सहायता देने के प्रश्न पर मैं श्री कालिका सिंह से सहमत हूं ।

हमारे देश में जहां पर कि क्रमबद्ध विकास का दौर चल रहा है, उसी का एक पहलू न्याय से सम्बन्धित है जो वकीलों और मुकदमेबाजों के लिए बड़े महत्व का है । माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि हमने निर्धनों को कानूनी सहायता दिलाने की खातिर एक आदर्श योजना बनायी है जिसे राज्यों के पास भेजा गया है । केरल और बम्बई में तो शुरुआत भी की गयी थी । अन्य राज्यों में केवल अनुसूचित जातियों को ही ५० प्रतिशत सहायता देने का कार्यक्रम बनाया गया । राज्यों ने आगे चल कर यह भी कहा कि अन्य मुकदमेबाजों के लिए यदि केन्द्र ५० प्रतिशत तक की सहायता न देगा तो वे अकेले इस काम को सम्पन्न न कर सकेंगे । वह अपना वित्त प्रबन्ध खुद करते हैं और

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

यदि इस सहायता को वह और चीजों की अपेक्षा कम महत्व का समझते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। यदि यहां पर भी वित्त विभाग यह समझे कि ५० प्रतिशत सहायता हम नहीं दे पायेंगे तो क्या हो।

इसके अलावा यह भी संभव नहीं कि हम वकीलों की अधिकतम फीस निर्धारित कर दें। उससे भी प्रतिष्ठा प्राप्त वकीलों को हानि होगी। वकालत का क्षेत्र ही अनोखा है। जो वकील अच्छे हैं वह और भी आगे बढ़ते हैं और जो नहीं बढ़ते वह कभी नहीं बढ़ते। इसलिये अच्छे वकील सीमा के बावजूद भी ज्यादा फीस लेते रहेंगे। मुझे एक वकील की कहानी याद आ गई। एक बार एक मुवक्किल गांव से वकील करने आया और उसने किये जाने वाले एडवोकेट की स्थिति जाननी चाही। संयोग से उस वकील ने भी उसी वर्ष वकालत शुरू की थी जब कि हसन इमाम ने की। यह जानकर मुवक्किल ने कहा कि हसन इमाम की फीस तो ३० गोल्ड मुहरें हैं पर आप उतना नहीं लेते। इस पर वकील ने कहा, "अरे भाई मेरी भी फीस ३० गोल्ड मुहरें हैं, लेकिन मुझे देता कौन है?" इस कारण आप सीमा भले ही कायम कीजिये पर इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। यहां भी अनियमितताएं शुरू हो जायंगी। उसका साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं होगा और किसी को दंडित भी न किया जा सकेगा।

श्री अमजद अली ने कहा कि दलों के चुनाव के खर्चे भी दिखलाए जाने चाहिएं। दलों का काम ही ऐसा है कि व्यय को चुनाव से सम्बन्धित करना ही कठिन हो जायेगा। यह काम कठिन होगा। दल वैसे भी जलसे जुलूस करते रहते हैं। फिर उम्मीदवारों के खर्चे जानना भी कठिन हो जायगा। सारांश यह कि यह बड़ा कठिन कार्य है। इसलिये हम इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते।

स्वतंत्र पार्टी का यही नाम रखे जाने से भ्रम पैदा हो सकता है कि शायद दल का उम्मीदवार ही स्वतंत्र है। उत्तर भारत में निर्दलीय सदस्यों को स्वतंत्र ही कहा जाता है। दक्षिण में भी शायद ऐसा ही कहते होंगे। इस कारण यह भ्रम पैदा हो सकता है। अतः इस समय मैं यही कह सकता हूं कि निर्वाचन आयुक्त इस सभा के विचारों के अनुसार उचित कार्यवाही करें परन्तु हम यह नहीं चाहते कि स्वतंत्र पार्टी के साथ कोई ऐसी चीज की जाय जो उसे भी उचित मालूम न हो।

श्री भरूचा ने विधेयकों के मसविदों की तैयारी के लिए हमारे कर्मचारियों को धन्यवाद दिया है अतः मैं उनका आभारी हूं। दलों को मान्यता देने के प्रश्न पर उस सम्मेलन ने विचार किया है जिसे निर्वाचन आयुक्त ने १८ फरवरी को बुलाया था। इससे ज्यादा हम भी कुछ नहीं कर सके। इस बात का निर्णय हुआ है कि इस चीज के लिये कोई ठोस आधार बनाया जाय कि किस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाय। इससे ज्यादा ठोस चीज और क्या हो सकती है कि जो दल ३ प्रतिशत से अधिक वोट ले उसे मान्यता दी जाय।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : १९५२ में इस काम के लिए उन उम्मीदवारों के वोट भी गिने जाते थे जिनकी जमानत जब्त हो जाती थी पर १९५७ में यह फैसला हुआ कि उनके वोट गिने न जायं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

†**श्री अ० कु० सेन** : सामान्य चुनावो के बाद क्या होगा इस विषय पर तो निर्वाचन आयुक्त को ही विचार करना पड़ेगा। हमें उनका प्रतिवेदन देखना होगा। काल्पनिक परिणामों के आधार पर अभी मैं कोई आश्वासन किस तरह से दे सकता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह : मुझे गलत समझा जा रहा है । १९५७ के चुनावों के बाद उन उम्मीद-वारों के वोट नहीं गिने गये जिनकी जमानतें जब्त हुई ।

†श्री अ० कु० सेन : ऐसा मैं नहीं कह सकता । जो भी दल सम्मेलन में आए वहां पर या तो वह मुख्य प्रश्न उठाया गया या नहीं । यदि नहीं उठाया गया तो यह समाप्त समझना चाहिए । यदि यह उठाया गया था तो भी यह निबटाया गया है । पर मैं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता । यदि यह चीज सही हो तो भी सम्मेलन में उनके दल को यह बात उठानी चाहिए थी । मैं माननीय सदस्य के विचार आयोग को भेज दूंगा पर इस समय किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकता । निर्वाचन आयुक्त ने दलों के जो सम्मेलन बुलाए हैं उनमें हर चीज पर गौर किया गया है । यदि किसी दल ने ऐसा प्रश्न ही वहां नहीं उठाया तो यह उनकी गलती है । ।

†श्री ब्रजराज सिंह : लेकिन मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या आयोग संसद् की अनुमति के बिना यह काम कर सकता है ।

†श्री अ० कु० सेन : मैं उनका आशय समझता हूं लेकिन उन्हें यह चीज सम्मेलन में कहनी चाहिए थी । यदि यह उठायी गयी होगी तो इस पर विचार अवश्य किया गया होगा । माननीय सदस्य बताएं कि क्या वहां पर यह बात उठी थी या नहीं ।

जहां तक मसविदे तैयार करने का सवाल है विधेयकों, नियमों आदि की संख्या को देखते हुए यह कहना अत्युक्ति न होगी कि हमारे प्रारूपक उस ढंग से काम कर रहे हैं । इस काम की तारीफ बाहर के लोग भी करते हैं । ब्रिटेन तथा रूस वालों ने भी हमारे प्रारूपकों को बधाइयां दी हैं । १९५७ में तीन ऐसे कराधान सम्बन्धी कानून बने थे जिनका पूर्वोदाहरण इंगलैण्ड में भी नहीं था । वे थे धनकर अधिनियम, व्यय कर अधिनियम और दान कर अधिनियम । शायद दान कर अधिनियम का थोड़ा सा नमूना मिला था । किन्तु इन का मसविदा इतना शानदार है कि सभी ने इसकी प्रशंसा की है । ऐसे विषयों के मसविदे बनाना शायद आसान काम नहीं है । प्रारूपन विभाग के आदमियों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ।

श्री घोषाल ने ही शायद यह कहा कि प्रारूपों का स्तर नीचे जा रहा है परन्तु ऐसी बात नहीं है । यह तो बढ़ ही रहा है । श्री घोषाल ने बम्बई और कलकत्ता में सौलीसिटरों (अभ्यर्थी) को हटाने की बात कही । इस विषय पर एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग ने विचार किया है और उसका कहना है कि ये लोग रहने चाहिए । उन शहरों में बड़ी फर्मों का काम इस प्रकार से चलता है कि अभ्यर्थियों को हटा देने से बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी । इसके अलावा अभ्यर्थियों की फर्में न्यायालयों के लिए भी काम करती हैं । व्यवहार न्यायालयों तथा छोटे दावों का निर्णय करने वाले न्यायालयों के लिए ये काम करती हैं । वाणिज्य मंडलों ने यही राय दी थी कि यदि अभ्यर्थियों को हटा दिया गया तो बड़ी कठिनाइयां हो जायेंगी । इस से ज्यादा रुचि या चिन्ता उन्हीं लोगों को है । हमने आयोग नियुक्त किया था और अब यदि उनकी बात न मानें तो उससे भी क्या फायदा । विधि व्यावसायिक विधेयक तैयार करते समय सरकार ने उसी आयोग की सिफारिशों को माना है । वह सभा के सामने है । प्रवर समिति उस पर विचार कर चुकी है और उसे शीघ्र ही यहां लाया जायगा । जहां तक भारतीय न्याय सेवा की स्थापना का सम्बन्ध है यह प्रश्न प्रधान मंत्री से ही पूछा जाना चाहिए । वही विभिन्न मंत्रालयों को काम देते हैं । मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता ।

†श्री त्यागी : किन्तु इसके बारे में आपकी राय क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० कु० सेन : विधि आयोग ने ऐसी सेवा की स्थापना की सिफारिश की है। इसके पक्ष में बड़ी भारी दलीलें हैं कि इससे देश में एकता का प्रसार होगा परन्तु राज्यों के विधि मंत्री इस विचार के विरोधी हैं। न्याय प्रशासन का विषय राज्यीय विषय है और उनकी रजामंदी के बिना . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यगण अपनी इच्छा से इधर उधर जाने लगे हैं। हर सदस्य स्वतंत्र हो गया है।

†श्री अ० कु० सेन : सभी राज्यों ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने का विरोध किया है। विधि आयोग की एक मुख्य सिफारिश यह थी कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाई जाये। परन्तु सभी राज्यों द्वारा इसका विरोध किए जाने के कारण संसद अथवा सरकार के लिए यह बड़ा कठिन है कि राज्यों पर यह सेवा जबरदस्ती लादी जाये।

†श्री अमजद अली (धुबरी) : काश्मीर का मुकदमा १९५८ में आरम्भ किया गया था परन्तु अभी तक गवाही भी नहीं ली गई है।

†श्री अ० कु० सेन : जो न्यायालय मुकदमे पर विचार करता है वही इस बात को समझ सकता है कि मुकदमे का फैसला करने के लिए कितना समय लिया जाये। न्याय प्रशासन में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। यदि सरकार उसमें हस्तक्षेप करने लगे तो यह समझा जायेगा कि हम न्यायालय के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। काश्मीर षड़यंत्र के मुकदमे से संसार को एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि काश्मीर में पूरी स्वतंत्रता है। धारा ३४२ के अधीन अपना बयान देने के लिए प्रत्येक अपराधी ने कई महीने लिए हैं और यह भी सभी जानते हैं कि यह बयान कितने अश्लील थे।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १०३९ मतदान के लिये रखा गया।

सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में १२, विपक्ष में ८०

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :--

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७१	विधि मंत्रालय	३४,७१,०००
७२	निर्वाचन	२६,०८,०००
७३	विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय . . .	१,२७,०००

------

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

अस्सीवां प्रतिवेदन

†**श्री झूलन सिंह** : (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अस्सीवें प्रतिवेदन से, जो २२ मार्च, १९६१ को सभा में उपस्थापित की गई थी, सहमत है ।'

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक के बारे में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब विधेयक पुरस्थापित किये जायेंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं अपना विधेयक पुरस्थापित करना नहीं चाहता हूं ।

दान कर संशोधन विधेयक

(धारा २२ आदि का संशोधन)

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि दान-कर अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि दान-कर अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक

(धारा ६८ और ६९ का संशोधन)

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि भारतीय डाक घर अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि भारतीय डाक घर अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहायक बैंक विलय विधेयक

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि सभी सहायक बैंकों को भारत के राज्य बैंक में विलय करने वाले विधेयक को पुर-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि सभी सहायक बैंकों का भारत के राज्य बैंक में विलय करने वाले विधेयक को पुर-स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद २२६ में संशोधन)

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं ।

औद्योगिक विवाद संशोधन विधेयक--जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सभा में अब श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा १० मार्च १६६१ को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा होगी :

'कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, १६४७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।'

श्री त० ब० विट्ठल राव अपना भाषण जारी रखें :—

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम्): पन्द्रह दिन पहले जब मैं ने औद्योगिक विवाद अधि-नियम में संशोधन करने वाले विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत किया था उस समय मैं ने कहा था कि

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछले वर्षों में औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था । मैं ने यह भी बताया था कि पिछले दस वर्षों में आन्तरिक साधनों का उपयोग किस प्रकार किया गया था ।

इस के बाद मैं ने उत्पादन क्षमता के बारे में कहना आरम्भ किया था और दो उदाहरण दिये थे कि किस प्रकार कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता बढ़ गई है । परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय ने बाधा डालते हुए कहा था कि मेरे दोनों उदाहरण सरकारी क्षेत्र के हैं और विधेयक गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में है । मैं अब गैर-सरकारी क्षेत्र के बारे में बताता हूं ।

आप कोयला उद्योग को लीजिये । १९५१ में प्रति कर्मचारी उत्पादन क्षमता ०.३३ थी जो अब ०.४३ टन हो गई है । परन्तु इतना होने पर भी जब कभी हम ने सरकार से कहा है कि औद्योगिक कर्मचारियों को कुछ और लाभ दिये जायें तो श्रम उपमंत्री श्री आबिद अली ने हमें हमेशा इस का यही उत्तर दिया कि कारखाना अथवा मिल बन्द करने के बजाये यह अधिक उपयुक्त होगा कि कारखाना चालू रखा जाये चाहे मजदूरों को लाभ मिले अथवा नहीं ।

मैं उन्हें फरवरी १९६१ के रिजर्व बैंक के बुलेटिन के कुछ आंकड़े बताता हूं जिस से पता लग जायेगा कि उद्योगों ने अपनी पूंजी कितनी अधिक बढ़ा ली है । १९५१--५९ तक आठ वर्षों में पूंजी निर्गम के निदेशक ने ५५५ करोड़ रुपये के अंशों के लिये अनुमति दी है । इस से स्पष्ट हो जाता है कि माननीय उपमंत्री का यह कहना बेकार हो जाता है कि यदि कुछ सुविधायें अथवा लाभ दिये जायें तो पूंजी की कमी के कारण कारखाने बन्द हो जायेंगे, बेकार हो जाता है ।

अब मैं मजूरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यदि हम देखें तो पता लगता है कि हमारे यहां मज़दूरों को इतनी मज़दूरी नहीं दी जाती है जिस में से वह कुछ बचा कर अपने बुढ़ापे के लिये रख सकें । हाल में ही उच्चतम न्यायालय ने भी अपने एक फैसले में यही बताया है ।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

उन्हों ने कहा है कि ३०० रुपये मासिक वेतन निर्वाह के लिये बहुत कम है । परन्तु यदि हम औद्योगिक मजदूर की औसत मजूरी देखें तो पता लगता है कि यह १०० रुपये मासिक से बहुत कम है । बाग़ान मज़दूरों की हालत तो और भी खराब है । उन को ५०–६० रुपये मासिक के लगभग मजूरी मिलती है ।

बड़ी अजीब बात है कि संविधान में सरकार ने व्यवस्था की है कि जीवन निर्वाह मजूरी देने के लिये विधान बनाया जायेगा । परन्तु अफसोस है कि निर्वाह-मजूरी तो एक तरफ रही न्यूनतम मजूरी भी मजदूरों को नहीं दी जाती है ।

हाल में ही सिगरेनी कोयला खान का एक कर्मचारी मेरे पास आया था । उस ने बताया कि निवृत्ति के बाद उस को कुल ७०० रुपये मिले हैं और बड़ा कठिन होगा यदि उस के पुत्र को मजदूर नहीं रखाया गया । कितनी हालत खराब होती है इस का अंदाजा आप लगायें क्योंकि थोड़ी मजूरी होने के कारण यह लोग बुढ़ापे के लिये कोई धनराशि नहीं जोड़ पाते हैं ।

मेरा यह विधेयक एक सीधा सा विधेयक है । मैं केवल यह चाहता हूं कि उत्पादन से हुए लाभ का एक अंश मज़दूरों को भी मिलना चाहिये । हम ने ऐसा करने की व्यवस्था दूसरी योजना के लिये बनाई थी परन्तु अब तक ऐसा नहीं किया गया है ।

बड़ी ही अजीब बात है कि सरकार ने भविष्य निधि को ६ १/४ प्रतिशत से ८ १/३ प्रतिशत करने का मामला एक समिति को सौंपने का निर्णय किया है । इस से तो सरकार को भी धन मिलता था । प्रशुल्क आयोग भी बता चुका है कि कागज़ उद्योग में बहुत लाभ मिलता है । इसलिये यदि

[श्री त० व० विट्ठल राव]

यह संभव नहीं था कि सभी उद्योगों में भविष्य निधि की दर बढ़ाई जाये तो कम से कम थोड़े से उद्योगों में ऐसा किया जा सकता था ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लीजिये । कर्मचारी की तुलना में मालिक आधा अंश देते हैं जबकि अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि कुल मजूरी का ४ $^{1}/_{4}$ प्रतिशत मालिक देगा परन्तु अभी तक इस के बारे में कुछ नहीं किया गया है ।

क्या दूसरी योजना के लक्ष्य पूरे करने वाले मज़दूरों के साथ इस प्रकार की कार्यवाही की जानी चाहिये । मैं ने इसलिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है जिस से उन के साथ न्याय हो सके और प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिये एक महीने की मजूरी भी उसे दी जानी चाहिये ।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़) सभापति महोदय, बिल के प्रस्तावक की मंशा बुरी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छी है, और गवर्नमेंट को भी इसे स्वीकार करने में ऐतराज नहीं होना चाहिये । इस सम्बन्ध में हमें थोड़ा विचार करना है । श्रमिकों के लिये ग्रैच्युइटी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण बनता जा रहा है । कुछ जगहों पर ऐग्रीमेंट के द्वारा श्रमिकों को ग्रैचुइटी मिल रही है, कुछ जगह झगड़ा फसाद कर के मिल जाती है, कुछ जगहों पर मिन्नतों से मिल जाती है, पर कुछ जगहों पर अब भी नहीं मिल रही है । इसलिये यह जरूरी है कि श्रमिकों के बारे में एक सी नीति होनी चाहिये । जब एक सी नीति नहीं होती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नीति का इस्तेमाल किया जाता है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन्स खराब होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, झगड़े फसाद होते हैं, जिस से उत्पादन गिरता है और देश को धक्का पहुंचता है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि ग्रैचुइटी का सवाल मजदूरों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है । वैसे तो बरसों पहले रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन और ले आफ कम्पेन्सेशन का कानून बनाया गया था लेकिन जहां पर एम्प्लायर्स लोग श्रमिकों को कम करना चाहते हैं, मजदूरों की छंटनी करना चाहते हैं, वहीं के लिये यह कानून बना था । परन्तु ऐसे भी श्रमिक हैं जोकि अब बुड्ढे हो गये हैं और वर्षों से कारखाने के अन्दर काम कर रहे हैं तथा अपना काम छोड़ना चाहते हैं । लेकिन वे इसलिये नहीं छोड़ पाते हैं कि अगर छोड़ देंगे तो उन के बाल बच्चों का क्या हाल होगा । अगर उन्हें ग्रैचुइटी मिलती है तो वे रिटायर होने के लिये तैयार हैं, और उन की जगह दूसरे नौजवान श्रमिक आ सकते हैं । जो नौजवान श्रमिक नये आयेंगे वे बुड्ढे श्रमिकों से अधिक काम भी करेंगे । कहने का मतलब यह है कि आज प्रैक्टिस में यह चीज है कि नौजवान श्रमिकों की जिस जगह जरूरत है वहां बुड्ढे श्रमिक काम कर रहे हैं । आज बुड्ढों की जितनी एफिशिएंसी है उस से कम से कम १५ फी सदी ज्यादा एफिशिएन्सी नौजवानों में होगी और यह एम्पलायर्स के लिये भी बहुत अच्छा होगा । जिस काम को बुड्ढा अधिक समय में काम करेगा, उसी जगह नौजवान श्रमिक थोड़े समय में कर लेगा । इसलिये एम्प्लायर्स को इस पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिये । इस से हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी । एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी प्राडक्टिविटी बढ़ेगी ।

लेकिन मुझे ऐतराज एक बात पर है । हमारे मित्र ने केन्द्रीय शासन और राज्य शासन के कर्मचारियों को क्यों छोड़ दिया है, यह मेरी समझ में नहीं आता । जब हम श्रमिकों के सम्बन्ध में एक सी नीति इस्तैमाल करना चाहते हैं तो ट्रेड यूनियन के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सेक्टर में कोई फर्क नहीं होना चाहिये । उसके सामने एक ही चीज होनी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

कि अगर एक श्रमिक काम करता है, वह आधे घंटे के लिये ही श्रम करता है तो भी उसको उसकी मेह-नत का पूरा मुआवजा मिलना चाहिये और जो बेनिफिट दूसरे श्रमिकों को मिलता है वह सब को समान रूप से मिलना चाहिये । मेरी समझ में नहीं आता कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह की जो इण्डस्ट्रीज़ हैं उसमें काम करने वाले श्रमिकों को क्यों अलग कर दिया जाय। यह बहुत गलत तरीका है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

साथ ही साथ मैं इस मामले में मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे श्रमिकों के अन्दर भी एक गृहयुद्ध जैसी चीज न भड़क उठे, इसका ध्यान रखने की जरूरत है । एक इण्डस्ट्री के अन्दर, एक कंसर्न के अन्दर एक जैसा काम करने वाले जो अलग अलग श्रमिक हैं उनमें भेद नहीं करना चाहिये । मुझे बड़ा दु:ख होता है जब मैं देखता हूं कि हम बात करते हैं इण्डस्ट्रियल लेबर की, हम बात करते हैं श्रमिकों की, लेकिन जो आज दबा हुआ वर्ग है, जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं और दूकानों पर काम करते हैं, उनके लिये किसी कानून का पालन नहीं होता है । सभी लोगों को बहुत से बेनिफिट मिल रहे हैं । इस मामले में इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अन्दर जहां पर ५० श्रमिक काम करते हैं वहां पर श्रमिकों के लिये रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन और ले आफ कम्पेन्सेशन की व्यवस्था की गई है । मैं समझता हूं कि अगर इस व्यवस्था को मध्यम वर्ग के कर्मचारियों पर भी लागू किया जाय तो ठीक होगा । जहां पर ५० से ज्यादा श्रमिक काम करेंगे उन को इस कानून के अन्तर्गत न्याय मिलेगा, इस बात को रखना उचित नहीं है । इस चीज को देखने की जरूरत है कि चाहे २—४ श्रमिक काम करें चाहे ५—१० श्रमिक काम करें या ४०—५० काम करें, दूकान पर काम करने वाले हों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हों या पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले हों, जो भी उचित योजना हो वह सब पर लागू होनी चाहिये । आज आपने रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन और ले आफ कम्पेन्से-शन का कानून बनाया है उस के बावजूद अहमदाबाद और बम्बई के अन्दर कानून के द्वारा ग्रैचुइटी मिल रही है, इण्डस्ट्रियल कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसके द्वारा बम्बई और अहमदाबाद के ग्रैचुइटी मिल रही है । मैं अभी एक ऐग्रीमेंट कर के आया हूं, हमारे यहां टैक्सटाइल इण्डस्ट्री में काम करने वाले जो टैक्नीशियन्स और क्लेरिकल स्टाफ है उसके बारे में ऐग्रीमेंट कर के आया हूं, कि भले ही यह कानून के अन्तर्गत न हो, लेकिन जो श्रमिक बुड्ढा हो जाता है या बीमार हो जाता है या मर जाता है उसे एक साल की सर्विस के ऊपर एक महीने का ऐवरेज ग्रैचुइटी के तौर पर दिया जायेगा । मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब बम्बई, अहमदाबाद और इन्दौर में इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो जहां पर ट्रेड यूनियन स्ट्रांग नहीं हैं, वहां कमजोर लोगों को क्या मिलेगा और वे क्या करेंगे ? वे वहां पर झगड़े बढ़ायेंगे और हम झगड़ों को खत्म करना चाहते हैं । मैं जानता हूं कि मन्त्री जी एक सहारा लेंगे और वह सहारा लेंगे कि पन्द्रहवीं लेबर स्टैंडिंग कमेटी में इस बारे में विचार हुआ था और यह तय हुआ था कि जिन को सोशल सिक्योरिटी मिलती है उन का इंटेग्रेशन कर दिया जाय । मैं जानता हूं कि यह सन् १९५६–५७ की बात हो गई है और आज सन् १९६१ चल रहा है । तो आप या लेबर स्टैंडिंग कमेटी जो सारी बातें करना चाहते हैं उनको करते क्यों नहीं । ग्रैचुइटी जैसी चीज इंडस्ट्रीज के लिये बहुत फायदेमन्द है और इसे करना चाहिये । हमारे भाई इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट में ग्रैचुइटी को लाना चाहते हैं और इसके लिये उन्होंने बिल पेश किया है । लेकिन इसमें जो कंटीन्यूड सरविस का सवाल है यह हमको बहुत अखरता है । कंटीन्यूड सरविस को आज के स्टैंडिंग आर्डर्स के अनुसार गिना जाएगा । उसके अनुसार अगर कोई देर से आता है या छुट्टी में पिछड़ जाता और दरख्वास्त देता है तो मेनेजमेंट कहता है कि हमको मिली नहीं, उस हालत में उसकी सरविस में ब्रेक हो जाता है, और चाहे उसकी २५ साल की सरविस हो उसको ब्रेक कर देते हैं और फिर उसको बदलियों में रखते हैं और उसकी सरविस को नए सिरे से गिना जाता है । तो मैं मानता हूं कि आपको सारे इण्डस्ट्रियल डिसप्यूट्स ऐक्ट पर विचार करना होगा । इण्डियन लेबर कानफरेंस में भी इसके सम्बन्ध में चर्चा हुई

[श्री रामसिंह भाई वर्मा]

थी। मेरे दूसरे साथी भी बोलने वाले हैं इसलिये मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो श्रमिकों की ग्रेचुइटी का मसला है इस पर आपको विचार करना चाहिये और कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये कि यह ग्रेचुइटी न केवल इण्डस्ट्रियल श्रमिकों ही को मिले, बल्कि जो भी लोग श्रमिकों की व्याख्या में आते हैं, भले ही वह चाय बागानों में काम करें, खानों में काम करें, दुकानों में काम करें, सब्जी मण्डी में काम करें, या होटलों में काम करें, जो भी मजदूरी करके अपनी रोजी कमाने वाले लोग हैं उन सभी को इसका फायदा मिले। यही मेरा निवेदन है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : सभापति महोदय मैं श्री विट्ठल राव द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। उन्होंने विधेयक के उद्देश्य तथा कारण में लिखा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि निवृत्ति मिलने के बाद कर्मचारी को क्या मिलना चाहिये।

मैं भी पिछले २० वर्षों से कार्मिक संघ में काम कर रहा हूं। मेरा अपना अनुभव यह है कि यह सरकार वादे बहुत करती है परन्तु उनके अनुसार कोई काम नहीं करती है।

मेरे मित्र श्री विट्ठल राव ने बताया कि उद्योगों में उत्पादन बढ़ गया है। मेरा भी अपना यही कहना है कि लाभ बहुत बढ़ गया है। प्रश्न यही उठता है कि क्या इस लाभ का कुछ अंश कर्मचारियों को मिलना चाहिये अथवा नहीं ?

जब भी कभी मजूरी के बारे में बातें होती हैं तभी यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि मजदूर को अपने जीवन में कुछ बचाना भी चाहिये। मैं जानता हूं कि सरकार ने इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर भविष्य निधि योजना लागू की थी परन्तु बड़े ही खेद की बात है कि सरकारी क्षेत्र में भी भविष्य निधि का लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है। हमें ऐसे उदाहरण बताये गये हैं कि जो औद्योगिक मजदूर अपनी सारी सेवा अवधि में ९० दिन भी अनुपस्थित रहा है उसको भविष्य निधि का सरकारी अंश नहीं दिया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि १९४७ से पहले कोई नियम न होने के कारण बहुत से कर्मचारियों की सेवायें बीच में समाप्त होकर पुनः चालू हुई हैं। मैं ऐसे कितने ही मामले माननीय मन्त्री को बता सकता हूं।

दिल्ली में ही सी० ओ० डी० के इंजीनियरिंग विभाग के बहुत से कर्मचारी भीख मांगते आपको मिलेंगे जबकि उनको धन मिलना है। मेरा माननीय मन्त्री से अनुरोध है कि कृपा करके इन मामलों पर विचार करें और ऐसी व्यवस्था करायें जिससे २ अथवा तीन महीनों में ही भविष्य निधि की राशि कर्मचारी को मिल जाये। माननीय मन्त्री श्री नन्दा कानपुर हो आये हैं और उन्होंने वहां के मजदूरों की हालत देखी है। मेरा यही सुझाव है कि छः महीने के प्रतिबन्ध को हटा दिया जाना चाहिये और सेवा निवृत्ति के तुरन्त बाद ही मजदूर को यह धन दिलाना चाहिये।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि श्रम मन्त्रालय, मिल मालिकों तथा सरकार का एक संयुक्त कोष बनाना चाहती है जिसमें से दान के रूप में कुछ धन इन मजदूरों को दिया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के द्वारा भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था की जा रही है। मेरी माननीय मन्त्री से अपील है कि इस विधेयक को अवश्य स्वीकार कर लें क्योंकि यह भी समाजवाद की ओर ही एक कदम है।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : सभापति महोदय, मैं भी समझता हूं कि इस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिये। एक व्यक्ति के सेवा निवृत्त होने के बाद कर्मचारी को कुछ धन अवश्य मिलना चाहिये जिससे वह अपना बुढ़ापा अच्छी तरह से बिता सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा सुझाव है कि मन्त्रालय यदि इस विधेयक को स्वीकार करना नहीं चाहता हो तो कृपा करके सभी दलों का एक सम्मेलन बुलायें और उस सम्मेलन में इस समीक्षा पर विचार करके एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करें।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : सभापति महोदय, इस विधेयक के उद्देश्य प्रस्तावक ने बड़ी योग्यता से बता दिये हैं। इसके बारे में मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिनको न्यायाधिकरणों ने स्वीकार किया है। १९५३ में मद्रास राज्य में बिजली का कम सम्भरण करने के कारण अंशतः बेरोजगारी फैल गई थी। उस समय यह प्रश्न उठा था कि इस बेरोजगारी की अवधि के लिये क्या मजदूरों को कुछ प्रतिकर मिलना चाहिये। इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक न्यायाधिकरण बनाया गया था। उसने अपना निर्णय दिया था कि प्रतिकर दिया जाना चाहिये। इसी आधार पर एक अध्यादेश जारी किया गया और बाद में एक विधान बनाया गया। इसके अधीन यह व्यवस्था की गई थी कि छंटनी किये गये तथा जबरदस्ती बेकार हुए मजदूरों को एक निश्चित राशि प्रतिकर के रूप में दी जानी चाहिये।

श्री विट्ठल राव अब अपने विधेयक के द्वारा यह चाहते हैं कि इस प्रतिकर के साथ साथ उपदान देने की व्यवस्था भी अधिनियम के द्वारा की जानी चाहिये। यह कहा जा सकता है कि इसको विधान का रूप नहीं दिया जाना चाहिये और इसका भुगतान आपसी समझौते पर ही छोड़ देना चाहिये। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि अधिनियम बन जाने पर भी इसको लागू करने में तीन अथवा चार वर्ष का समय लग जायेगा। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। १९५२ में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम पारित किया गया था; इसमें एक अनुसूची रखी गई थी जिसमें बताया गया था कि इसको किन किन उद्योगों पर लागू किया जायेगा। परन्तु देखा गया है कि सभी उद्योगों पर यह अब लागू किया गया है।

भविष्य निधि अधिनियम का सभी मजदूरों ने स्वागत किया और यह इस बात से सिद्ध हो गया है कि मजदूर इसमें अपना अंश बढ़ाने को तैयार हैं जबकि मालिक इसका विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मजदूर इस प्रकार तीसरी योजना के लिये साधन बढ़ाने को तैयार हैं।

वस्तुतः अब वह समय आ गया है कि हमें सामाजिक सुरक्षा के कुछ पहलुओं को स्वीकार करना चाहिये। श्री मेनन ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि नियोजकों तथा कर्मचारियों दोनों के ही अंशदान में वृद्धि की जाय। ऐसा करने का सब से आसान तरीका यह है कि हम इस विधान को स्वीकार करें।

उच्चतम न्यायालय ने भी स्टैण्डर्ड वैकम आयल कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के मुकदमे में जो निर्णय दिया है उस से भी इस बात की पुष्टि होती है कि कर्मचारियों को समवाय के लाभ में एक अंश प्राप्त करने का अधिकार है। अतः उपदान के सम्बन्ध में हमें एक निश्चित नीति बना लेनी चाहिये।

पैरम्बूर कर्मशाला और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स कारखानों में श्रमिकों के कार्य से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कर्मचारियों की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, उन की कार्यक्षमता में वृद्धि हो रही है, इस प्रकार लाभ की मात्रा बढ़ रही है। इस से यह स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि कर्मचारियों को उन की कार्य की अवधि के दौरान तथा कार्य से निवृत्त होने के पश्चात् अधिक सुविधायें प्रदान की जांय, मैं आशा करता हूं कि जब भी सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम का संशोधन करने का विचार करेगी वह इस पहलू को नहीं भूलेगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : इस विधेयक पर चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने कुछ ऐसी मदों का उल्लेख किया है जोकि इस विधेयक के उपबन्धों से केवल अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। अन्तिम भाषणकर्त्ता ने लाभांश, मजूरी इत्यादि का जिक्र किया और कहा कि कुछ प्रसिद्ध लेखकों के अनुसार भारतीय मजदूर की कार्य क्षमता काफी अधिक है। वस्तुतः इस प्रकार का उल्लेख करने की आवश्यकता ही नहीं है। उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले लोग यह भली प्रकार जानते हैं कि यदि हमारे कर्मचारियों को अवसर मिले तो वह बड़े से बड़ा काम पूर्ण कुशलता से कर सकते हैं, विदेशी विशेषज्ञों ने उन की भूरि भूरि प्रशंसा की है। जहां तक उत्पादकता बढ़ने का प्रश्न है इस का कारण यह है कि उद्योगों में शांति है और हमारे मजदूर अब जागरूक और उत्तरदायी ो गये हैं।

निसन्देह मजदूरों को उपयुक्त मजूरी मिलनी चाहिये हम सी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे विचार से प्रत्येक समझदार व्यक्ति इस बात पर विश्वास करेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे मजदूरों को उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा और लाभ प्राप्त हुए हैं। अभी हाल विभिन्न उद्योगों में मजूरी बोर्ड नियुक्त होने से मजदूरों को काफी लाभ प्राप्त हुए हैं। हड़तालों के न होने से मुकदमे-बाजियां नहीं हुई हैं क्योंकि मजूरी बोर्ड त्रिपक्षीय होते हैं। यह प्रसन्नता का विषय है कि अभी तक हुए सभी निर्णय सर्वसम्मत हुए हैं, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रयत्न से इन सिफारिशों को पर्याप्त सीमा तक क्रियान्वित किया गया है। निसन्देह औद्योगिक न्यायाधिकरणों की सिफारिशें क्रियान्वित करने में कुछ असफलतायें भी ई हैं।

हम ने कोयला खानों में मजदू ों की भविष्य निधि ोजना भी लागू कर दी है। उन के यहां लाभांश योजना भी है। कर्मचा ी भविष्य नि योजना जोकि १९५२ में क्रियान्वित की गई उस के अन्तर्गत बहु से कारखाने और बागान आते हैं। भविष्य निधि के सम्बन में आसाम के बागान कर्मचारियों के लिये एक पृथक अधिनियम है। स के अतिरिक्त छंटनी प्रतिकर, कर्मचारी राज्य बीमा तथा अन्य कई योजनायें जो हमने मजदूरों के संबंध में लागू की हैं उनसे प्रत्येक समझदार व्यक्ति को यह विश्वास हो जायेगा कि हम मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा देने के सम्बन्ध में पीछे नहीं रहे हैं।

जहां तक माननीय प्रस्तावक द्वारा दिये गये वक्तव्य का प्रश्न है, इन प्रश्नों के सम्बन्ध में हमें चाहिये कि हम सतर्क रहें। विशेषतः ऐसे मामलों में जबकि हम से यह कहा जाता है कि यदि किसी नियोजक के द्वारा भविष्य निधि की राशि नहीं दी जा रही है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिये जिस से वह संस्थापन ही बन्द हो जाय। स्वयं मजदूरों ने इस बात का सुझाव दिया कि भविष्य निधि के तत्काल भुगतान के लिये दबाव नहीं डालना चाहिये क्योंकि इस से संस्थापन के बन्द होने की आशंका है। हम नियोजक को उस सीमा तक सुविधा दे रहे हैं जहां तक कि संस्थापन बना रहे और मजदूरों का रोजगार लगा रहे तथा भविष्यनिधि की राशि किश्तों में वसूल हो जाय।

टैक्नीकल समिति के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने यह कहा है कि केवल विलम्ब करने के उद्देश्य से हमने यह समिति नियुक्त की है। ऐसा कहना अनुचित है क्योंकि यह मामला औद्योगिक समिति के सम्मुख आया था। उस समिति में उस दल को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था जिसके वे प्रतिनिधि हैं। इस संबंध में लोगों का सर्वसम्मत यह मत था कि ऐसी समिति की नियुक्ति होनी चाहिये। अतः भविष्य निधि की राशि को ६ $^{1}/_{4}$ से ८ $^{1}/_{3}$ प्रतिशत करने के सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां थीं और यह तर्क पेश किया गया था कि यदि इसे लागू किया जायेगा तो कुछ संस्थापन बन्द हो जायेंगे। मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति इस बात को पसन्द

†मूल अंग्रेजी में

नहीं करेगा कि केवल इसी कारण किसी उद्योग या संस्थापन को खतरा पहुंचे । ऐसा करना कामगरों तथा देश के हितों के प्रतिकूल होगा ।

इस में सन्देह नहीं है कि कुछ स्थानों में मजदूरों को उपदान (ग्रेचुइटी) भी दिया जाता है। जिन स्थानों में यह दिया जाता है वहां कार्मिक संघ पद्धति है । माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि हम नियोजकों का समर्थन करते हैं यह सत्य है कि हम उस सीमा तक उन का समर्थन करते हैं जहां तक उनका समर्थन करना उचित है । यदि प्रबन्ध नहीं रहेगा तो सारे कारखाने ठप्प हो जायेंगे । मैं स्वयं जिस कार्मिक संघ के साथ संबंधित रहा था वह कामगरों को इस प्रकार संगठित करना चाहता था कि कोई दंगे या फसाद न हों, उद्योग की तरक्की हो तथा कामगरों को अपनी मजूरी भविष्य निधि और उपदान प्राप्त हो जायें । इसी का यह फल है कि बम्बई और अहमदाबाद में न केवल मजूरी का एक स्तर है अपितु महंगाई भत्ते की राशि भी अपेक्षाकृत अधिक है और वहां उपदान योजना भी लागू है ।

जहां तक भविष्य निधि को विलम्ब से देने का प्रश्न है मैं इस बात से सहमत हूं कि इस का भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिये । माननीय सदस्य ने कहा है कि भुगतान तीन महीनों के भीतर हो जाना चाहिये । कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन इसे एक सप्ताह के अन्दर दे दिया जाता है । जिन्हें एक सप्ताह के भीतर नहीं मिलता है उन्हें पन्द्रह दिनों के भीतर मिल जाता है। केवल उन मामलों में जहां कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, या उन्हों ने अपने फार्मों में अपने उत्तराधिकारी का नाम नहीं दिया है या अन्य आवश्यकतायें पूरी नहीं की हैं, उन की आवश्यकता पूरी करने में विलम्ब हो सकता है । निसन्देह भविष्य निधि की रकम कामगर या उस के परिवार को एक सप्ताह के भीतर या अधिक से अधिक एक महीने के भीतर अवश्य मिल जानी चाहिये । कोई त्रुटि रह जाय तो इस सम्बन्ध में सभी को, विशेषतः जो लोग कार्मिक संघ में हैं इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि फार्मों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी होवे । इस संबंध में हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि प्रत्येक उद्योग तथा प्रत्येक क्षेत्र में कर्मचारियों को भविष्य निधि महंगाई भत्ते पर भी दी जाय ।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन कामगरों को बुनियादी मजूरी तथा महंगाई भत्ते दोनों पर ही भविष्य निधि प्राप्त करने का अधिकार है । १९५२ में जब यह योजना लागू की गई तो उस में महंगाई भत्ता भी शामिल कर दिया गया तब से महंगाई भत्ता कुछ मामलों में दुगुना और कुछ मामलों में उस से भी अधिक हो गया है । अतः हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को भविष्य निधि प्राप्त हो, दूसरे यह कि उस की राशि ६ १/४ से बढ़ा कर ८ १/३ प्रतिशत कर दी जाय । तत्पश्चात् उपदान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय । सामाजिक सुरक्षा के लिये एक व्यापक योजना बनाई गई है । माननीय सदस्य यह जानते हैं कि यह योजना पेंशन व उपदान योजना होगी और इसी कार्य के लिये दो समितियां नियुक्त की गई है । इस मामले पर त्रिपक्षीय समिति में विचार हो चुका है और सब से पहिले भविष्य निधि की रकम को ६ १/४ से बढ़ा कर ८ १/३ प्रतिशत कर दिया जायेगा । इस मामले पर चर्चा करने के दौरान उद्योगों की कठिनाई सामने आई जिस के लिये टेक्नीकल समिति को नियुक्त करने की आवश्यकता हुई । यह समिति त्रिपक्षीय समिति के सर्वसम्मत निर्णय पर नियुक्त हुई है ।

मैं इस बात से सहमत ही नहीं हूं, बल्कि मेरा यह पक्का विचार है कि भविष्य निधि के अलावा उपदान भी अवश्य मिलना चाहिये । जहां कहीं भी मैं ने कार्मिक संघ में काम किया है मैं ने इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया है । मुझे पूरा विश्वास है कि मजदूरों को इस का पूरा अधिकार है। तथापि हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि इस से उद्योग में कोई गड़बड़ी न पैदा हो।

[श्री आबिद अली]

इसीलिये हम इस प्रक्रिया को क्रियान्वित कर रहे हैं मैं आशा करता हूं कि टेक्नीकल समिति अपना प्रतिवेदन शीघ्र देगी। तब यह सिफारिश त्रिपक्षीय समिति के सम्मुख रखी जायेगी और इस के आधार पर सामाजिक सुरक्षा की एक व्यापक योजना तैयार करना संभव होगा।

मैं कोई टेक्नीकल आपत्ति पैदा नहीं कर रहा हूं। मैं इस सिद्धान्त को स्वीकार करता हूं। तथापि प्रक्रिया उक्त प्रकार की है, हमें इस प्रकार की लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया का आदर करना ही होगा।

मेरे इस आश्वासन के बाद मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि इस सम्बन्ध में भरसक कार्यवाही की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि वे विधेयक वापस ले लगे अन्यथा मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को अस्वीकृत करें।

श्री त० ब० विट्ठल राव : जिन सदस्यों ने इस विधेयक की चर्चा में भाग लिया है, मैं उन का कृतज्ञ हूं। मेरे विचार से कई अन्य सदस्य भी इस का समर्थन करते तथापि उन के लिये बोलने का समय नहीं था।

श्री राम जी भाई वर्मा ने कहा है कि यह विधेयक सरकारी उपक्रमों में भी लागू किया जाना था। मैं ने यह विधेयक प्रस्तुत करते समय यह बात स्पष्ट बता दी थी कि मैं इस विधेयक को केवल गैरसरकारी क्षेत्र में इस कारण लागू करना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों में इसे लागू करने के लिये मुझे राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता होती जिस में बहुत समय लगता, अतः, मैं ने इस का क्षेत्र गैर सरकारी उपक्रमों तक ही सीमित रखा।

श्री काशीनाथ पांडे ने कहा है कि विधेयक का मसविदा संतोषजनक नहीं है, यदि इस में कुछ त्रुटियां हैं तो उन का सुधार किया जा सकता है।

उपमंत्री ने मुझे जो आश्वासन दिया उस से मुझे पर्याप्त संतोष हुआ है, क्योंकि यह सरकार की ओर से आश्वासन है। उन्हों ने भविष्य निधि की रकम को ६ % से ८ % प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये कहा था, इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि स्थायी श्रम समिति में मैं अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि था, मैंने टेक्नीकल समिति वाले प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया था क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि इस प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप किसी उद्योग में गड़बड़ी पैदा होने की आशंका नहीं है। मैं ने इस सम्बन्ध में श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक प्रकाशन "भारतीय श्रम आंकड़ों" का भी जिक्र किया था और कहा था कि सभी उद्योगों में न सही, पर जिन उद्योगों में लाभ का प्रतिशत काफी है वहां पर यह वृद्धि की जानी चाहिये। इस के पश्चात् जब हमारी संस्था से टेक्नीकल समिति में एक या दो व्यक्तियों को नामजद करने को कहा गया तो हम ने श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के सचिव को यह लिखा कि हम इस टेक्नीकल समिति में भाग नहीं लेना चाहते हैं। मेरे संगठन ने टेक्नीकल समिति का कभी समर्थन नहीं किया।

तथापि माननीय उपमंत्री ने इस समय हमें जो आश्वासन दिये हैं उन से हमें काफी प्रोत्साहन मिला है। मैं उन का स्वागत करता हूं।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक

†**श्री झूलन सिंह** (सीवन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में तेलों को जमाये जाने से रोकने तथा तत्सम्बन्धी अन्य बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इस आशय का एक विधेयक १९५१ में अस्थायी संसद् में रखा गया था, वह विधेयक पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तुत किया था, उन्हों ने कहा था कि इस विधेयक के पक्ष में वे हजारो राय व्यक्त कर सकते हैं । तब मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा था कि वे इस के समर्थन में लाखों राय पेश कर सकते हैं । १९५४ में मैं ने पुन: इसी आशय का विधेयक रखा था, उस समय जब विधेयक पर मतदान हुआ था तो ५२ सदस्य इस के विरोध में थे और ४९ सदस्य इस के पक्ष में ।

तेलों को जमाने के सम्बन्ध में मुझे विश्वास है कि यह मानव के स्वास्थ्य के लिये घातक है, अत: इस प्रक्रिया का शीघ्र उन्मूलन किया जाय । इस विधेयक का उद्देश्य देश की चिकनाई वाले संसाधनों की रक्षा करना है । विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में यह भी कहा जा चुका है कि इस के द्वारा जनमत की यह राय भी व्यक्त की गई है कि वनस्पति स्वास्थ्य के लिये घातक है तथा वनस्पति का प्रयोग घी में मिलावट के लिये न किया जा सके ।

नवीनतम आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्य देशों की अपेक्षा भारत में चिकनाई की खपत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन बहुत कम है । यहां पहिले तो चिकनाई उपलब्ध है ही नहीं जो है भी वह दूसरे तरीकों से बरबाद की जा रही है ।

वनस्पति मात्र तेल है जिसे परिष्कृत किया गया है उसकी गंध निकाल ली गयी है तथा उसे जमा दिया गया है । इस प्रक्रिया से तेल के लाभों में कोई अन्तर नहीं होता है तथापि इसके लिये उपभोक्ता को जो राशि देनी होती है वह ६०० रु० प्रति टन है । हमारे देश में वनस्पति का उत्पादन ३.५ लाख टन प्रति वर्ष होता है । इस प्रकार उपभोक्ता १८ क ोड़ पये अतिरिक्त व्यय करते हैं, जब कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है ।

हमारे देश की अवस्था दूसरे देशों से भिन्न है । यद्यपि हमें आजादी प्राप्त किये हुए १३ वर्ष हो चुके हैं तथापि अभी तक हमारे देशवासियों को अच्छा और पर्याप्त खाना मयस्सर नहीं होता है । इस सम्बन्ध में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूज्य विनोवा जी और स्वर्गीय मशरुवाला की राय बतलाना चाहता हूं, पूज्य बापू ने कहा है कि जब हम खोटे सिक्के के उपयोग करने वाले को कठिन दंड देते हैं तो हमें चाहिये कि जो लोग इस झूठे घी का विक्रय करते हैं उन्हें भी दंड दिया जाय । स्वर्गीय मशरुवाला का कथन है कि इसके द्वारा घानी उद्योग तथा कृषि को धक्का लगा है । लोग इसके लिये व्यर्थ इतना धन व्यय करते हैं जब कि इससे लाभ कुछ भी नहीं होता है ।

१९५१ में जब पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इस विषय में अपना विधेयक प्रस्तुत किया था तो तत्कालीन खाद्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि वनस्पति को रंगने के सम्बन्ध में एक समिति कायम कर दी गयी है और लगभग तीन महीने के समय में किसी उपयुक्त रंग की खोज करली जा ेगी । इस बात को आज दस वर्ष हो चुके हैं तथापि इसके लिये किसी रंग की खोज नहीं हो सकी है । इसके विपरीत वनस्पति के निर्माता अब अपने विज्ञापनों में इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि वनस्पति को नहीं रंगना चाहिये इसके लिये उन्होंने बहुत से तर्क पेश किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झूलनसिंह]

हम अपने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्य की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, तथापि यह दुःख का विषय है कि वे अभी तक ऐसे रंग की खोज नहीं कर सकी जो कि सुदर्शन हो, जिसका स्वास्थ्य पर कोई कुप्रभाव नहीं हो तथा जिससे सरकार और वनस्पति निर्माता सहमत हो सकें। इस प्रकार वनस्पति का उपयोग घी में मिलाने में न किया जा सके।

२२ मार्च, १९४९ को पारित हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक संकल्प में यह बात स्वीकार की गयी है कि वनस्पति के उत्पादन सम्बन्धी मशीनों का आयात न किया जाय। इसके निर्माण के लिये आगे कोई लाइसेंस न दिये जाय। वनस्पति को रंगने का तत्काल प्रयत्न किया जाय।

वनस्पति का मानव स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव होता है।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीय हुये]

मैं इस सम्बन्ध में गांधी जी के शिष्य तथा देश के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री का मत प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि यह एक वैज्ञानिक मसला है अतः इसे निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाना चाहि । वनस्पति, तेलों से मंहगा होने के बावजूद भी पौष्टिक दृष्टि से हीन है, एक रसायन शास्त्री होने के नाते मेरा यह मत है कि भोजन सामग्री के स्वरूप में इस प्रकार की फेर बदल करना घातक है।

इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मनुष्यों की भी वही दशा होगी जो इज्जत नगर-अनुसंधान केन्द्र में वनास्पति के योग से चूहों की हुई है।

वैसे तो वनस्पति के पहले भी घी में मिलावट होती थी लेकिन अब वनस्पति के कारण मिलावट और भी बढ़ गई है। सरकार ने घी की मिलावट के जो आंकड़े प्रकाशित किये हैं उनसे प्रकट होता है कि घी में ४८ प्रतिशत मिलावट पाई जाती है। मिलावट की मात्रा ५ प्रतिशत से ९५ प्रतिशत तक पाई जाती है। यह स्थिति वनस्पति के आने के कारण ही उत्पन्न हुई है। आज कल मिलावट इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गई है कि कोई विशुद्ध चीज पाना कठिन हो गया है।

वनास्पति के प्रयोग से मानव पर मनोवैज्ञानिक दष्टि से भी प्रभाव पड़ता है। वह घी के बदले तेल का प्रयोग कर रहा है। अच्छा हो कि यह बात मनुष्यों के दिमाग से निकल जा । वनास्पति से जो भी कर मिल रहा है वह समाज के स्वास्थ्य की हानि को दष्टिगत रख कर काफी नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री वै० ल० नायर (क्विलोन): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। वनास्पति घी एक माध्यम है जिसके द्वारा हमारे देश की जनता सस्ते दामों पर प्रामाणिक किस्म की वनास्पति का उपयोग करती है। हमारे देश में काफी मात्रा में वनास्पति तेलों का उत्पादन होता है। हमारे यहां पशुधन भी सब से अधिक मात्रा में मिलता है। पशुधन तथा वनास्पति में ही हमें सब से अधिक चर्बी मिलती है। पौष्टिक दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है। हमारी अर्थव्यवस्था तथा परिवहन की विद्यमान स्थिति में यह असंभव है कि लोगों को ताजा वनास्पति तेल मिल सके। क्योंकि उपभोक्ताओं तक पहुंचते पहुंचते इसे काफी समय लग जाता है। तेलों का जमाया जाना कोई गन्दा काम नहीं है जैसी कि कुछ लोगों की धारणा है। जब तेल को शुद्ध करके रखा

†मूल अंग्रेजी में

जाता है तो उसके ग्राम्सीकरण होने ग्रौर उस दुर्गंध या खटास पैदा होने की बहुत कम सम्भावना रह जाती है। हमारे देश के लोगों को भोजन में पर्याप्त विटामिन नहीं मिलता । वनास्पति घी तैयार करते समय उसमें कुछ विटामिन मिलाकर जनता को विटामिन दिया जा सकता है। ग्रनुसंधान से यह सिद्ध हो चुका है कि लगातार वनास्पति घी का प्रयोग करते रहने से भी कोई बुरा ग्रसर नहीं पड़ता। यह एक ऐसा सस्ता साधन है जिसके ग्राधार पर पौष्टिक भोजन मिल सकता है ।

यह कहा गया है कि वनास्पति की ग्रधिकता के कारण गांवों की डेरी व्यवस्था को ग्राघात पहुंच रहा है। यह बात गलत है। हमारे यहां दूध का उत्पादन भी बहुत कम हो रहा है क्योंकि ग्रधिकांश पशु दुधारू नहीं हैं। यदि हम बनास्पति घी के जमाये जाने पर रोक लगा देंगे तो किसानों को वह थोड़ी बहुत वैसी भी नहीं मिल पायेगी जो उन्हें मिल रही है। यह उनके साथ ग्रन्याय होगा।

वैज्ञानिक ग्रांकड़े इस विधेयक का समर्थन नहीं करते । दूसरे यह विधयक लोगों को सस्ते दामों पर पौष्टिक वस्तु का उपयोग करने से रोकता है । ग्रतः इस विधेयक को ग्रस्वीकृत किया जाना चाहिये ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : ग्रध्यक्ष महोदय, जो विधेयक श्री झूलन सिन्हा साहब ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

ग्रभी मेरे साथी नायर ने कुछ बातें कहीं । वह समझते हैं कि शायद कोई ग्रौर चिकनाहट वनास्पति के मुकाबले में सस्ती नहीं है। ऐसा मैं उनके ग्रारगूमेंट से समझा। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल तथ्य से दूर की बात है । जैसा कि श्री झूलन सिन्हा साहब ने कहा, तेल सस्ता होता है ग्रौर ग्रगर वनास्पती के मुकाबले में लोग तेल इस्तेमाल करें तो उससे काफी रुपया बच सकता है । नायर साहब ने पढ़ कर सुनाया कि झूलन सिन्हा साहब किसानों के दोस्त हैं, ग्रौर फिर उन्होंने कहा कि वनास्पति को बंद करने से किसानों को नुकसान होगा । मैं नहीं समझा कि किस बिना पर वह ऐसा कह गए। ग्राज ग्राप ग्रगर दक्षिण भारत को भी ध्यान में रख कर देखें तो ग्रापको मालूम होगा कि वनास्पति का इस्तैमाल पढ़े लिखे लोगों तक ही महदूद है। किसान ग्रौर दूसरे देहात के लोग चाहे वे दक्षिण भारत के हों या उत्तर भारत के वनास्पति इस्तैमाल नहीं करते। यह ठीक है पक जहां तक राजस्थान, पंजाब ग्रौर उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहां शायद देहातों के ग्रन्दर लोग घी ग्रौर दूध ज्यादा इस्तैमाल करते हैं लेकिन दक्षिण भारत ग्रौर दूसरे इलाकों का जहां तक ताल्लुक है वहां देहाती भाई ग्राज भी तेल को इस्तैमाल करते हैं।

उन्होंने कहा कि ग्रगर तेल पुराना हो जाये तो उसमें खराबी हो सकती है । ऐसे तो ग्राप किसी भी चीज में विष डाल दें तो वह खराब हो जाएगी, लेकिन क्या इस वजह से उसको इस्तैमाल करने का इरादा छोड़ा जा सकता है। ग्रगर उसके ग्रन्दर कोई खराबी है तो उसको ग्राप दूर कीजिए। विनोवा जीने लिखा है कि ग्रगर छोटी छोटी घनियों से तेल निकाला जाए तो हर एक भाई चाहे वह दक्षिण भारत में हो या उत्तर भारत में हो उसको ताजा तेल मिल सकता है। बजाय इन इलाकों में तेल ले जाने के ग्राप ज्यादा ग्रासान से रेल द्वारा तिलहन ले जा सकते हैं ग्रौर उसका वहां ले जा कर तेल तैयार करवाएं। इससे वहां के कुछ तेलियों ग्रौर छोटे कारखाने वालों को कुछ काम भी मिल जाएगा ग्रौर लोगों को ताजा तेल भी मिल जाएगा। इस के साथ साथ जो खली निकलेगी उसको वहां जमीन में खाद देने के काम में लाया जा सकता है या पशुग्रों को खिलाया जा सकता है। तो यह सोचना कि वह तेल पुराना हो जाएगा ग्रौर उसके ग्रन्दर खराबी ग्रा जाएगी यह सही नहीं है।

देश के ग्रन्दर ीन ही किस्म के साथी हैं। एक वह भाई हैं जो घी खाना चाहते हैं, दूसरे वे भाई हैं जो ग्राज भी घी के बजाए तेल खाते हैं ग्रौर तीसरे बीच के लोग हैं उनकी हालत यह है कि जैसे पहनने को धोती ग्रच्छी है, लेकिन वे उसका कोट पतलून बना कर पहनते हैं, इसी तरह से

वे बीच के भाई तेल तो खाना चाहते हैं लेकिन उसको वनास्पति की शक्ल में खाना चाहते हैं। कहा जाता है कि उसके अन्दर कुछ विटामिन डाला जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या विटामिन डालने के लिए एक यही चीज है, खुराक की और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें विटामिन डाला जा सकता है। विटामिन डालने के लिए कौन न्कार करता है। लेकिन सवाल यह है कि आज जो भाई घी खाना चाहते हैं या जो भाई घी ैदा करना चाहते हैं उनके रास्ते में यह वनास्पति खड़ा हो गया है। सरकार ने इरादा जाहिर किया था आज से आठ दस साल पहले कि ो तीन महीने में कोई रंग तलाश करके इसमें मिला दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त के बहुत से सदस्य इससे सहमत नहीं थे कि तेल को वनास्पति बनाया जाए और फिर उसको रंगा जाए। उनका खयाल था कि तेल को वनास्पति बनाना ही नहीं चाहिये। उस वक्त भी बहुत से सदस्यों की यह राय थी कि तेल को जमाना बंद होना चाहिए।

इस देश के अन्दर खास तौर पर पढ़े लिखे आदमी खास तौर के रंग और वेषभूषा के पैटर्न में यकीन करते हैं, उनके हाथ में शक्ति है, अखबार भी हैं और दूस ी चीजें भी हैं। तो उनके खयालात को ध्यान में रख कर ही यह फैसला किया गया था कि सरकार कोई रंग तलाश करेगी। सरकार ने कोशिश की लेकिन सरकार कोई रंग तलाश नहीं कर सकी और इस देश के साइंटिस्स्ट कोई रंग तलाश नहीं कर सके जिससे वनास्पति को रंगा दिया जा सके। दस साल के बाद हमें फिर मौका दिया झलन सिन्हा साहब ने उस बात पर गौर करने का और सोचने का। पिछले दस साल के इतिहास को ध्यान में रख कर मैं समझता हूं कि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जब तक इस देश के अन्दर कोई ऐसा रंग न निकाला जा सके जो कि वनास्पति में डाला जाए, कम से कम उस वक्त तक के लिए तेल को जमाना और उसको वनास्पति बनाना बंद कर दिया जाए। हमने कोशिश की और दयानतदारी से कोशिश की और सा टिस्ट्स ने कोशिश की लेकिन वह फेल हुए। तो उनके फेल ोने के कारण क्या स देश के आदमी हाथ पर हाथ धरे रहेंगे र े और इस देश के अन्दर पशुधन की उन्नति की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण कल जारी रखें। अब सभा स्थगित होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २७ मार्च, १९६१ / ६ चैत्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, २४ मार्च, १९६१
—————
३ चैत्र, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३३६३—९०
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०८१	कार्य कुशलता और कार्य संपादन की जांच	३३६३—६५
१०८२	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	३३६५—६७
१०८३	लंका में भारतीय	३३६७—६९
१०८४	कांगो	३३६९—७२
१०८५	चीनी के कारखानों की मशीनें	३३७२—७५
१०८७	लंका को कपड़े का निर्यात	३३७५–७६
१०८८	तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए आन्तरित संसाधन	३३७६–७७
१०८९	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	३३७७–७८
१०९०	कराइकल पत्तन को पुनः चालू करना	३३७९
१०९१	चलचित्र विभाग द्वारा प्रलेख-चित्रों का निर्माण	३३८०–८१
१०९२	जादूगुडा (बिहार) में यूरेनियम की खान	३३८१–८२
१०९३	दिल्ली प्रशासन के एम्पलायमेंट अफसर	३३८२–८३
१०९४	मूल्य नियंत्रण	३३८३—८५
१०९७	संयुक्त राष्ट्र संघ में तिब्बत का मामला	३३८५–८६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
९	माडर्न सतग्राम कोयला खान	३३८६—९०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३३९०—३४२३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०८६	नारियल जटा उद्योग	३३९०
१०९५	साम्भर में सोडा ऐश का कारखाना	३३९०
१०९६	नई दिल्ली में निर्मित दुकानें	३३९१

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

१०६८	प्रेस परिषद्	३३६१–६२
१०६६	पीतल का सामान बनाने का उद्योग	३३६२
११००	स्वीडन को इलायची का निर्यात	३३६३
११०१	पटसन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट	३३६३
११०२	परमाणु बिजली घर	३३६३–६४
११०३	हथकरघे के कपड़े पर छूट (रिबेट)	३३६४–६५
११०४	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर में खरादों का निर्माण	३३६५–६६
११०५	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, बंगलौर के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल	३३६६
११०६	फिजो के भाई की रिहाई	३३६६–६७
११०७	दस्तकारी की चीज़ों का निर्यात	३३६७

अतारांकित प्रश्न संख्या

२२०७	मध्यपूर्व में भारतीय कपड़ा बाजार	३३६७
२२०८	मैसूर में खादी का उत्पादन	३३६८
२२०६	महाराष्ट्र में कुटीर उद्योग	३३६८
२२१०	शहतूत के वृक्ष लगाना	३३६८–६६
२२११	पंजाब में राल उद्योग	३३६६
२२१२	सीमेंट का निर्माण	३३६६
२२१३	काफी का उत्पादन	३३६६–३४००
२२१४	दिल्ली में औद्योगिक बस्तियां	३४००
२२१५	मिरथल (पंजाब) में कागज का कारखाना	३४००
२२१६	लुधियाना में स्कूटर फैक्टरी	३४०१
२२१७	नेफा का विद्यार्थी संघ	३४०१
२२१८	हैदराबाद हाउस, नई दिल्ली	३४०१–०२
२२१६	भारत और पाकिस्तान के बीच बीसा नियम	३४०२
२२२०	खानों में रक्षा का उपाय	३४०२
२२२१	पंजाब में निष्क्रान्त कृषि भूमि	३४०३
२२२२	तृतीय पंचवर्षीय योजना	३४०३

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—**क्रमशः**

अतारांकित प्रश्न संख्या

२२२३	दीवार घड़ियों का निर्माण . . .	३४०४
२२२४	तांबा और पीतल का आवंटन	३४०४
२२२५	दिल्ली की चर्म उद्योग बस्ती	३४०४
२२२६	भारत और तिब्बत के बीच व्यापार मार्ग . .	३४०४–०५
२२२७	पंजाब में ग्राम आवास परियोजना योजना . ..	३४०५
२२२८	ऐंड्रूज गेज, नई दिल्ली में क्वार्टर . . .	३४०५–०६
२२२९	माधोपुर में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी .	३४०६
२२३०	पासीघाट विमान क्षेत्र पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारी . . .	३४०६–०७
२२३१	दिल्ली में भू–सम्पत्ति	३४०७
२२३२	रेस के घोड़े	३४०७–०८
२२३३	भारतीय उद्योग	३४०८
२२३४	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में टेलीविजन सेट . .	३४०८
२२३५	भूटान को सड़क	३४०८–०९
२२३६	काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति . .	३४०९
२२३७	भारतीय मानक संस्था	३४१०
२२३८	रानी एलिजाबेथ के भारत यात्रा की रंगीन फिल्म . .	३४१०
२२३९	कपड़ा मिलें	३४१०
२२४०	डा० सैविनो और श्री नामो की नजरबन्दी .	३४११–१२
२२४१	उर्वरक संयंत्र	३४१२
२२४२	सरकारी कर्मचारियों के लिए सहकारी समितियां . .	३४१२–१३
२२४३	मद्रास राज्य में कताई मिलें . . .	३४१३
२२४४	काश्मीरी और डोगरी भाषाओं में प्रलेखचित्र . .	३४१३
२२४५	मनीपुर में अनुसूचित जातियों के लिए विधियां . .	३४१४
२२४६	दिल्ली के पुराने राजेन्द्र नगर में क्वार्टर . .	३४१४
२२४७	मछली, फलों और साग-सब्जियों का निर्यात . .	३४१४–१५
२२४८	दिल्ली में सिनेमा-घर	३४१५
२२४९	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों और सर्कलों का पुनर्गठन	३४१५
२२५०	हैदराबाद में केन्द्रीय हथकरघा बुनकर सहकारी सन्था . .	३४१६

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२२५१	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा छापे	३४१६
२२५२	मकान-किराया	३४१६—१७
२२५३	जापान से भारत को कागज बनाने की मशीनों का निर्यात	३४१७
२२५४	उड़ीसा में बुनकरों के लिये सहकारी रिहायशी बस्ती . .	३४१७—१८
२२५५	त्रिपुरा से कपास का निर्यात .	३४१८
२२५६	उद्योगों के लिये लाइसेंस	३४१८—१९
२२५७	अखिल भारतीय हस्त शिल्प बोर्ड .	३४१९
२२५८	निर्यात संवर्धन . . .	३४१९
२२६०	त्रिपुरा विक्रय एम्पोरियम के धन का गबन होना . .	३४१९
२२६१	इंजीनियरिंग उद्योग वस्तुओं का निर्यात .	३४२०
२२६२	दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों के लिये भूमि . .	३४२०
२२६३	मुरादाबाद में बर्तनों आदि पर सुनहरी पालिश करने का कारखाना	३४२०—२१
२२६४	हाथ से बुनी मिट्टी की वस्तुओं को पकाने के लिये भट्टा . .	३४२१
२२६५	हाथी दांत का आयात	३४२१—२२
२२६६	कुटीर उद्योग के लिये कच्चा माल . . .	३४२२
२२६७	हस्त शिल्प की वस्तुयें	३४२२
२२६८	नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों को दिये गये मकानों के किराये	३४२२—२३
२२६९	पहाड़गंज, नई दिल्ली में नजूल भूमि पर बनाये गये मकान	३४२३
	प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य	३४२४—३०

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने हाल में लन्दन में हुये राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में एक वक्तव्य दिया और सम्मेलन द्वारा जारी की गई अन्तिम विज्ञप्ति की एक प्रति भी टेबल पर रखी

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ३४३०—३१

(१) प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के संविदाकारी पक्षों के सत्रहवें अधिवेशन में, जो ३१ अक्तूबर स १९ नवम्बर, १९६० तक जेनेवा में हुआ था, भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल की प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) (१) अन्तर्गत वर्ष, १९५९—६० के लिये पुनर्वास उद्योग

सभा पटल पर रखे गये पत्र—क्रमशः

विषय

निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) वर्ष १९५९–६० के लिये उक्त निगम के सरल किये हुये वार्षिक लेखे।

(ग) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १० मार्च, १९६१ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ५३८ में प्रकाशित पटसन (लाइसेन्स देना तथा नियन्त्रण) आदेश, १९६१।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९५९--६० के लिये राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षा लेखे तथा उस पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(४) एक टिप्पण (नोट) जिसका शीर्षक "इन्सीडेंस आफ इन्डायरेक्ट टैक्सेज़ आन दि कंज्यूमर प्राइस इंडैक्स" (ए लिमिटेड अनैलिसिज) है।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३४३१

एकसौ उन्नीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अनुदानों की मांगें . . . . . . ३४३२—४८

विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। मांग संख्या ७१ के कटौती प्रस्ताव संख्या १०३९ पर, जिसे श्री तंगामणि ने प्रस्तुत किया था, सभा में मतविभाजन हुआ, पक्ष में १२ और विपक्ष में ८० सदस्यों ने मत दिया। कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। सारी मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ३४४९

अस्सीवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ३४४९–५०

(१) उपहार कर (संशोधन) बिल, १९६१।

(धारा २२, २३, २५, २६ और ३५ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का]

(२) भारतीय डाक घर (संशोधन) बिल, १९६१।

(धारा ६८ और ६९ का संशोधन) [श्री रामकृष्ण गुप्त का]

(३) सहायक बैंक विलय बिल, १९६१। [श्री रामकृष्ण गुप्त का]

(४) संविधान (संशोधन) बिल, १९६१।

(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री च० र० पट्टाभिरामन् का]

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापस लिया गया . . . ३४५०—५८

१०-३-६१ को श्री त० ब० विट्ठलराव द्वारा औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नयी धारा ५-कक का रखा जाना) पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आगे आरम्भ की गयी । श्री त० ब० विट्ठलराव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया । विधेयक, सभा की अनुमति, से वापस लिया गया ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . . . ३४५९—६२

श्री झूलन सिंह ने प्रस्ताव किया कि तेलों को जमाये जाने पर रोक लगाने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, मार्च, २७, १९६१/६ चैत्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि

गृह-कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—109(Aii)LSD—12-5-61—125